# राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ५ ] द्वितीय विधान सभा के तृतीय सत्र, १६५६ का ५२वां दिवस [ संख्या ३३



शुक्रवार, ८ अप्रेल, १६५६

विधान सभा की बैठक म० पू० ८ बज कर १७ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

( श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन )

## तारांकित प्रश्नोत्तर

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न। श्री बृजेन्द्रपाल।

### जिला सवाई माधोपुर में लगाये गये पम्पिग सैट व पर्शियन व्हील

६५७. **श्री बृजेन्द्रपाल** ( करौली ) : क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) कितने और किन किन स्थानों पर पम्पिग सैट ( Pumping Sets ) और पर्शियन व्हील ( Persian wheel ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ज़िला सवाई माधोपुर में लगाये गये ?

(२) कितने पम्पिग सैट इस समय चालू हैं और कितने बन्द हैं ?

**उप मंत्री कृषि विभाग** ( श्री दौलतराम सारण ) : (१) ३ पम्पिग सैट और १४ पर्शियन व्हील इस विभाग द्वारा दी गई आर्थिक सहायता से निम्नलिखित स्थानों पर लगाये गये हैं :

| | |
|---|---|
| हिन्डौन | ६ पर्शियन व्हील। |
| सवाई माधोपुर | ३ पम्पिग सैट और ४ पर्शियन व्हील। |
| करौली | १ पर्शियन व्हील। |
| कुल : | ३ पम्पिग सैट और १४ पर्शियन व्हील। |

(२) एक पम्पिग सैट और ४ रहटों के अतिरिक्त सब चालू हैं।

**श्री भैरोंसिंह** ( श्री माधोपुर ) : पीछे शोर हो रहा है उसको बन्द कराया जाय।

**श्री बृजेन्द्रपाल** : क्या सर्किट हाउस करौली के गार्डन के लिये पम्पिग सैट दिया गया है ?

**श्री दौलतराम सारण** : कृपया दुबारा फरमाइये।

# Page No.2



**श्री अध्यक्ष** : करौली के सर्किट हाउस के बगीचे के लिये पम्पिंग सैट दिया गया है ?

**श्री दौलतराम सारण** : मेरे पास इस समय ऐसी जानकारी नहीं है ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री पी० के० चौधरी ।

**गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये योजना**

**६४८. श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : Will the Labour Minister be pleased to state :-

(a) Has the Government any scheme for slum clearance in various cities and towns in the State ? If so, in which cities and towns the State Government or local authorities have built houses and tenements for working class population ? Figures of houses or tenements built in each town or city and their cost may be given separately ?

(b) Is it correct that the State Government submitted a scheme for slum clearance for Udaipur to the Union Ministry of Works and Housing and that Ministry has approved a project for construction of 272 single storey one room tenements ? Is it correct that the Government of India will pay a subsidy of Rs. 2,06,287 and a loan of Rs. 4,12,574 and an equal amount of subsidy will be provided by the State Government ?

(c) What is the strength of industrial labour in the following cities and towns namely Jaipur, Beawar, Ajmer, Bhilwara, Jodhpur, Kota, Bharatpur, Bikaner, Sambhar Lake and Udaipur ?

**श्रम मंत्री** ( श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ) : (ए) और (बी) स्लम क्लीयरेंस स्कीम लेबर डिपार्टमेंट चालू नहीं की गई ।

(सी) इन्डस्ट्रियल लेबर की स्ट्रेन्थ निम्नलिखित शहरों में निम्नलिखित है :

| | |
|---|---|
| जयपुर | ७४६४ |
| ब्यावर | ६४०३ |
| अजमेर | १०१८५ |
| भीलवाड़ा | ३०८८ |
| जोधपुर | ४३१३ |
| कोटा | १६६० |
| भरतपुर | ८५० |
| बीकानेर | ३४६४ |
| सांभर लेक | २५०० |
| उदयपुर | २१५६ |

**श्री पी० के० चौधरी** : फिर यह किस विभाग से सम्बन्ध रखती है ।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : स्लम क्लीयरेंस की स्कीम हमारे लेबर डिपार्टमेंट से ताल्लुक नहीं रखती, प्लानिंग डिपार्टमेंट से सम्बन्ध है इसका ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री बृजेन्द्रपाल ।

# Page No.3



## सवाई माधोपुर ज़िले में मछली विकास योजना

६५६. श्री बृजेन्द्रपाल, ( करौली ) : Will the Minister for Agriculture be pleased to state :-

(a) What steps have been taken for the development of Fisheries in the Sawai Madhopur District ?

(b) How many Fish Farms have been established so far ?

**उप मंत्री कृषि विभाग** ( श्री दौलतराम सारण ) : (ए) सवाई माधोपुर ज़िले में बड़खेड़ा पूल के पानी का सर्वे किया जा चुका है। बन्द ममचारी बन्द गोपालपुरा, बन्द मुई, सवाई माधोपुर का सर्वे ठीक किया जा चुका है। सवाई माधोपुर जिले में मछली के बच्चे इकट्ठे करने के बारे में विचाराधीन है। सामुदायिक क्षेत्रों में प्रयास किया जा रहा है।

(बी) मछलियों के फार्म अभी सवाई माधोपुर में शुरू नहीं किये गये हैं।

**श्री बृजेन्द्रपाल** : यह किस बेसिस पर किया जावेगा ?

**श्री दौलतराम सारण** : अभी नहीं कहा जा सकता।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा): सवाई माधोपुर में बहुत बड़ा सागर है उसमें विकास करने की क्या सरकार सोच रही है ?

**श्री दौलतराम सारण** : हो सकता है। बहुत जगह विकास की गुंजायश है। मैंने कहा कि सर्वे हो रही है।

**रावराजा श्री सरदारसिंह** : सर्वे सवाई माधोपुर में ही हो रही है या सारे राजस्थान में सभी जगह हो रही है।

**श्री दौलतराम सारण** : सभी जगह हो रही है।

**डॉ० चन्द्रकला** ( किशनपोल बाजार जयपुर ) : कब तक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी और योजना बन जाएगी ?

**श्री दौलतराम सारण** : यह तो निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

## रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन

६६०. श्री मुरलीधर व्यास ( बीकानेर सिटी ) : क्या श्रम मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(१) राजस्थान में इस समय कुल कितने रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन हैं ?

(२) यूनियन की रजिस्ट्री किस आधार पर किस नियम के मातहत कितने समय के लिये होती है ?

(३) किसी संगठन को रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट दे देने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन कितने साल बाद रद्द किया जा सकता है ?

(४) क्या किसी भी यूनियन को रद्द करने के पहिले उसे नोटिस देना आवश्यक है ? यदि हां, तो उसके लिए कितने दिन का नोटिस आवश्यक है ?

**श्रम मंत्री**, ( श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ) : (१) इस समय राजस्थान में कुल १६० रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन हैं।

(२) यूनियन की रजिस्ट्री इंडियन ट्रेड यूनियन्स एक्ट १६२६ की धारा ५,६ व ८ के अनुसार होती है। जब तक रजिस्ट्रेशन रद्द न हो जाय या वापस न ले लिया जाय रजिस्ट्रेशन कायम रहता है, इसके लिए समय निर्धारित नहीं है।

(३) रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन एक्ट १६२६ की धारा १० के अनुसार रद्द किया जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के समय से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

(४) हां दो महीने का नोटिस आवश्यक है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : आपने जैसा कि अपने उत्तर में बताया कि जब तक रजिस्ट्रेशन रद्द न हो जाय या वापिस न ले लिया जाय रजिस्ट्रेशन कायम रहता है, इसके लिए समय निर्धारित नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि कोई ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड किया जाता है उसके एक महीने बाद या ६ महीने बाद या कितने दिन बाद बन्द किया जाता है। आखिर इसके लिये कोई नियम तो होंगे ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : इसके लिये दफा १० मौजूद है। ट्रेड यूनियन एक्ट के अनुसार अगर कोई गड़बड़ी करता है तो उसको दो महीने का नोटिस देकर रद्द कर दिया जाता है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : साल भर के पहले ऐसा नहीं कर सकते...

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : इसके लिये कानून बना हुआ है आप उसको देख सकते हैं।

**श्री मुरलीधर व्यास** : आपने कहा कि ट्रेड यूनियन्स एक्ट १६२६ के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन होता है। आप सरकारी स्तर पर क्या जबाब देते हैं, कि एक महीने के लिये भी वह रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है या नहीं ? कानून में तो नहीं है।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : कानून के अनुसार ही रजिस्ट्रेशन होता है कोई एक महीने के लिये रजिस्ट्रेशन नहीं होता है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : क्या इस प्रकार का कोई प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन किया जाता है ? क्या कानून के मातहत किया जा सकता है ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : यह तो कानून बना हुआ है। इन्डियन ट्रेड यूनियन्स एक्ट मौजूद है, उसके अन्तर्गत कार्यवाही होती है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : कानून के अन्तर्गत होता है। मगर मैं यह पूछना चाहता हूं कि रजिस्ट्रेशन कितने समय के लिये होता है। वह एक साल के लिये निश्चित है आप कहते हैं कि कोई समय नहीं है। क्या कोई रजिस्ट्रेशन करा कर उसे १५ दिन में भंग कर सकता है ?

**श्री अध्यक्ष** : मंत्री महोदय ने बताया है कि दो महीने का नोटिस चाहिये।

**श्री मुरलीधर व्यास** : इसका मतलब

( श्री मुरलीधर व्यास )

यह कि अगर किसी ने ऐसा किया है तो गलत किया है।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : इसका मतलब जो भी है, है। इसको...

**श्री अध्यक्ष** : आप इनसे जानकारी ले सकते हैं। आप कहें कि किसीको नुकसान हुआ या नहीं। आप डेफिनेट बात पूछ कर जानकारी ले सकते हैं।

**श्री मुरलीधर व्यास** : बीकानेर में जामसर में जिप्सम के मजदूरों की यूनियन है। उसको एक महीने बाद ही भंग कर दिया गया जब कि उसके लिये कोई प्रोविजन नहीं होता है। एक महीने में उसको भंग किया गया और न उसको इसके लिये कोई नोटिस दिया गया। नतीजा यह हुआ कि उसका फायदा आज ट्रिब्युनल उठा रही है और मजदूरों को नुकसान हो रहा है। यह गलत तरीके से हुआ है।

**श्री अध्यक्ष** : तो फिर आप सीधा ही प्रश्न इसके सम्बन्ध में पूछते।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : अगर आप इस सम्बन्ध में सीधा प्रश्न पूछते तो इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करके उत्तर देते।

**श्री मुरलीधर व्यास** : सीधा प्रश्न पूछते तो आप और रास्ता निकाल लेते।

**श्री अध्यक्ष** : रास्ता निकाल लेते तो निकाल लेते। मगर इस तरह से हाइपोथेटिक क्वेश्चन्स नहीं पूछे जावें। आप साफ पूछें। रास्ता निकालने का क्या मतलब होगा।

**श्री मुरलीधर व्यास** : प्रश्न पूछने का मतलब जानकारी लेना है।

**श्री अध्यक्ष** : आपने ऐसा प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर कानून की किताबों में मिलता है। यह प्रश्न एलाउ ही नहीं होना चाहिये था फिर भी इसको एलाउ किया गया।

**श्री मुरलीधर व्यास** : कानून के खिलाफ भी कार्यवाही हो जाती है, तो भी उसकी कोई कार्यवाही नहीं होती। मैं यह खुले शब्दों में कहता हूं कि जामसर माइका यूनियन के सम्बन्ध में कोई नोटिस नहीं दिया गया और उसको रद्द कर दिया गया जिसका नतीजा यह हुआ कि आज ट्रिब्युनल में मैनेजर को उसका फायदा मिल रहा है।

**श्री अध्यक्ष** : उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : उसका रजिस्ट्रे-हुआ था और उसको एक महीने बाद भंग कर दिया गया है। आप इसकी जानकारी दे रहे हैं। आप साफ प्रश्न पूछते तो इसका उत्तर दे दिया जाता।

**श्री अध्यक्ष** : आप इसके लिये सीधा प्रश्न पूछते।

नेक्स्ट।

### चौमूं में बिजली की व्यवस्था

**६६१. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा):** Will the Minister-in-charge of Electricity be pleased to state :-

(1) Is it correct that the scheme for supplying electricity to Chomu

( श्री पी. के. चौधरी )

town was included in the first Five Year Plan ?

(2) Is it also correct that transmission towers were erected between Jaipur and Chomu nearly four years ago but no transmission lines have been set up till now ?

(3) Is it correct that material transported to the site for this electrification scheme has been on two occasions reallocated and re-transported once to Chittorgarh and on an earlier occassion to some place in Bikaner Division ?

(4) When does the Government propose to supply eleetricity to Chomu ?

**उप मंत्री विद्युत विभाग** ( श्री भीखाभाई ) : (1) Yes, but only as a carry over work from the lst to the 2nd Five Year Plan.

(2) A number of towers were erected from November, 1955 onwards. No stringing has been done so far.

(3) No.

(4) Supply will be made available after the new steam set of 5000 K. W. is erected at Nallah Power House and the line erected from Jaipur to Chomu Town.

**श्री पी० के० चौधरी** : The transmission towers are already there. So when do you propose to provide the lines from Jaipur to Chomu ?

**श्री भीखाभाई** : After installation of the turbo set.

**श्री पी० के० चौधरी** : When it will be installed ?

**श्री भीखाभाई** : It is expected to be commissioned by the end of 1960.

**श्री अध्यक्ष** : श्री उम्मेदीलाल

### करौली से वजीरपुर तक सड़क

६६२. **श्री उम्मेदीलाल** (करौली सु०): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार करौली से वज़ीरपुर तक १० मील की सीधी सड़क बनवाने का विचार रखती है ?

(२) यदि हां, तो यह सड़क कब तक बन जावेगी।

**गृह मंत्री** ( श्री रामकिशोर व्यास ) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री उम्मेदीलाल** : प्रश्न क्यों नहीं उठता साहब।

( कोई उत्तर नहीं दिया गया )

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

**पंचायत किशोरपुरा का पंचायतघर**

**६६३. श्री प्रभुलाल पुरोहित ( लालसोट )** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या ग्राम पंचायत, किशोरपुरा का अपना कोई पंचायतघर बना हुआ है ?

(२) उक्त पंचायत की कार्यवाही किस गांव में होती है ?

(३) क्या यह कार्यवाही पंचायत के निजी मकान को छोड़ कर अन्य स्थान पर करना उचित है ?

(४) क्या सरकार उस गांव में जहां कि पंचायत भवन है पंचायत की कार्यवाही सम्पन्न कराने की इच्छा रखती है ?

**उप मंत्री स्वायत शासन विभाग** ( श्री दौलतराम सारण ) : (१) डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा बनवाया हुआ पंचायतधर है जो स्कूल को दे दिया गया है क्योंकि पंचायत ने किशोरपुरा की बनायी हुई इमारत नहीं ली।

(२) खुर्रा व किशोरपुरा के मध्य माता जी के स्थान पर।

(३) राजस्थान पंचायत अधिनियम १६५३ की धारा २१।२ के अन्तर्गत बैठक पंचायत अपने क्षेत्र में कहीं भी कर सकती है।

(४) इस प्रश्न का सम्बन्ध पंचायत से है न कि सरकार से।

**डॉ० चन्द्रकला** ( किशनपोल बाज़ार जयपुर ) : जब किशोरपुरा में भवन बन चुका था तो उस भवन को स्कूल को क्यों दिया गया और उसे पंचायत के काम में क्यों नहीं लिया गया ?

**श्री दौलतराम सारण** : यह मकान डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का था और उसने स्कूल को दे दिया।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

**प्रश्न संख्या ६६४**

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिए)

**श्री अध्यक्ष** : श्री दलपतसिंह।

**श्री अनोपसिंह** ( बालोतरा ) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत महत्व का है इसलिये इसका उत्तर ले लिया जाए।

**श्री अध्यक्ष** : पहले सारे प्रश्न पूछ लेते हैं उसके बाद में लेंगे।

**तहसील सिकराय में ७ नई पंचायत**

**६६५. श्री गज्या पटेल** ( दौसा सु० ): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील सिकराय में ७ नवीन पंचायतें निर्माण की विज्ञप्ति, जो राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित हुई उनके निर्माण के सम्बन्ध में क्या किया गया ?

(२) क्या वेह ७ पंचायतें और बनाई जावेंगी ?

(३) यदि हां, तो उन पंचायतों का अन्तिम रूप से गठन कब तक हो जावेगा।

**स्वायत शासन मंत्री** ( श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ) : (१) मामला विचाराधीन है।

(२) सरकार विचार कर रही है।

(३) शीघ्र ही।

**डॉ० चन्द्रकला** ( किशनपोल बाज़ार, जयपुर ) : कब विज्ञप्ति निकली थी और क्या अब तक यह मामला विचाराधीन ही है।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : नोटिफिकेशन निकला था।

**डॉ० चन्द्रकला** : कब निकला और यह देर क्यों हुई है।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : इस पर कई ऑब्जेक्शन्स आये। उसका उत्तर बी० डी० ओ० से मांगा और उसका उत्तर आने में देर हुई और कई काम रह गये थे, इसलिये यह मामला देरी में पड़ गया।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

## ज़िला सिरोही में हरिजनों को खेती के लिए तकावी

६६६. **श्री बीराराम**, ( सिरोही सु० ) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

ज़िला सिरोही में हरिजनों व आदिवासियों को कितना रूपया तहसीलदार द्वारा खेती के लिये गत वर्ष तकावी के रूप में दिया गया।

**उप मंत्री कृषि विभाग** (श्री दौलतराम सारण) : जिला सिरोही में निम्नलिखित रकमें गत वर्ष ( १६५७-५८ ) में हरिजनों व आदिवासियों को तकावी के रूप में दी गई:-

| तहसील | रकम<br>कुआं खोदने व बैल खरीदने हेतु | बाग लगाने हेतु | रहट लगवाने हेतु |
|---|---|---|---|
| सिरोही | ३४००) | — | — |
| शिवगंज | ३८७५) | — | — |
| रायदर | ३७००) | — | — |
| पिन्डवारा | १६७०) | १६५०) | — |
| आबूरोड़ | ४६१०००) | ७५०) | १५००) |
| | ५६०३५) | २४००) | १५००) |

## जिला जयपुर में पंचायत वार्डस में संशोधन

६६७. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपूतली): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जिला जयपुर में पंचायतों के वार्डस में किसी प्रकार का संशोधन किया गया है ?

(२) क्या यह भी सही है कि तहसील कोटपूतली में पाथरेड़ी, जोधपुरा, करोली पांच पहाड़ी में एक पंच थे ?

(३) यदि हां, तो इस दफा उनको कम किस नियम से और क्यां किया गया है ?

(४) इन चारों ग्रामों की जिनका एक वार्ड बनाया गया है कितमी कितनी आबादी

( श्री रामकरणसिंह )

है और वे एक दूसरे से कितनी कितनी दूरी पर स्थित हैं ?

**उप मंत्री स्वायत्त शासन विभाग** (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां ।

(२) जोधपुरा व पांच पहाड़ी ग्राम, जो कि भांकरी ग्राम पंचायत क्षेत्र में है, के लिए एक एक पंच था । पाथरेडी व करौली गांवों के लिए १ ही पंच था ।

(३) पाथरेडी व करौली गांवों के इस पंचायत अधिनियम सन् १९५३ धारा ४ के अन्तर्गत वार्डों का पुनर्निर्माण किया गया । इससे जोधपुरा व पांच पहाड़ी को एक पंच दिया गया ।

(४) चारों ग्रामों का एक वार्ड नहीं है । पाथरेडी व जोधपुरा का एक वार्ड व पांचपहाड़ी व करौली का एक वार्ड है । जोधपुरा ४७६, पांच पहाड़ी १२२ पाथरेड़ी व करौली की ७०६ जन संख्या है । पाथरेड़ी व जोधपुरा में दो ढ़ाई मील का फासला है तथा पांचपहाड़ी व करौली में ढ़ाई तीन मील का फासला है ।

**श्री रामकरण सिंह** : क्या यह अधिनियम पहले लागू नहीं था ?

**श्री दौलतराम सारण** : जी हां पहले लागू था । कुछ गांव पंचायतों में नहीं थे, वे मिलाये गए और कुछ पंचायतों में परिवर्तन हुआ । वार्डों का पुनर्गठन हुआ उस समय परिवर्तन किया गया ।

**श्री रामकरणसिंह** : क्या यह माना जाय कि जिस समय पुनर्गठन हुआ क्या नये गांव पंचायतों में मिलाये गये हैं, जैसा कि आपने फरमाया वार्डस का पुनर्गठन किया गया उस समय नये गांव मिलाये गये तभी क्या यह पुनर्गठन किया गया ?

**स्वायत्त शासन मंत्री** : (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) यह ऐसा है कि नये वार्डस जब बनाये गये सिलेक्शन होने के पहले यह हिदायत की गई कि जहां तक हो सके पास पास के जो गांव हैं, उनको एक साथ लिया जा सके वैसे पाथरेडी व जोधपुरा में जिसकी आबादी ४७६ और ७०६ है दूसरे और गांव पाथरेडी व करौली की ७०६ जन-संख्या है । इनका वार्ड अलग है ।

**श्री भीमसेन** (लूनकरणसर) : बाद के जो दो गांव बतलाये गये उनकी क्या आबादी है ?

**श्री दौलतराम सारण** : जोधपुरा, ४७६, पांच पहाड़ी १२२ पाथरेड़ी व करौली की जन संख्या ७०६ है । इसकी वजह से एक एक पंच मिला ।

**श्री रामकरण सिंह** : जैसा कि उपमंत्री महोदय ने फरमाया नये गांव मिलाने से संशोधन किया गया क्या मंत्री जी बतला सकते हैं । संशोधन जो किया है, शुरू में तो नहीं किया गया बाद में क्यों रखा गया तीन तीन, चार मील के जो गांव हैं जिनकी ५०० और ७०० तक की आबादी है उनका एक वार्ड बनाया जावे । यह बाद में क्यों किया गया ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : पहले आबादी के लिहाज से जो पंच थे और चार गांव थे पाथरेडी और जोधपुरा का एक वार्ड । दूसरे गांव की आबादी बहुत थी किन्तु एक

( श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता )

एक पंच ही था। इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन के आधार पर वार्ड्स बनाये गये इसी कारण इनमें संशोधन हुआ है। और यह दृष्टिकोण रखा गया कि जहां तक हो सके पंचायतों के वार्ड्स बनाने में इक्वल डिस्ट्रिब्यूशन का बराबर ध्यान रखा जाय।

**डॉ० बहादुरसिंह,** ( धौलपुर ) : क्या पंचायतों के पुनर्गठन के लिए स्थानीय सरपंच और विधान सभायी सदस्य से परामर्श किया गया था ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : यह तो वार्ड्स के बनाने की बात है, लेकिन जहां तक पंचायतों के पुनर्गठन का सवाल आता है, उसके लिए दो महीने का नोटिस दिया जाता है और उस पर जो चाहे एतराज़ कर सकते हैं।

## ग्राम भांवसा के एक व्यक्ति की पुलिस की हिरासत में मृत्यु

**६६८. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल**(जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या ग्राम भांवसा, तहसील अराईं के किसी व्यक्ति की मृत्यु पुलिस अधिकारियों द्वारा उसे अराई ले जाते हुए रास्ते में ही पिछले ६ माह में हुई है ?

(२) यदि हां, तो उक्त व्यक्ति कौन था और उसे कौन कौन पुलिस कर्मचारी किस अपराध में अराई ले जा रहे थे ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति की मृत्यु कुंए में गिरने से हुई है ?

(४) क्या यह भी सही है कि उक्त व्यक्ति पहली मर्तबा कुंए में गिरा तब जिन्दा निकाल लिया गया ?

(५) क्या यह भी सही है कि उक्त व्यक्ति दुबारा दूसरे कुंए में गिर कर मरा है ?

(६) पुलिस के किन किन कर्मचारियों की निगरानी में उक्त घटना घटी ?

(७) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति निर अपराध था ?

(८) क्या पुलिस कर्मचारियों की असावधानी के लिये किसके खिलाफ़ क्या एक्शन लिया गया ?

**गृह मंत्री** (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जी हां। एक बार वासी ग्राम भवासा न कि ग्राम भवासा ने अराई के निकट एक कुंए में कूद कर जान दे दी, जब कि वह सिपाहियों द्वारा थाना अराई में ले जाया रहा था।

(२) एक बालू चमार वासी भवासा, राधेश्याम फुट कॉन्स्टेबिल थाना अराई द्वारा ले जाया जा रहा था, क्योंकि वह सूजिया के खालों की चोरी में संलग्न था।

(३) जी हां।

(४) जी हां।

(५) जी हां।

(६) केवल राधेश्याम फुट कॉन्स्टेबिल के सामने।

(७) जी नहीं।

# Page No.11



( श्री रामकिशोर व्यास )

(८) राधेश्याम शशीभूषण एवं कल्याण-सिंह कॉन्स्टेबिलान के विरुद्ध महकमाना कार्यवाही की जा रही है। उन्हें उनकी बर्खास्तगी के लिए शो कॉज़ नोटिस दिया जा चुका है। जिसका उत्तर उनसे अभी प्रतीक्षित है।

**श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या यह सही है कि जिस समय मुलजिम ले जाये जा रहे थे मुलज़िमों के हाथ में हथकड़ी थी ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : यह मुझे जानकारी नहीं।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह माना जाय किसी भी थाने से मुलजिम गिरफ्तार होता है, उसके हाथों में हथकड़ी डाली जाती है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : आम तौर पर डालते हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : इस मामले में हथकड़ी थी या नहीं ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : मुझे इस बात की जानकारी नहीं।

**श्री भैरोंसिंह** : तो जानकारी आप किस बात की दे रहे हैं ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : जो आप सवाल पूछते हैं उसकी।

**श्री भैरोंसिंह** : मेरा प्रश्न यह है कि जो व्यक्ति वहां के सिपाहियों की हिरासत में लाया जा रहा था, किसी प्रकार भी बंधन में नहीं था ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : हाइपोथिटिकल क्वश्चन का उत्तर नहीं दे सकता।

**श्री भैरोंसिंह** : तो क्या उस मुलजिम को इनाम देने के लिए ले जा रहे थे जो आपने उसको हथकड़ी नहीं डाली ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : रूल्स के माफिक तो ले जाना चाहिये लेकिन स्पेसिफिक आप पूछते हैं, हथकड़ी थी या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि वह व्यक्ति एक कुए से निकाला जा कर दूसरे कुए में गिर पड़ा ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : जी हां।

**श्री भैरोंसिंह** : जब वह आदमी दो बार कुए में गिरा और उसे एक दफा निकाला गया मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जिस समय वह व्यक्ति बाहर निकाला गया, पहली बार जब बाहर निकाला गया, उस समय भी उसके हथकड़ी नहीं लगाई गई ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : हथकड़ी वाली बात मुझे मालूम नहीं।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या उसके साथ और भी मुलज़िम थे ? और थे तो कितने मुलजिम थे ? क्या यह सही है कि चार पांच मुलज़िम को एक सिपाही ले जा रहा था ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : चार पांच मुलज़िम एक साथ थे।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या पांच मुलज़िमों के एक साथ एक सिपाही का होना पर्याप्त समझते हैं ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : हो सकता है कि उस वक्त कोई आदमी और न हो।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि जिन पांच व्यक्तियों को उस सिपाही की हिरासत में भेजा गया था अराई थाने के अन्दर उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई थी ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : पांच में से चार की गिरफ्तारी अराई में हुई थी।

**श्री भैरोंसिंह** : तो क्या चार गिरफ्तार आदमियों को लेकर ले जाने के लिये एक सिपाही को कहा गया ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : ऐसा है कि पेट्रोलिंग के लिये सिपाही गये हुए थे। रास्ते में मालूम हुआ कि यहां चोरी हुई। उस पर ये मुलजिम पकड़े गये।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि उन चारों मुलजिमों को लेकर एक सिपाही रवाना हुआ ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : जी हां।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या आप उचित समझते हैं अराई थाने से चार मुलजिमों को लेकर जिस अधिकारी ने एक सिपाही को भेजा। क्या आप उसे कानून के अनुसार समझते हैं।

**श्री रामकिशोर व्यास** : पूरी जानकारी तो मेरे पास नहीं है किन्तु जो कॉन्स्टेबिल पेट्रोलिंग के लिये गये हुए थे, उनमें से एक सिपाही चारों मुलाज़िमों को लेकर आ रहा था।

**श्री भैरोंसिंह** : आपके कहने के मुताबिक तीन कॉन्स्टेबिल के खिलाफ़ एक्शन लिया जा रहा है चौथा कॉन्स्टेबिल जो चारों मुलजिमों को ला रहा था, उसको इसके लिये मामूर किया गया था ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : इसमें मामूर करने का सवाल नहीं है। बात ऐसी थी कि तीन कॉन्स्टेबिल पेट्रोलिंग पर गांव में गये हुए थे। वहां जाने पर एक आदमी कम्पलेन्ट करता है फलां फलां आदमी पर मुझे शक है। आदमियों को लेकर एक कॉन्स्टेबिल चलता है और दूसरे आदमी, जहां से सामान गया उसकी तलाश करते हैं फिर बाद में वे मिल जाते हैं।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या आपने यह पता लगाने की कोशिश की कि किस कारण से वह कुए में पड़ा था ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : घबरा गया होगा। और घबरा कर कुए में गिर पड़ा होगा।

**श्री रामकिशोर व्यास** : मैं आपसे यह कहता हूं कि मारपीट का एलीगेशन तो है नहीं। थाने में ला रहा था, नैग्लीजेन्स की वजह से गिर गया।

**श्री भैरोंसिंह** : खुदकशी का मुकद्दमा बनाया, कुए में गिरा तो ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : उसे तो

( श्री रामकिशोर व्यास )

नोटिस शो कॉज का दिया था नैग्लीजेन्स के कारण, कॉन्स्टेबिल को।

**श्री भैरोंसिंह** : मैं कॉन्स्टेबिल की नहीं पूछ रहा हूँ। जो मरने के लिये कुए में गिरा उसका क्या हुआ ?

**श्री अध्यक्ष** : वह तो मर ही गया।

**श्री भैरोंसिंह** : एक आदमी एक बार कुए में गिरा, फिर बाहर निकाल लिया गया पर आगे जाकर फिर कुए में गिरा, यह जो एक्सीडेन्ट हुआ उसका केस रजिस्टर किया गया या नहीं। मैं यह जानना चाहता हूं।

**श्री रामकिशोर व्यास** : शायद आपको पूरी वाकफियत मालूम नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह** : मुझे तो सब मालूम है, आप क्यों इस तरह सही बात को छुपाया करते हैं ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : छिपाने का कोई सवाल नहीं है। जो आदमी गिरने वाला था, वह तो मर गया। अब एक्शन किसके खिलाफ लेंगे। फिर वह कोई अकेला तो था नहीं, किसी ने शिकायत नहीं की कि उसके साथ मारपीट की गई, मारपीट का सबूत नहीं मिलता। तो अब केस किसके खिलाफ और क्या दर्ज करें।

**श्री भैरोंसिंह** : एक आदमी से पहली बार कॉग्नीज़ेबल ऑफेन्स हुआ, इसके सम्बन्ध में दूसरी बार और कॉग्नीज़ेबल ऑफेन्स हुआ और वह मर गया, इस के सम्बन्ध में आप इस बात का निर्णय कैसे कर पाये कि किसी ने उसको जानबूझ कर धक्का दे दिया या वह स्वयं जानबूझ कर गिर गया। केस रजिस्टर हो कर पूरी तफ़तीश करते तब तो कुछ मालूम होता, आपने ऐसा कुछ किया है क्या ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : यह कानूनी मामला है और मुलजिम जब मर जाता है तो मामला खतम हो जाता है।

**श्री भैरोंसिंह** : तफतीश आपने किस आधार पर की ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : जब मुलज़िम ही नहीं रहा तो तफ़तीश किसकी करते ?

**श्री भैरोंसिंह** : मैं कहता हूँ मुलज़िम का सवाल ही नहीं आता। पहली बार वह कुए में गिरा, उसे निकाल लिया गया, दूसरी बार फिर गिरा और मर गया जब क्या आपने इस बात की जांच कराई या नहीं कि वह जान बूझकर मर गया या किसी ने धक्का देकर उसको कुए में गिराया ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : केस तब कायम होता है जब मुलज़िम मौजूद होता है।

**श्री भैरोंसिंह** : मेरा स्पेसिफिक पर्टीकुलर क्वेश्चन है।

**श्री अध्यक्ष** : उनका प्रश्न यह है कि इस डैथ के बारे में आपने इन्क्वायरी की कि किन कारणों से यह डैथ हुई ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : वह तो डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी की।

**श्री अध्यक्ष** : डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी थाने में दर्ज कराई क्या ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : उनकी कितनी नैग्लीजेन्स है इस मामले में इसकी जांच कराई।

**श्री भैरोंसिंह** : नैग्लीजेन्स का सवाल नहीं, कुए में गिर गया बताया गया, इस की जांच किसने की ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : डिपार्टमेन्टल कार्यवाही की गई ?

**श्री भैरोंसिंह** : यह तो कर्मचारियों के खिलाफ़ हुई है। मैं तो पर्टीकूलर केस के बारे में जानकारी चाहता हूं। एक कहता है पुलिस ने उसको कुए में गिरा दिया, पुलिस कहती है वह अपने आप गिर गया, इसकी जांच किसने की ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : यह किसी का कहना नहीं है, न यही किसी का कहना है कि मारपीट हुई। चार पांच आदमी साथ होते हैं। रास्ते में डैथ हो जाती है। अब किसके खिलाफ़ केस रजिस्टर करना है ?

**श्री मुरलीधर व्यास** : जो पुलिस कॉन्स्टेबिल मुलज़िम को ले जा रहा था, उसके पास में हथकड़ी थी ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : इसका जवाब मैं दे चुका ?

**श्री मुरलीधर व्यास** : मैंने नहीं सुना ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : आपने नहीं सुना तो क्या करें।

**श्री मुरलीधर व्यास** : हथकड़ी जब थी, तो एक बार कुए में गिर गया, फिर दुबारा हथकड़ी लगाकर क्यों नहीं रक्खा गया ?

**श्री अध्यक्ष** : श्री मंगलसिंह।

**श्री भैरोंसिंह** : इसका जवाब साफ नहीं आया।

**श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : उस मरे हुए की पोस्टमार्टम की और उसकी मैडिकल रिपोर्ट आपके पास अवेलेबेल है या नहीं ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : सुना नहीं आपने क्या कहा ?

**श्री श्रीभानसिंह** : पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है कि नहीं ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : इसके लिये अलग से सवाल करिये।

**श्री अध्यक्ष** : He has no information.

**श्री श्रीभानसिंह** : Mr. Speaker Sir, the information should be there. It is a case of a man dying in police custody, or rather I should say, that the police connived in his death.

**श्री रामकिशोर व्यास** : यह तो आप कहते हैं, मेरे पास इन्फोर्मेशन नहीं है कि पोस्टमार्टम कराया नहीं गया।

**श्री श्रीभानसिंह** : इन्फोर्मेशन यह है कि डैथ नही हुई उसकी, हां कर दें ? फिर. what were the circumstances that made that person jump consecutively in two wells ?

# Page No.15



**श्री रामकिशोर व्यास** : रास्ते में आ रहा था, कुंए में गिर गया, पहली बार उसको निकाल लिया गया, दूसरी बार फिर गिर गया। फिर वह मर गया तो इसमें अब क्या कर सकते हैं, किसके खिलाफ केस रजिस्टर करें ? वह तो मर गया।

**श्री श्रीभानसिंह** : आपने उस पुलिस अफसर या सिपाही को नोटिस शो कॉज दिया बताया That policemen have connived in the murder of that person.

**श्री रामकिशोर व्यास** : कनाइवेन्स का सवाल नहीं है। नैग्लीजेन्स के सवाल पर डिसमिसल का शो कॉज नोटिस दे रक्खा है।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

**श्री भैरोंसिंह** : एक प्रश्न। क्या यह माना जावे कि जो व्यक्ति कुंए में गिर कर मरा है वह पुलिस की हिरासत में मरा है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : उसे वह इन्ट्रोगेट करने के लिये ले जा रहा था।

**श्री भैरोंसिंह** : आप साफ कह दें कि पुलिस की हिरासत में मरा या नहीं।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मंगलसिंह :

**श्री भैरोंसिंह** : अध्यक्ष महोदय, इस क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला। वह पुलिस कस्टडी में मरा या नहीं।

**श्री अध्यक्ष** : He says this is a question of opinion. He has given the facts... अब आप उसे मानिये या न मानिये।

**श्री भैरोंसिंह** : डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसकी इत्तला दी थी या नहीं और उसने जांच की या नहीं ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : हर केस में इस तरह की डैथ होती है तो इन्क्वायरी होती है।

**श्री भैरोंसिंह** : पुलिस कस्टडी में जब कोई मरता है तो उस मामले की जांच डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी जाती है और इसकी फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एन्क्वायरी करता है। तो क्या इस मामले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से इन्क्वायरी कराई गई थी।

**श्री रामकिशोर व्यास** : वह तो रास्ते में आ रहा था, मर गया। अब जांच की। केस रजिस्टर की गुंजाइश नहीं रहती। किसके खिलाफ एक्शन लें।

**श्री भैरोंसिंह** : डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा एन्क्वायरी हुई या नहीं आप तो यह बता दीजिये।

**श्री अध्यक्ष** : श्री मंगलसिंह ( नेक्स्ट )

**श्री भैरोंसिंह** : इस प्रकार मर्डर के केस में भी जवाब नहीं मिलते हैं। तो फिर प्रश्न पूछने का क्या मतलब रह जाता है। प्रश्न ही फिर किस लिये पूछें, जब उसका उत्तर नहीं दे सकते। हथकड़ी डली हुई थी या नहीं, इसका जवाब नहीं, नहीं डली तो क्यों नहीं दुबारा डाली, इसका जवाब नहीं, पुलिस कस्टडी में उसकी डैथ हुई या नहीं, इसका जवाब नहीं, पोस्टमार्टम कराया गया या नहीं इसका जवाब नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से

( श्री भैरोंसिंह )

जांच कराई या नहीं, इसका जवाब नहीं. फिर मतलब क्या है सवाल पूछने का।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे : शोरगुल )

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट क्वेश्चन।

**भेड़पालकों एवं फार्म ओनर्स को सहायता**

६६६. **श्री मंगलसिंह** (रानीवाड़ा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भेड़ व ऊन विभाग की ओर से अब तक जालोर ज़िले में किन किन भेड़ पालिकों एवं फार्म ओनर्स को कितनी कितनी ज़मीन एवं धनराशि सरकार की ओर से सहायतार्थ एवं ऋण के रूप में दी गई ?

(ख) उक्त सहायता व ऋण देने के क्या नियम हैं ?

(ग) क्या सरकार के ध्यान में है कि जिला जालोर में भेड़पालकों की संख्या अधिक है व उनके चारागाह की कोई व्यवस्था नहीं है यदि हां तो इस हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

**उप मन्त्री कृषि विभाग** : (श्री दौलतराम सारण) : (क) उक्त जिले में एक भेड़ चालकों का संघ जालोर में बना हुआ है जिसको अब तक केवल ५०) की सहायता दी गई है।

(ख) सहायतार्थ जो धन दिया जाता है वह किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता। जिस जिले में संघ बना हुआ है उसको उनके सदस्यों की संख्या व भेड़ों की संख्या के आधार पर ही सहायता दी जाती है,

(ग) यह प्रश्न राजस्व विभाग से सम्बन्ध रखता है।

**श्री श्रीभानसिंह** ( बयाना ) : (पहले ही वाले प्रश्न के बारे में) इसका जवाब स्पष्ट नहीं आया है।

**श्री अध्यक्ष** : इसका जवाब मिल चुका है।

( इस बीच शोर गुल होता रहा और श्री दौलतराम सारण प्रश्न संख्या ६६६ का उत्तर बोलते रहे )

**रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा): इसका उत्तर हमने सुना नहीं।

**श्री अध्यक्ष** : आप फिर से रिपीट कर दीजिये।

(श्री सारण ने अपना उतर फिर रिपीट किया)

**श्री लक्ष्मीचन्द** ( सांचोर ) : इस संघ के मेम्बर कौन हैं और कब बने ?

**श्री दौलतराम सारण** : यह अलग प्रश्न है। इस समय यह सूचना मेरे पास नहीं है।

**श्री लक्ष्मीचन्द** : आपने यह कहा कि संघ है तो फिर यह बताना भी प्रासांगिक है कि उसमें कौन हैं ?

**श्री दौलतराम सारण** : इसके मेम्बर कौन हैं इसकी इतनी डिटेल में जाकर तो सूचना इस समय नहीं दे सकता।

Page No.17



श्री लक्ष्मीचंद : क्या यह ५०) की धनराशि पर्याप्त मानती है सरकार।

श्री दौलतराम सारण : पर्याप्त अपर्याप्त का सवाल नहीं है, दी गई का सवाल था, उसका उत्तर दिया।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह ५०) की सहायता किस आधार पर दी गई ?

श्री दौलतराम सारण : सहायता स्वरूप दी गई है।

श्री अनोपसिंह, (बालोतरा) : जब सरकार सहायता देती है, तो इससे पहले उनके चरने के लिये भी ज़मीन की व्यवस्था को देखती है क्या ?

श्री दौलतराम सारण : यह इस विभाग से सम्बन्ध नहीं रखता।

श्री अनोपसिंह : चरने की जगह है या नहीं, इसकी जानकारी रखने से पूर्व ही आपने सहायता दी तो इसका उपयोग किस तरह हो सकेगा जब चरने की जगह ही नहीं है। यह आपने पहले नहीं देखा ?

श्री दौलतराम सारण : चरने की जगह होगी तभी भेड़ रखते हैं। चरने का स्थान नहीं होता तो भेड़ कैसे रखते ?

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): ऐसा नियम भी है क्या कि एक परिवार के चार व्यक्तियों को एक साथ सहायता न दी जावे ?

श्री दौलतराम सारण : भेड़ पालक जो होते हैं वे अपना एक संगठन बनाते हैं, उस संगठन में कई होते हैं और उसको सहायता दी जाती है। जो भेड़ रखते हैं वे उस संगठन के सदस्य बनते हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह जो संगठन बनाया गया है वह रजिस्टर्ड है या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : भेड़ तथा ऊन विकास विभाग से स्वीकृत संगठन है।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह ५०) की राशि कितनी भेड़ों पर दी गई ?

श्री दौलतराम सारण : यह एक संघ है जिसमें करीब उसके मेम्बर हैं ...

श्री अध्यक्ष : कितनी भेड़ें है इसका जवाब दे दें ?

श्री दौलतराम सारण : सदस्य संख्या १२ है और १२ भेड़ पालक लोगों को यह सहायता दी गई ?

श्री लक्ष्मीचन्द : बारह भेड़ों पर दी गई ?

(हंसी)

श्री दौलतराम सारण : बारह भेड़ों पर नहीं, १२ सदस्य हैं ?

श्री लक्ष्मीचन्द : मेरा प्रश्न यह है कि भेड़ें कितनी हैं ?

श्री दौलतराम सारण : वह जानकारी इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री लक्ष्मीचन्द : अध्यक्ष महोदय, इन लोगों के पास एक भेड़ नहीं है। सरकार ने यह रुपया यों ही दे दिया।

**श्री दौलतराम सारण** : आप जानकारी दे रहे हैं, लिख कर दीजिये। मैं जानकारी करा लूंगा मेरे पास जानकारी थी वह मैंने बतलाई।

### किशनगढ़ पॉवर हाउस से किशनगढ़ वाटर वर्क्स को पावर

६७०. **श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा**, (किशनगढ़) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या किशनगढ़ के वाटर पॉवर वर्क्स ने किशनगढ़ हाउस से अपने लिए पॉवर देने के लिए लिखा है? यदि हां, तो कितने माह बाद वाटर वर्क्स को पॉवर की जरूरत होगी?

(ख) क्या किशनगढ़ पॉवर हाउस वाटर वर्क्स के कार्य संचालन के लिए समय पर पूर्ण रूप से पॉवर दे सकेगा? यदि नहीं, तो फिर वाटर वर्क्स को पॉवर दिये जाने की क्या व्यवस्था की जा रही है?

**उपमन्त्री विद्युत विभाग** (श्री भीखाभाई) : (क) जी हां। करीब ५ माह में।

(ख) किशनगढ़ पॉवर हाउस की वर्तमान विद्युत क्षमता वाटर वर्क्स को पूर्ण रूप से शक्ति देने योग्य नहीं है। वाटर वर्क्स को शक्ति देने के लिए एक नया अतिरिक्त २०० किलोवाट का सैट लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

**श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** : यह ५ महिने के अन्दर लग जावेगा या नहीं?

**श्री भीखाभाई** : कोशिश की जा रही है कि कहीं से सैट लाकर वहां लगाया जाये।

**श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** : इस समय में लग ही जाना चाहिए क्योंकि म्युनिसिपैलिटी ने १२ लाख रुपये लगाकर वाटर वर्क्स की स्कीम बनाई है और अगर प्लान्ट नहीं लगा तो पानी वगैरह सब यों ही रहा जायेगा।

**श्री अध्यक्ष** : श्री बेनाराम गहलोत।

### राणावास से राणावास स्टेशन तक की सड़क को पूरा किया जाना

६७१. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार को विदित है कि ग्राम राणावास से राणावास स्टेशन तक की सड़क का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है? यदि हां, तो कब से और क्यों?

(ख) क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि उस सड़क पर केवल पत्थर ही डाले हुए हैं जिससे उस पर चलने में बड़ी असुविधा होती है?

(ग) उक्त सड़क का कार्य अब सरकार कब तक पूरा करवाने का विचार रखती है?

**गृह मन्त्री** ( श्री रामकिशोर व्यास ) ; ( सार्वजनिक निर्माण मन्त्री की ओर से ) (क) जी हां। मार्च सन् १९५५ से लैण्ड के एक्वीज़ीशन का कार्य पूर्ण न होने के कारण।

(ख) हां, डेढ़ मील में से करीब २ फर्लांग में।

(ग) इस वर्ष समाप्त होने की आशा है।

**श्री बेनाराम गहलोत** :अधूरी क्यों पड़ी है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : लैण्ड एक्वीज़ीशन में देर लगने के कारण ।

**श्री बेनाराम गहलोत** : अब वह सड़क किस जगह से होकर निकालने का इरादा है ।

**श्री रामकिशोर व्यास** : इस साल पूरी हो जायेगी ।

**श्री बेनाराम गहलोत** : मैं पूछ रहा हूं कि अब वह सड़क किस जगह से होकर निकालने का इरादा है । उसी जगह से या दूसरी जगह से ।

**श्री रामकिशोर व्यास** : यह तो अलग प्रश्न है कि किस जगह से होकर जायेगी ।

**श्री बेनाराम गहलोत** : अब निर्णय क्या लिया है सरकार ने ।

**श्री रामकिशोर व्यास** : उसके बनाने का निर्णय लिया है ।

**श्री बेनाराम गहलोत** : मेरा मतलब है अब किस स्थान से होकर निकालने का विचार है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : जैसे एक्वीज़ीशन के बारे में झगड़ा था उसकी प्रोसीडिंग्स कम्पलीट होगी, लिहाज़ा सरकार उसी के माफिक बनायेगी ।

**प्रश्न संख्या ६७२.**

**श्री अध्यक्ष** : श्री दलपतसिंह

( अनुपस्थित )

श्री दयाकृष्ण विजय

( अनुपस्थित )

श्री रुपाराम

**तहसील कोलायत में कृषि सम्बन्धी खर्च**

**६७४. श्री रूपाराम** ( नोखा-सु० ) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

( क ) तहसील कोलायत के लिए कृषि सुविधाओं में ३१–१२–५८ तक कितना रुपया किस किस मद में खर्च हुआ ?

( ख ) तहसील में नियुक्त कर्मचारी ने ३१–१२–५८ तक कितने दिन और कितने गांवों का दौरा किया ?

( ग ) क्या सरकार के ध्यान में है कि उक्त तहसील के काश्तकारों को पता भी नहीं है कि इस कार्य पर कोई कर्मचारी नियुक्त है ? अगर हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में उचित व्यवस्था करेगी ?

( घ ) उक्त तहसील में ३१-१२-५८ तक कितने गांवों में औजार व बीज किन किन कृषकों को वितरित किये गये ? सूची सदन की मेज़ पर रखावें ?

**उप मन्त्री कृषि विभाग** ( श्री दौलतराम सारण ) : ( क ) केवल ५,०००) रु० की धनराशि ट्रेक्टर खरीदने के लिए कर्ज़ के रूप में दी गई ।

( ख ) फील्डमैन तहसील कोलायत ने ११८ दिन में ६३ गांवों का दौरा किया ।

( ग ) सरकार की जानकारी में ऐसा नहीं है ।

( श्री दौलतराम सारण )

( घ ) सूचि संलग्न है । केवल दो औजार बांटे गए ।

( कृपया देखिये परिशिष्ट संख्या १ )

**प्रश्न संख्या ६७५**

**श्री अध्यक्ष** : श्री रामकिशन ।

( अनुपस्थित )

श्री लक्ष्मीचन्द ।

## जोधपुर डिविजन में पुलिस कर्मचारियों को ट्रेफिक अलाउन्स

६७६. **श्री लक्ष्मीचन्द** ( सांचोर ) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:— ( क ) जोधपुर डिविज़न में पुलिस कर्मचारियों को ट्रेफिक अलाउन्स किन किन ज़िलों में दिया जाता है ?

( ख ) ज़िला जालोर में ट्रेफिक अलाउन्स नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं ?

**गृह मन्त्री** ( श्री रामकिशोर व्यास ) : ( क ) जोधपुर रेन्ज के ज़िले पाली, नागौर, सिरोही एवं जोधपुर में ट्रेफिक स्टाफ को ट्रेफिक अलाउन्स दिया जाता है ।

( ख ) यह जालोर ज़िले में नहीं दिया जाता है क्योंकि इस छोटे से ज़िले में ट्रेफिक स्टाफ की स्वीकृति नहीं है ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री गोरधनसिंह केन ।

## भतरपुर नगर की सड़क निर्माण

६७७. **श्री गोरधनसिंह केन** (बयाना—सु, ) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :— ( १ ) भरतपुर नगर की कम्पनी बाग ( विक्टोरिया पार्क ) से सूरजपोल होती हुई केतन दरवाजे जाने वाली सड़क के निर्माण का ठेका किस व्यक्ति के नाम स्वीकृत हुआ ?

( २ ) ठेका स्वीकृत होने की तथा कार्य प्रारम्भ करने की तिथि कौन सी है ?

( ३ ) कार्य कितना सम्पन्न हो गया है ? कब तक समाप्त होने को आशा है ?

( ४ ) इस सड़क के निर्माण पर कुल कितना व्यय होगा ?

**गृह मंत्री** ( श्री रामकिशोर व्यास सार्वजनिक निर्माण मन्त्री की ओर से ) : ( १ ) ठेका किसी व्यक्ति के नाम नहीं हुआ है ।

( २ ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

( ३ ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

( ४ ) करीब १४००० रुपया खर्च होगा ।

**श्री गोरधनसिंह केन** : टेन्डर्स नहीं मंगाये थे क्या ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : किसी को कॉन्ट्रेक्ट नहीं दिया गया ।

**श्री गोरधनसिंह केन** : टेंडर्स हुए या नहीं । मैंने पिछली बार तारीख १२ मार्च १९५८ को इस सड़क के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा था । उस समय भी सार्वजनिक निर्माण मन्त्री महोदय ने यही जवाब दिया था कि काम जल्दी होने की आशा है ।

**श्री रामकिशोर व्यास** : ठीक है तो इसमें क्या बात है। इसमें यह कब कहा गया कि कॉन्ट्रेक्ट दिया गया है।

**श्री अध्यक्ष** : आशा तो अब भी है।

( हंसी )

**श्री गोरधनसिंह केन** : अब यह कहा गया है कि टेंडर्स मंजूर हो गए हैं ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : डिपार्टमेंटली कराने का इरादा है।

**श्री गोरधनसिंह केन** : मैंने जो तारीख बतलाई है उस तारीख में निर्माण मंत्री जी ने यह कहा है कि टेन्डर मंजूर हो गये हैं।

**श्री रामकिशोर व्यास** : वह तो पांच सात सड़कें हैं। आप कौन सी के बारे में कह रहे हैं।

**श्री गोरधनसिंह केन** : जिस सड़क के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा जा रहा है।

**श्री रामकिशोर व्यास** :उसके लिये किसी को कॉन्ट्रेक्ट नहीं दिया गया है।

**श्री भैरोंसिंह** ( श्री माधोपुर ) : फिर क्या यह माना जाये कि टेन्डर्स भी इन्वाइट नहीं किये गये थे ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : यह माना जाना चाहिये कि कॉन्ट्रेक्ट नहीं दिया गया।

**डॉ. बहादुरसिंह** ( धौलपुर ) : क्या यह सत्य है कि टेन्डर्स मांगे गये थे ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : इसको डिपार्टमेंटली करने का इरादा है।

**डॉ० बहादुरसिंह** : तो इसका मतलब यह है कि १२ मार्च को जो सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी ने कहा था, वह असत्य था ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : वह आप समझ लीजिए।

**प्रश्न संख्या ६७८**

**श्री अध्यक्ष** : श्री शंकरलाल।

( अनुपस्थित )

श्री मोतीबाबा

## देसूरी व बाली तहसीलों के छोटे बांध व रापटों की मरम्मत

६७६. **श्री मोतीबाबा** ( बाली-श्री बेनाराम गहलोत द्वारा पूछा गया ) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

( १ ) क्या यह सत्य है कि पाली ज़िले की देसूरी व बाली तहसील में कई छोटें छोटे बांध, रपटें और तालाब टूटे पड़े हैं। उनकी एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

( २ ) सरकार इनकी मरम्मत कराने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

**उप सिंचाई मन्त्री** ( श्री भीखाभाई ): ( १ ) टूटे तालाब, रपटें आदि की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

( कृपया परिशिष्ट संख्या २ देखिये )

# Page No.22



( श्री भीखाभाई )

( २ ) हां, उचित कार्यवाही जारी है।

**श्री वेनाराम गहलोत** : उचित कार्यवाही क्या की जा रही है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : जांच कराने का है। सर्वे का काम है और जहां सर्वे हो गया वहां उसको तैयार करना है आदि आदि ।

**श्री अध्यक्ष** : श्रीमती सतवंत कौर।

### श्री गंगानगर-करनपुर सड़क

६८०. **श्रीमती सतवंत कौर** (करनपुर-डॉ० चन्द्रकला द्वारा पूछा गया ) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

श्री गंगानगर और करनपुर को मिलाने वाली पक्की सड़क अब तक बन कर तैयार क्यों नहीं हुई है व कब तक तैयार हो जायेगी ?

**गृह मन्त्री** ( श्री रामकिशोर व्यास सार्वजनिक निर्माण मन्त्री की ओर से ) : योजनानुसार कार्य चालू है। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में तैयार हो जायेगी।

**डॉ० चन्द्रकला** : तो क्या यह गंगानगर से करनपुर सड़क को बनाने के लिये योजनानुसार कितने साल में बन जानी चाहिए थी या बननी है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : यह योजनानुसार तृतीय पंचवर्षीय योजना में समाप्त होनी चाहिए और उसी समय में पूरी हो जायेगी।

**डॉ० चन्द्रकला** : क्या यह सत्य है कि इस सड़क का टुकड़ा मंगावली कोठी तक बनाने का था और वह काम बन्द है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : जी हां, यह सत्य है।

**डॉ० चन्द्रकला** : क्या योजनानुसार ऐसे ही बनाना था कि एक टुकड़ा बन जाये और फिर निर्माण चाहे जब हो ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : कुछ काम तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में और कुछ काम तृतीय पंचवर्षीय योजना में पूरा होगा।

**प्रश्न संख्या ६८१**

**श्री अध्यक्ष** : श्री रामकिशन।

( अनुपस्थित )

**प्रश्न संख्या ६८२**

श्री वलीमोहम्मद ।

( अनुपस्थित )

डॉ० चन्द्रकला ।

### मुहल्ला जालूपुरा, जयपुर में सफाई की व्यवस्था

६८३. **डॉ० चन्द्रकला** ( किशनपोल बाज़ार, जयपुर ) क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

( क ) मुहल्ला जालूपुरा (जयपुर शहर) में नगरपालिका की ओर से सार्वजनिक सफ़ाई की क्या व्यवस्था है ?

( ख ) क्या यह सच है कि इस बस्ती

Page No.23



( डॉ० चन्द्रकला )

में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं ?

( ग ) क्या सरकार इन कूड़े के ढेरों को हटवाने और आगे से स्थायी सार्वजनिक सफाई की व्यवस्था करेगी ?

**स्वायत्त शासन मन्त्री** ( श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ) : ( क ) मुहल्ला जालूपुरा ( जयपुर शहर ) में नगरपालिका की ओर से साप्ताहिक सफ़ाई का प्रबन्ध किया हुआ है तथा आवश्यकतानुसार विशेष प्रबन्ध किया जाता है।

( ख ) वर्तमान समय में इस बस्ती में कूड़े के ढ़ेर नहीं हैं।

( ग ) सार्वजनिक सफ़ाई की व्यवस्था सदैव ही की जाती है एवं कूड़े के ढ़ेर होने पर शीघ्र ही हटवा दिये जाते हैं।

**डॉ० चन्द्रकला** : क्या सफ़ाई की की। आपने पहले प्रश्न के उत्तर में यह बताया है कि वहां पर साप्ताहिक सफाई का प्रबन्ध किया हुआ है तथा आवश्यकतानुसार विशेष प्रबन्ध किया जाता है। तो मैं पूछना चाहती हूं कि क्या व्यवस्था की हुई है ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : वह तो म्युनिसिपैलिटी के मेहतर सफाई करते हैं।

**डॉ० चन्द्रकला** : यह आप किस आधार पर कहते हैं कि कूड़े के ढ़ेर नहीं पड़े हुए हैं ? क्या आपने जांच करवाई है, अब भी कूड़े के ढेर पड़े हुए है।

**श्री बद्रीप्रसात गुप्ता** : मेरे पास ऐसा ही उत्तर प्राप्त हुआ है।

**डॉ० चन्द्रकला** : अगर यह उत्तर गलत हुआ तो जिस अधिकारी ने यह सूचना दी है उनके खिलाफ आप कदम उठायेंगे ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : अगर आप कहते हैं तो मैं और सफाई करने के लिये कह दूंगा।

**प्रश्न संख्या ९८४**

**श्री अध्यक्ष** : श्री दलपतसिंह।

( अनुपस्थित कृपया आगे देखिए )

श्री तेजाराम गहलोत।

### 'की विलेज स्कीम' के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दी गई जीप गाड़ी

९८५. **श्री तेजाराम गहलोत** (सोजत): क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरकार ने टी०सी०एम० के अन्तर्गत पशु पालन विभाग को 'की विलेज स्कीम' के लिए एक जीप दी है ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या उक्त जीप गाड़ी जिस कार्य के लिये दी गई है उसी कार्य में ली जाती है ?

(३) आज दिन तक इस जीप द्वारा कितना दौरा किया गया है ? लाग बुक की नकल सदन की मेज़ पर रखाने की कृपा करें।

# Page No.24



( श्री तेजाराम गहलोत )

(४) "की विलेज स्कीम" के अन्तर्गत कितनी जीप गाड़ियां हैं और वे कहां कहां पर काम करती हैं ?

**उप मन्त्री कृषि विभाग** (श्री दौलतराम सारण ) : (१) जी हां । दिनांक १८-१०-५८ को टी०सी०एम० ऐड के अन्तर्गत पशु पालन विभाग को एक जीप प्राप्त हुई है ।

(२) जी हां । यह जीप 'की विलेज स्कीम' तथा ऐसे ही मन्जूर शुदा कार्यों में ही काम में लाई जाती है ।

(३) लॉग बुक की नकल सदन की मेज़ पर रख दी गई है ।

(४) 'की विलेज स्कीम' में ६ जीपें हैं जो निम्न प्रकार काम में लाई जाती हैं ।

१. केन्द्रीय कार्यालय में तथा ए०आई० सेन्टर जयपुर में ।

२. बीकानेर की विलेज सेंटर ( वैटेरिनरी कॉलेज़ )

३. की विलेज सेन्टर महाजन

४. ,, ,, ,, जोधपुर

५ ,, ,, ,, अलवर

६ ,, ,, ,, बस्सी

( सूची अत्याधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।

**श्री भैरोंसिंह** ( श्री माधोपुर ) : क्या यह सही है कि इस जीप के प्रयोग के नियम सरकारी गाड़ियों के प्रयोग के सम्बन्ध में जो नियम बने हुए हैं, वही इस जीप पर भी लागू हैं ?

**श्री दौलतराम सारण** : 'की विलेज स्कीम' के अन्तर्गत जो कार्य हैं उन्हीं में यह काम में लाई जाती है ।

**श्री भैरोंसिंह** : कार्य तो पशु पालन का है लेकिन वह किस प्रकार से काम में आई इस सम्बन्ध में जो सरकारी गाड़ियों के नियम बने हुए हैं वह इसके लिए भी लागू होते हैं या नहीं ?

**श्री दौलतराम सारण** : सरकारी हर गाड़ी के सम्बन्ध में एक ही तरह के नियम लागू हैं ।

**श्री भैरोंसिंह** : इस गाड़ी पर भी लागू होते हैं या नहीं ?

**श्री अध्यक्ष** : जी हां, मतलब यही है ।

**श्री दौलतराम सारण** : यही मैं कह रहा हूं ।

**श्री भैरोंसिंह** : इस गाड़ी के सम्बन्ध में सरकारी नियम लागू है या नहीं ?

**श्री दौलतराम सारण** : सरकारी नियम किसी अलग अलग गाड़ी के लिए अलग अलग तरह के लागू नहीं हैं ।

**श्री भैरोंसिंह** : इस गाड़ी के ऊपर ऐसे सरकारी नियम लागू होते हैं या नहीं ।

**श्री दौलतराम सारण** : लागू हैं ।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह माना जाये कि उन नियमों के अनुसार गाड़ी एक दफ्तर से लेकर दूसरे दफ्तर जाने के काम में आती है वह सरकारी नियमों के अनुकल नहीं है ?

**श्री दौलतराम सारण** : एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक सरकारी काम के लिए अगर गाड़ी जाती है तो अनुकूल है।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह सही है कि वैटरनरी हॉस्पीटल से राजस्थान सक्रेटेरियेट दो मील है और लॉग बुक में ४० मील लिखा हुआ है ?

**श्री दौलतराम सारण** : कौन से समय में क्या हैं ?

**श्री भैरोंसिंह** : लॉग बुक में लिखा हुआ है From Veterinary Hospital to Secrctariat-40 miles.

**श्री दौलतराम सारण** : कौन सी तारीख में है।

**श्री तेजाराम गहलोत** : देखिये तारीख १७-२-५६ और इसी तरह····

**श्री अध्यक्ष** : आप इस लॉग बुक की स्क्रूटिनी करा लीजिए। अगर गाड़ी का दुरुपयोग किया हुआ है तो कार्यवाही करा लीजिए।

**श्री तेजाराम गहलोत** : मन्त्री महोदय ने बताया था कि 'की विलेज स्कीम' के मन्जूरशुदा कामों के काम में यह गाड़ी आती है तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन से मन्जूरशुदा कार्य हैं जिनमें यह गाड़ी काम में ला सकते हैं ?

**श्री दौलतराम सारण** : "की विलेज स्कीम" के अन्तर्गत जो भी कार्य होते हैं उनके काम में इसे लिया जाता है।

**श्री तेजाराम गहलोत** : कौन कौन से कार्य इसके अन्तर्गत हैं ?

**श्री दौलतराम सारण** : यह अलग प्रश्न पूछिये। लेकिन ये भी विकास के ही कार्य होते हैं उनके उपयोग में आती है।

**श्री भैरोंसिंह** : क्या यह माना जाय कि "की विलेज स्कीम" की गाड़ी में बैठ कर विधान सभा भवन तक आया जाय तो यह भी "की विलेज स्कीम" का कार्य है ?

**श्री दौलतराम सारण** : यदि "की विलेज स्कीम" के बारे में कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसमें बैठ कर आना चाहिये।

**श्री भैरोंसिंह** : आपने नियम देखे हैं या नहीं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

**श्री तेजाराम गहलोत** : अध्यक्ष महोदय, सरकारी नियम के अनुसार ५ माइल के रेडियस में कोई सरकारी अफसर सरकारी गाड़ी को काम में नहीं लेता। लेकिन इसकी लॉग बुक को देखने से मालूम होता है कि ऑफिस से वैटरनरी हासपिटल तक आने जाने में इसको काम में लिया गया है। इसका फासला २ माइल का है लेकिन ४० माइल का विवरण लॉग बुक में दिखाया गया है। इससे साफ मालूम होता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। क्या मन्त्री जी इन्क्वायरी करके सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लेंगे ?

**श्री दौलतराम सारण** : लॉग बुक की अच्छी तरह से जाच करवाई जायगी और उसमें यदि अनुचित कार्यवाही पाई गई तो ऐसा करने वाले को दंड दिया जायगा।

## जिला बोर्ड जयपुर द्वारा पंचायतों को भवन निर्माण हेतु सहायता

६८६. **श्री रामधन** ( दौसा ) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) ज़िला बोर्ड जयपुर से ग्राम पंचायत भवन निर्माण हेतु तहसील दौसा की किन २ पंचायतों को कितनी २ सहायता मिली है ?

(ख) क्या उनका कार्य पूरा हो गया है अथवा नहीं ?

(ग) क्या सरकार ने उनको हिसाब का आडिट करवाया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**स्वायत्त शासन मन्त्री,** ( श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ): सिंगवाड़ा ग्राम पंचायत को एक हज़ार रुपये की।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं। अभी तक पंचायत द्वारा हिसाब नहीं भेजा गया है।

## तहसील सराड़ा व खेरवाड़ा में सिंचाई योजना का निर्माण

६८७. **श्री देवीलाल** ( सारदा-सु. ) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) तहसील साराड़ा तथा खैरवाड़ा में सन् ५६,५७ व ५८ में सिंचाई निर्माण के लिये कुल कितनी योजनाओं .ी सर्वे की गई और कौन कौन सी योजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है ?

(ख) क्या यह सही है कि आदिवासियों की घनी आबादी होते हुए भी उन लोगों के लिये सिंचाई निर्माण के साधन नहीं बनाये जा रहे हैं ?

**गृह मन्त्री** (श्रीरामकिशोर व्यास) : (क) सूची संलग्न है।

(ख) यह सही नहीं है।

( कृपया परिशिष्टस ३ देखिये )

## भूस्वामियों को बस पर्मिट देने में प्राथमिकता

६८८. **श्री अनोपसिंह,** (बालोतरा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने भूस्वामियों को बस पर्मिट देने के संबंध में प्राथमिकता देने का निश्चय किया था ?

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने भूस्वामियों को परमिट दिये गये ? कृपया सूची सदन की मेज़ पर रखें।

**गृह मन्त्री** (श्री रामकिशोर व्यास, यातायात मन्त्री की ओर से) : (क) नहीं ऐसा कोई निश्चय नहीं किया गया है ?

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**श्री अनोपसिंह** : ऐसा निश्चय नहीं

( श्री अनोपसिंह )

किया गया था तो जो डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी बॉडी और सेन्ट्रल एडवाइज़री बॉडी जागीर की है उसके साथ तय हो गया है और उन्होंने मान लिया है कि प्राथमिकता दी जाय ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : जागीर एडवाज़री बॉडी परामर्शदात्री है, उसने कहा है।

**श्री अनोपसिंह** : उन्होंने जो रिकमेन्डेशन की है उसको गवर्नमेंट ने माना या नहीं ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : गवर्नमेंट के मानने और न मानने की बात नही है परमिट दूसरी बॉड़ी देती है।

**श्री अनोपसिंह** : प्राथमिकता देने के लिये गवर्नमेंट लिख सकती है।

**श्री रामकिशोर व्यास** : पर्मिट दिये भी हैं। लेकिन इसके लिये दूसरी बॉडी है और उसकी सर्टेन कन्डीशन्स होती हैं।

**श्री अनोपसिंह** : कितने पर्मिटस के लिये गवर्नमेंट ने रिकमेन्ड किया ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : रिकमेन्ड करने की बात नहीं है लेकिन ५,७ केसेज़ में दिये।

**श्री अनोपसिंह** : सूची आपके पास हो तो बता दीजिये।

**श्री रामकिशोर व्यास** : इनके नाम हैं : मानसिंह, देवीदानसिंह, राजदानसिंह उदयसिंह।

**श्री अनोपसिह** : कुल कितने आवेदन पत्र आये थे ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : इसकी सूची मेरे पास नहीं है।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या यह सत्य है कि जिन व्यक्तियों को परमिट दिये गये उनको सिफारिश के आधार पर दिये गये ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : रूल्स के आधार पर उनको दिये गये।

## काश्तकारों की खेती के औजारों के लिये लकड़ी की सुविधा

६६५. **श्री दलपतसिंह** ( आबू, श्री अनोपसिंह द्वारा पूछा गया ) : क्या मन्त्री वन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि काश्तकारों को खेती के काम आनेवाले औजार, हल इत्यादि और अरठ के काम आनेवाली लकड़ियां जंगल से काटने में बड़ी असुविधा होती है ?

(ख) क्या यह सही है कि अगर एक दम हल टूट जाए तो वे हरी लकड़ी बिना पर्मिट नहीं काट सकते हैं व उनकी खेती में नुकसान होता है ?

(ग) क्या सरकार ने जंगल से लकड़ी लाने की कतई मनाही कर रखी है ? अगर हां तो सरकार काश्तकारों की इस तकलीफ को दूर करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

(घ) क्या इसी तरह से काश्तकारों को

Page No.28



( श्री अनोपसिंह )

अपने घर बनाने के लिए हरे बांस लाने में भी रोक है ?

**गृह मन्त्री** (श्री रामकिशोर व्यास, वन विभाग की ओर से ) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां। नुकसान का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि पहले से ही पर्याप्त मात्रा में लकड़ी दे दी जाती है।

(ग) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

**श्री अनोपसिंह** (बालोतरा) : इसमें यह पूछा गया है कि मानलीजिये एमरजेन्सी की टाइम में यदि जरूरत पड़ गई तो हरी लकड़ी काश्तकार काट सकता है या नहीं ?

**श्री रामकिशोर व्यास** : इसके लिये रूल्स मौजूद हैं।

**श्री भैरोंसिंह** ( श्रीमाधोपुर ) : आपने कैसे कह दिया कि नहीं काट सकता, हरी लकड़ी काट सकता है ?

**श्री अध्यक्ष** : जंगल में से नहीं काट सकता, खेत में से काट सकता है।

**श्री रामकिशोर व्यास** : इनका प्रश्न जंगल के बारे में है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री दलपतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित)

श्री वलीमोहम्मद।

(अनुपस्थित)

**ग्राम सालगांव तहसील खेदर के पास बांध की संभावना**

९८४. **श्री दलपतसिंह** ( आबू, श्री लक्ष्मीचन्द द्वारा पूछा गया ) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि तहसील खेदर के ग्राम सालगांव के पास एक पानी का बांध बनाया जा सकता है ?

(ख) क्या यह सही है कि इस बांध के बन्धने से पीने के पानी की सुविधा होने के साथ साथ बिजली भी उत्पादित की जा सकती है ?

(ग) क्या सरकार इस बांध की योजना के लिये जांच कराने का विचार रखती है ?

**गृह एवं सिंचाई मन्त्री** (श्री रामकिशोर व्यास ) : (क) तहसील खेदर में सालगांव नाम की कोई जगह नहीं है इसलिये प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

## अतारांकित प्रश्नोत्तर

### राजस्थान नहर की खुदाई का फेज्ड प्रोग्राम

१. (१।यू. एस.) श्री भीमसेन, एम. एल. ए. (१६)-क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राजस्थान नहर की खुदाई का फेज्ड प्रोग्राम क्या है ?

(ख) उक्त नहर योजना में कौन कौन सी तहसीलों के कितने कितने गांव सम्मिलित किये गये हैं ?

उत्तर

(१) राजस्थान नहर की खुदाई का phased program me निम्नलिखित है :—

(क) प्रथम चरण मार्च, १९६२ ई० सिंचते क्षेत्रफल ८. १४ लाख एकड़ )—-

१. राजस्थान फीडर ०।२३ मील ।

२. डाइरेक्ट डिस्ट्रीब्युटरीज़ अट मील २३

३. राजस्थान केनाल ०। ७२ मील

४. सूरतगढ़ ब्रान्च ०। ६३ मील

५. लो लेवल ब्रान्च ०।४२ मील

६. डिस्ट्रीब्युट्रीज़, राजस्थान नहर और शाखाओं पर ।

(ख) द्वितीय चरण : मार्च १९६७ ई०

( २५. ४२ लाख एकड़ ) राजस्थान नहर और उसकी शाखायें ७२। ३१५ मील :टेल:

२. राजस्थान नहर का सर्वे अभी चल रहा है तथा सर्वेक्षण नक्शे अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुये है अत: यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि इस योजना में कौन कौन सी तहसीलों के कितने कितने गांव सम्मिलत किये जायेंगे ।

### गंग केनाल सिंचाई क्षेत्र में काश्त योग्य भूमि

२. (३२३। एच.एम. श्रीमती सतवन्त-कौर, एम.एल.ए. ( १५२ )-क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) ज़िला गंगानगर के गंग केनाल सिंचाई क्षेत्र में कितनी ऐसी भूमि है जो २०० प्रतिशत तक सिंचित की जा कर काश्त की जाती है ? और वह काश्त पुख्ता (मेचोर्ड) भी हो जाती है ?

(ख) यदि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं हैं तो गंगकेनाल में उच्चतम सिंचित क्षेत्र कौनसा है, कितना है, कहां है और उसकी उच्चतम सीमा क्या है ?

उत्तर

१. ऐसी कोई भूमि नहीं है ।

२. उच्चतम सिंचित क्षेत्र गंग केनाल की लालगढ़ नामक छः मासी नहर पर ५७६७४ एकड़ है । उसकी उच्चतम सीमा १०९ % है ।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न समाप्त हुए ।

१२.७.म०प०

### स्थगन प्रस्ताव संबंधी वादविवाद

**श्री श्रीभानसिंह** ( बयाना ) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक एडजोर्नमेंट मोशन था धौलपुर में लॉ एंड ऑर्डर के विषय को लेकर।

**श्री अध्यक्ष** : आपको इत्तला मिल चुकी है। उसके लिये आज्ञा प्रदान नहीं की गई।

**श्री श्रीभानसिंह** : मैं सबमिट करूंगा कि टैकनिकल ग्राउन्ड पर उनको रिजेक्ट कर दिया गया, इन्सटॉन्सेज़ नहीं दिये इसलिये। यदि मैं इन्सटॉन्सेज़ देने लगता तो एक बुकलेट बन जाती। जो किडनैपिंग के केसेज़ होते हैं उनके बारे में हाउस में इन्सटॉन्सेज़ मेन्शन कर देता जो अगर मुझे इज़ाज़त देते। धौलपुर में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है। इसके बारे में वहां से लेटर्स भेजे जा रहे हैं, आदमी छोड़ कर बाहर जा रहे हैं। यह टेक्निकल ग्राउन्ड पर रिजेक्ट कर दिया तो हाउस में कहने की और कोई सूरत नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : टेक्निकल ग्राउंड का प्रश्न नहीं है। आपने कहा कि लॉलेसनेस बढ़ रही है। कुछ दिन पहले डॉ. बहादुरसिंहजी ने प्रस्ताव दिया था, उसके बारे में गृह मन्त्री जी को लिखा है इसके बारे में भी लिखा है। वे जागरूक हैं और आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

**श्री श्रीभानसिंह** : पहले एडजोर्नमेंट मोशन से लेकर आज तक खेद के साथ कहना पड़ेगा कि कोई कदम नहीं उठाया गया, न तो पुलिस फोर्स को डबल किया गया और न पेट्रोलिंग पार्टी का इन्तजाम किया गया और एडजोर्नमेंट मोशन के बाद ६,७ केसेज़ फिर हुए हैं, और कल फिर दो केसेज़ बसेरी तहसील में हुए। यदि इसका परिणाम यह निकलता है तो किस तरह से ध्यान आकर्षित किया जाय।

**गृह मंत्री** ( श्री रामकिशोर व्यास ) : एडजोर्नमेंट मोशन में जो कहा है, असल में धौलपुर और भरतपुर के बारे में कहा है। हमें खुद चिन्ता है और कुछ कार्यवाही की भी है। लेकिन मैंने ओपनली कहना मुनासिब नहीं समझा पब्लिक इन्ट्रेस्ट में कि क्या क्या चीजें की हैं। उनका रिजल्ट निकलने में भी टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि कोई हाथ में चीज़ हो, उसको जल्दी कर लें। हमने स्टेप लिया है, मेरा खुद का जाने का विचार है। हमने एक्शन लिया है और आगे भी लेंगे, उनमें से बहुत सी कहने की नहीं हैं। आपने जो इत्तला दी है, उसके लिए हम जागरुक हैं।

**श्री श्रीभानसिंह** : वहां के एस. पी. ने लिखा है कि फोर्स एडीसनल ग्रान्ट करिये और पेट्रोलिंग के लिए जीप दीजिये। आपने मना कर दिया, फिर किस तरह सरकार जागरुक है।

**श्री रामकिशोर व्यास** : एक फोर्स बढ़ाना ही एक्शन नहीं है। there are so many forms if... अगर फोर्स बढ़ाने की जरुरत समझेंगे तो फोर्स भी बढ़ायेंगे।

**श्री श्रीभानसिंह** : धौलपुर के डेकोइट एरिया को देखते हुए वहां की फोर्स इनएडीक्वेट है, उसको बढ़ाना पड़ेगा।

**श्री रामकिशोर व्यास** : अगर बढ़ाना पड़ेगा तो बढ़ायेंगे।

# Page No.31



श्री **अध्यक्ष** : वे स्वीकार करते हैं।

श्री **भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : कब बढ़ायेंगे ?

श्री **श्रीभानसिंह** : अगर डाकुओं को रोकना है तो जैसी एस. पी. ने डिमांड की है कि एडीसनल फोर्स दी जाय, जीप दी जाय इसे सरकार को करना चाहिये ?

श्री **रामकिशोर व्यास** : मैंने अभी निवेदन कर दिया कि जो स्टेप लेने चाहिये, वे लेंगे।

श्री **सूबेदारसिंह** (बाड़ी) : स्थिति यह है कि ३१ तारीख को पिछले दिनों टेलीफोन आया था, उस दिन होम मिनिस्टर साहब मौजूद नहीं थे, आई. जी. पी. मौजूद नहीं थे, डिप्टी आई. जी. पी. हैड क्वार्टर को टेलीफोन किया, चीफ सेक्रेटरी को सूचना दी है। मैंने सूचना दी है कि दो गैंग धौलपुर में मौजूद हैं, दोनों गैंग के आदमी खुले में गांव में बैठते हैं, उनको कोई डर नहीं है। उन्होंने किडनेपिंग किये हैं और तीन मर्डर कर दिये हैं, यह पोजीशन है। अगर सरकार स्ट्रेन्थ नहीं बढ़ाती है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि किस प्रकार वहां की व्यवस्था करेगी।

श्री **अध्यक्ष** : उन्होंने कह दिया है कि उनके ध्यान में है, सरकार कदम उठा रही है। सम्बन्धित अधिकारियों से बातचीत के ज़रिये अगर सरकार महसूस करती है कि फोर्स बढ़ाना आवश्यक है तो फोर्स बढ़ाई जायगी। इससे माननीय सदस्यों को संतोष होना चाहिये कि सरकार जागरुक है।

श्री **श्रीभानसिंह** : माननीय सदस्यों को कैसे संतोष हो? जो एवेन्यूज मौजुद थे, उनके अनुसार एडजोर्नमेंटमोशन को टेबल कर दिया, आई. जी. पी., डी. आई. जी. पी. को कान्टेक्ट कर लिया। जब माननीय सदस्यों को इसके बावजूद भी निराशा हो तो उनके पास और कोई साधन है नहीं। वहां के एस. पी. की डिमान्ड आ रही है कि फोर्स बढ़ाइये, किसी तरह मदद दीजिये। उसको आई. जी. पी. यहां बैठ कर एग्ज़ामिन करेंगे। तो जो वहां ऑकरेन्सेज़ हो रहे हैं, यह बतायें कि किस तरह माननीय सदस्यों को संतोष होना चाहिए।

श्री **रामकिशोर व्यास** : अभी आई. जी. खुद वहां होकर आये हैं। He has been to Dholpur very recently. डकोइट्स को पकड़ने का कोई काम ऐसा है नहीं कि फौरन से उन्हें पकड़ लें।

डॉ० **बहादुरसिंह** (धौलपुर) : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वे राजाखेड़ा गये थे। वहां उन्होंने किसी व्यक्ति से मिलने का प्रयत्न नहीं किया। वहां आई. जी. पी. गये भी हैं, इसका नागरिकों को, धौलपुर के नागरिकों को मालूम नहीं है।

श्री **सूबेदारसिंह** : मेरी राय पर चलें। मैं बताऊं कि किस गांव में वे मौजूद हैं, किस गांव में दो गैंग मौजूद हैं।

श्री **मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात रख दी है। यह ऐसा मामला है कि जिसमें लोगों को आश्वासन मिलना चाहिये। आप बतायें कि वे किस गांव में मौजूद हैं।

श्री **सूबेदारसिंह** : वे खुले गांव में

( श्री सूबेदारसिंह )

बैठे हुए हैं। वहां के बनियों से सामान लेकर खाते हैं। और रोज़ाना उनको धमकियां दी जाती हैं। पुलिस का जहां का मामला है, हैड कॉन्स्टेबिल छुप कर भाग आते हैं।

**श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : माननीय मंत्री महोदय वहां पर जायं और जनता को आवश्वासन दें कि सरकार जागरुक है और डाकुओं को पकड़ने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं।

**श्री रामकिशोर व्यास** : जी हां, मैं आपसे सहमत हूं। मैं सदन के ज़रिये कन्वे कर देना चाहता हूं....

**श्री भैरोंसिंह** : वहां जाकर आश्वासन दें।

**श्री रामकिशोर व्यास** : मैं आपके ज़रिये और सदन के जरिये...

**श्री भैरोंसिंह** : वहां जाकर आवश्वासन दें तो डाकू उठा कर नहीं ले जायेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : आप सुनिये ज़रा। उन्हें सेन्टेन्स तो खत्म करने दीजिये।

**श्री रामकिशोर व्यास** : मैं सदन के ज़रिये आश्वासन देना चाहता हूं कि वहां वह सब जरूर करेंगे जो करना चाहिए।

**श्री भैरोंसिंह** : आप खुद क्यों नहीं जाते। डाकू उठा कर नहीं ले जायेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : He has himself offered to go.

**श्री भैरोंसिंह** : वे जायं तो डाकू उठा कर नहीं ले जायेंगे।

**श्री रामकिशोर व्यास** : आप खुद चल कर देख लीजिये। आप भी चलिये।

## विधायी कार्य

## राजस्थान नगर पालिका विधेयक १९५७

(अग्रेत्तर खण्डशः विचार–विमर्श)

**श्री अध्यक्ष** : म्युनिसिपैलिटीज़ बिल। क्लॉज़ २६१ मेरे ख्याल में काफी बहस हो गई है।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सीटी) : ऐसी चीज़ है कि इस पर कुछ विचार रखने के बाद ही कुछ निर्णय लिया जा सकता है। कल मैंने बोलना प्रारम्भ किया था उसके बाद....

**श्री अध्यक्ष** : संक्षेप में बोलिये। भाषण पांच मिनिट से ज्यादा नहीं हो।

**श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : अभी तो काफी दिन हैं।

**श्री अध्यक्ष** : क्लॉज़ भी काफी हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : सबको पास कर सकते हैं, एक दो डिस्प्युटेबल क्लॉजेज़ हैं।

**श्री अध्यक्ष** : डेफर्ड क्लॉजेज़ भी हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : अभी तो निश्चित समय के अनुसार पांच दिन बाकी हैं।

**श्री अध्यक्ष** : १० मिनिट काफी होने चाहिए अपने दृष्टिकोण को किसी क्लॉज़ पर रखने के लिए।

क्लॉज २६१

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सीटी) : अध्यक्ष महोदय, म्युनिसिपैलिटीज़ विधेयक में जो क्लॉज़ २६१ है, इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ यह है कि किसी म्युनिसिपल बोर्ड को भंग करने का, सुपरसीड करने का अधिकार सरकार के हाथ में निहित हो। इसमें भंग करने के लिए यह तो मान्य किया गया है कि ट्रिब्यूनल के ज़रिये वह भंग किया जायगा किन्तु फिर भी यह शक्ति ऐसी शक्ति है जिसे सरकार अपने हाथ में रखना चाहती है, वह चाहे ट्रिब्यूनल के ज़रिये भंग करने का काम हो, चाहे किसी और प्रकार से हो परन्तु एक शक्ति सरकार के हाथ में होने से बड़ी भारी दिक्कत सारे राजस्थान के हर मामले में पैदा होगी। इस बड़े कारण से यह विचार करना है कि सरकार के हाथ में यह शक्ति हो या न हो। इसके सम्बन्ध में वहां तक आज तक का अनुभव है कि हम अपने मुल्क के अन्दर एक जनतन्त्र व्यवस्था करना चाहते हैं और जनतन्त्र का ढांचा चुनाव पर रखा गया है। उसके बाद चुने हुए नुमाइन्दे काम करते हैं, उसकी सारी व्यवस्था अपने हाथों में रखते हैं और इस मामले में जो शक्ति सरकार के हाथ में रहती है तो जैसा आठ दस साल का इतिहास है, इस इतिहास में मैंने देखा है कि हर मामले में, चाहे नगर पालिका का मामला है, चाहे पंचायत का मामला है, चाहे और किसी का मामला हो, जहां जहां ऐसे मामलों के अन्दर सरकार को ऐसे मामलों को लेकर अधिकार दिये गये, तो उनका बड़ा भारी दुरुपयोग हुआ है, इससे बड़ी भारी अशांति हुई है। आप गांव में जाइये, या नगरपालिका के क्षेत्र में जाइये, आम लोगों के अन्दर एक धारणा बन गई है, कि जनतन्त्र की रक्षा किसी प्रकार होगी या नहीं। सर्वत्र इस प्रकार की धारणा बनी हुई है। मैं नहीं कहता कि सरकार ने इस दृष्टिकोण से देखा है या नहीं पर यह दस साल का इतिहास है, इसको गहराई के साथ अध्ययन करना चाहिये। इसके बाद अगर हम महसूस करते हैं, कि जिन चीज़ों का अधिकार वाकई हमने इस विधान सभा के ज़रिये आम लोगों को दे दिया है, उसकी रक्षा किस प्रकार से की जा सकती है, उनकी रक्षा करने के लिए कौन से कानून बना सकते हैं, जिससे जो अशांति फैली हुई है, या जो दुर्भावना जनतंत्र के प्रति हर इलाके में फैल गई है, वह किस प्रकार दूर की जा सके। मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार को एक मामूली चीज़ को लेकर किसी क्षेत्र में इतना अधिकार मिला कि वार्ड्स किस प्रकार बनाये जायं, वहां वार्ड्स बनाने में भी दृष्टिकोण रहता है, कि किस प्रकार वार्ड्स बनाये जायं जिससे हमारा आदमी चुन कर आ सके। जातीयता, साम्प्रदायिकता और हर प्रकार के पहलुओं को रख कर वार्ड्स बनाने की कोशिश की जाती है। इसी प्रकार नोमीनेट करने का सवाल आता है, इसमें भी एक मनमाने तरीके का दृष्टिकोण रहता है और जनतंत्र की हत्या होती है। इसी प्रकार से नगरपालिका की डबल मेम्बर्स कॉन्स्टिट्यूएन्सी बनाई जाय या सिंगल बनाई जाय; कितने मेम्बर्स की कॉन्स्टिट्यूएन्सी बनाई जाय, इस प्रकार की जो सरकार की पॉवर्स हैं, इसका भी दुरुपयोग होता है। यहां तक दुरुपयोग होता है कि आम लोगों को नुकसान होता है। इसका एक मात्र कारण यह है कि सरकार के हाथ में शक्ति है। यहां नगरपालिका के मामले में सरकार यह शक्ति रखना चाहती है। जो नगरपालिका को भंग करने का सवाल है, इस

( श्री मुरलीधर व्यास )

मामले में ट्रिब्यूनल को माना है, मामले को ट्रिब्यूनल को भेज सकती है। मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें जिस प्रकार से आपने ट्रिब्यूनल रखा है, यहां पर आप समझ जाइये कि किसी नगरपालिका, जिसके ऊपर सरकार का खुद का प्रभाव है या सरकार के ऊपर ऐसे लोगों का प्रभाव पड़ता है, उस नगरपालिका का डिस्प्यूट हो तो सरकार चाहेगी तो उसको रेफर करेगी ट्रिब्यूनल को, अगर नहीं चाहेगी तो नहीं करेगी। तो अक्सर होगा यह कि सरकार उन चीज़ों को रेफर करेगी, जो विरोधी पक्ष की नगरपालिकाओं की हैं। नतीजा यह होगा कि सरकार के हाथ में शक्ति बनी हुई है, आखिर रेफर सरकार करेगी, वैसे आप देखते हैं कि इन्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट बना हुआ है, पर उसको रेफर करती है सरकार। सरकार चाहे किसी चीज़ को करे। अगर किसी मामले को अपने पक्ष के लिए ठीक समझती है, तो अपने पक्ष के दृष्टिकोण से रेफर कर देती है, अगर पक्ष में नहीं है तो नहीं करती है। नगरपालिका के मामले जितने राज्य सरकार के सामने आयेंगे, तो उनके लिए क्लॉज़ के अन्दर सरकार को बड़ा भारी अधिकार दे दिया है, लेकिन नगरपालिका को भंग करने का अधिकार नहीं रखा है भंग ट्रिब्यूनल करेगी, लेकिन सरकार को अधिकार है मामले को ट्रिब्यूनल को भेजने का। आप अगर मामले भेजेंगे तो उसके अन्दर कार्यवाही की जायगी। इसके साथ ही जो ट्रिब्यूनल रहेगा, वह आपका रहेगा। राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री खुद चेयरमैन बन सकते हैं, डिप्टी मिनिस्टर को चेयरमैन बना सकते हैं या और किसी आदमी को बना सकते हैं। इसके अन्दर इस बात का खुलासा नहीं है कि ट्रिब्यूनल का चेयरमैन रहेगा, वह कौन रहेगा? वह खुलासा करेंगे, इसके अन्दर होगा, वह हाई कोर्ट का ज़ज ट्रिब्यूनल का चेयरमैन रहेगा और उसके जो दो मेम्बर रहेंगे, वे हाई कोर्ट जज़ की हैसियत के आदमी रहेंगे। इसमें कहीं ऐसा मिलता तो ठीक बात है कि मामले पर वहां जाने के बाद कम से कम ठीक ढंग से विचार होगा और ठीक ढंग से फ़ैसला होगा। पहली बात तो वह जाय या नहीं जाय, यह भी अपने अधिकार में रखे जाने के बाद फैसला करने का अधिकार आपके हाथ में वैसे है नहीं पर जिन लोगों को चाहेंगे उस ट्रिब्यूनल में अपॉइन्ट करेंगे और वे आपकी इच्छाओं के माफिक फैसला करेंगे। तो आज गये १० सालों में डेमोक्रेसी में आम लोगों की भावना बहुत बुरी बन गई है और इन १० वर्षों में ऐसी ऐसी अनेकों घटनाएं घट गई हैं कि लोगों के पास चारा नहीं, अपने दिमाग को जनतन्त्र से हटा कर तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं और कहते हैं कि इस जनतन्त्र से तो तानाशाही ही अच्छी थी। तो जो कार्यक्रम सरकार के आज तक रहे उनमें सरकार ने अपनी पार्टी को प्रमुखता दी है, जनतन्त्र को प्रमुखता नहीं दी है। ऐसे उदाहरण सदन में रखे गये हैं। मैं एक ऐसा ही उदाहरण कानोड़ की पंचायत का सुनाता हूं। कानोड़ उदयपुर डिवीज़न में है। कानोड़ में ६ साल से पंचायत में विरोधी पक्ष के लोग जीतते आये हैं, तो ६ साल तक उसको चार्ज नहीं दिया गया। फिर चुनाव में विरोधी पक्ष जीत गया तो गजट में छाया नहीं करवाया, नाम गजट में छाया कराना सरकार के अधिकार की बात है। ७, ८ महीने तक नाम भी गजट में छाया नहीं करेगी।

# Page No.35



( श्री मुरलीधर व्यास )

क्योंकि सरकार देखती है कि विरोधी पक्ष के लोग है, उनको काम का मौका नहीं मिलना चाहिये । जहां इस प्रकार की बड़ी–बड़ी दुर्घटनाएं घटती हैं, विरोधी पक्ष ने लगातार ६ साल तक कनोड़ में पंचायत का चुनाव जीता, उनको आज तक चार्ज नहीं दिया । लोगों के जरूरी कागज़ात रुके हुए हैं, कार्यवाहियां रुकी हुई हैं, पर सरकार ने कनोड़ की नगरपालिका को चार्ज नहीं दिलाया क्योंकि पॉवर सरकार के हाथ में हैं, गज़ट में शाया कराने का अधिकार सरकार के हाथ में है इन पॉवर्स का दुरुपयोग हर जगह होता है ।

जहां तक भंग करने का सवाल है, इसमें और इसके साथ ही साथ जो सुपरसीड करने के अधिकार सरकार ने अपने हाथ में रखे हैं, सुपरसीड करने के अधिकार तो सरकार ने अपने ही हाथ में रखे हैं, वहां तो ट्रिब्यूनल का भी सवाल नहीं है, इसमें तो सरकार चाहे जैसे मनमाने ढंग से कर सकती है । ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिनमें परिवर्तन अवश्य किया जाना चाहिये । १० वर्षों में कई बार इस प्रकार के अधिकारों का दुरुपयोग हुआ है और सरकार खुद मानती है कि वाकई जनतन्त्र के प्रति लोगों में सद्भावना नहीं रही है । तो आम लोगों में जनतन्त्र के प्रति सद्भावना और श्रद्धा पैदा करने के लिये और आम लोगों को अच्छा न्याय देने के लिये इस प्रकार के पावर्स सरकार को अपने हाथ में नहीं रखने चाहिये, स्वयं ही इस प्रकार के अधिकार अपने पास नहीं रखने चाहिये ।

किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि क्या सरकार जनतन्त्र की हत्या कर रही है । मैं हत्या का नहीं कहता पर उसूल की बात है । म्युनिसिपैलिटीज़ को सुपरसीड और भंग करने का अधिकार सरकार अपने हाथ रखती है तो मैं एक बार नहीं १०० बार कहूंगा कि आप जनतन्त्र की हत्या करते हैं । जनतन्त्र इस तरह पनप नहीं सकता । अगर जनतन्त्र को पनपाना चाहते हैं तो निष्पक्ष ट्रिब्यूनल जो हमेशा के लिये निश्चित रूप से ऐसे लोगों का हो जो निष्पक्ष हों । आखिर आपके पास नागरिक ही शिकायत भेजते हैं कि नगरपालिका में इस तरह की गड़बड़ी होती है, उस आधार पर आप जांच करते हैं, ऐसी बात तो नहीं है कि आपको स्वयं को ही वैसे ही मालूम हो जाय और आप जांच शुरू कर दें । नगरपालिका के सदस्य ही चाहे वे किसी पक्ष के हों शिकायत करते हैं तो आप इस तरह का प्रावधान रखिये कि जो सदस्य शिकायत करें वे सीधी ट्रिब्यूनल में ही कर सकें, और नगरपालिका उस शिकायत की जांच करे और जहां देखें कि लगातार बार बार ५ दफा ७ दफा, १० दफा इस तरह की गलती की है तो ट्रिब्यूनल को यह अधिकार देना चाहिये कि उस बोर्ड को भंग कर सकें । अगर सरकार ने ये अधिकार निष्पक्ष ट्रिब्यूनल को न देकर स्वयं ने अपने पास रख लिए और धारा २६१ में हर मामले में सरकार ने परिवर्तन किया तो संविधान के ज़रिये जो आम जनता को अधिकार दिये गये हैं, जनतन्त्र के आधार पर स्वायत्त शासन संस्थाओं का ढांचा ढालना चाहिये हैं, वह नहीं हो सकेगा । सरकार को स्वयंमेव अपने हाथ में यह अधिकार न रख कर अपने आपको गौरवान्वित समझना चाहिये कि हमने यह पॉवर निष्पक्ष ट्रिब्यूनल के हाथ में दिया है, हमेशा के लिये ट्रिब्यूनल तय हो जाय, निश्चित हो

# Page No.36



( श्री मुरलीधर व्यास )

जाय, सारे पॉवर्स सुपरसीड करने के या भंग करने के इस ट्रिब्यूनल के हाथ में दिये जायं नही तो आज नगर पालिका और सरकार के बीच में ही संघर्ष नहीं, जनता और नगरपालिका के बीच में, जनता और सरकार के बीच में संघर्ष चलेंगे। क्योंकि नगरपालिका के टैक्सेज़ के बारे में सरकार की नीति ही इस तरह की है। तो एक ओर तो जनता के दिमाग को समाजवादी बनाया जाता है और दूसरी ओर टैक्सेज़ की ऐसी नीति बनाई जाती है जो जनतन्त्र विरोधी है। आपकी सरकार कहेगी कि हमने टैक्सेज़ के सम्बन्ध में यह नीति अख्त्यार की है इस तरह के टैक्सेज़ इम्पोज़ करना चाहते हैं, नगरपालिका इम्पोज़ नहीं करती है तो आप उसको सुपरसीड कर सकते हैं और इस तरह संघर्ष चलेगा। तो इस तरह आपने अपने हाथों में सारे उसूलों को रख रखलिया है, लड़ने के बुनियादी उसूल हैं उनको भी आपने अपने हाथ में रख लिया है।

तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले में सरकार को चाहिये कि जहां तक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं हैं उनको पूरी तरह आजादी देनी चाहिये और उन पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नही लगाना चाहिये।

टैक्सेज़ के बारे में इसलिये कहता हूं कि बीकानेर का मामला है, मैं उसको ठीक नहीं समझता। आप कहेंगे कि यह टैक्स लगाओ, नहीं तो नगरपालिका का काम नहीं चलता। जनता और नगरपालिका उन टैक्सेज़ को नहीं लगाना चाहती तो आप उस नगरपालिका को सस्पेन्ड कर देंगे। आपकी टैक्सेज़ लगाने की, चुंगी लगाने की नीति समाजवादी नीति नहीं है। समाजवादी नीति तो यह होती है कि चुंगी लगाते हैं तो आदमी की वैल्थ पर लगानी चाहिये, आपका टैक्स आदमी के शरीर पर और जीवन पर लगता है। वैल्थ पर टैक्स लगाना चाहिये पर आपने सारे मामलों में वैल्थ पर टैक्स न लगाकर व्यक्ति पर लगाया है। तो इससे संघर्ष चलेगा और आप इस पॉवर को हाथ में रखेंगे तो समाजवादी लड़ाई का भी अन्त हो जायगा और जनतन्त्र का भी अन्त हो जायगा। आप अगर इन दोनों को जीवित रखना चाहते हैं तो निष्पक्ष ट्रिब्यूनल के हाथ में यह अधिकार रखें।

इस क्लॉज़ को बदल दिया तो जनतन्त्र के प्रति जो लोगों में अश्रद्धा उत्पन्न हो गई है वह मिटेगी और आप स्वयं इस अधिकार को अपने हाथ में ना रख कर ट्रिब्यूनल, एक निष्पक्ष ट्रिब्यूनल के हाथों में यह अधिकार देंगे तो जनता महसूस करेगी, सरकार स्वेच्छा से इस अधिकार को छोड़ रही है।

**श्री शिवचरणदास** (मांडल) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल में २६१ क्लॉज़ इस आशय को लेकर रखा गया है कि यदि बोर्ड अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करता है तो उस पर प्रतिबन्ध रहे और इसके लिये हमारी सरकार ने और माननीय मंत्री महोदय ने इस क्लॉज़ को यहां पर रखा है। एक तरह से देखा जावे तो मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय कि यह ठीक भी है लेकिन जिस ढंग से इसको रखा गया है वह ढंग मेरे विचार से उपयुक्त नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ हम लोकतन्त्र की दुहाई देते हैं और अपनी शक्ति का विकेन्द्रीकरण करने

[redacted]



( श्री शिवचरणदास )

की दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ हम इसके साथ साथ इस प्रकार के बन्धन रखना चाहते हैं, कि वह शक्ति एकतन्त्र में नहीं तो किसी एक दल विशेष के हाथ में अवश्य आ जाए। यदि ऐसा है तो इसे हम विकेन्द्रीकरण करना नहीं कह सकते। अध्यक्ष महोदय, युग की मांग है कि अधिक से अधिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाए और हमारी सरकार इस युग की मांग को लेकर चलती है। लेकिन जहां पर नियम बनाने की बात आती है तो इस प्रकार चलती है जिसमें शक्ति का विकेन्द्रीकरण नहीं होता। इसमें तीन बातें मुख्यतः मिलती हैं। इसमें इसी लिये उन्होंने यह बताया कि हम सबसे पहले इस बोर्ड का अधिलंघन करेंगे और उसकी जांच के लिये ट्रीब्यूनल बिठावेंगे और जांच होकर उसकी रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। इस अधिलंघन में जो व्यक्ति मुकर्रर होंगे उनको सरकार मुकर्रर करेगी और इस बोर्ड की सारी शक्तियां उस व्यक्ति में निहित होंगी। अध्यक्ष महोदय, इस जगह बारीकी से देखा जाए तो स्पष्ट मालूम होता है, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने अपने अपने विचार इस सम्बन्ध में प्रकट किये हैं और बताया कि अगर किसी दल विशेष की म्युनिसिपैलिटी बन जाएगी जिसको हमारी सरकार नहीं चाहती या जिससे हमारी सरकार रूष्ट है तो उसको हमारी सरकार किसी प्रकार से अधिलंघन कर सकती है। इसके लिये कोई व्यवस्था देनी होगी। यदि इसके लिये कोई व्यवस्था यहां पर दे देती तो हम समझ सकते हैं कि यह बात उचित है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की धारा रख कर आप उन पर एक नंगी तलवार उनके सर पर लटकाई हुई रखेंगे और वे जिस प्रकार स्वतन्त्रता से काम करना चाहें नहीं कर सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, अभी कई माननीय सदस्यों ने इस प्रकार की कई बातें बताई हैं और आये दिन ऐसी शिकायतें आती रहती है। मैं अपने क्षेत्र के गंगापुरा की घटना आपको याद दिलाता हूँ कि आज वहां पर १० हज़ार की आबादी है अब १० हज़ार की आबादी में इतने बड़े भारी जन समाज पर इस तरह से कुठाराघात करें उनके अधिकारों पर तो मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, कि यह उपयुक्त नहीं होगा और न जनतन्त्र ही इससे पनप सकेगा। इसको दूसरे शब्दों में या दबे शब्दों में कहा जाए तो एकतन्त्र कह सकते हैं। गंगापुर में जहां एक तरफ सारे के सारे नगरवासी जनतन्त्र को चाहते थे, लेकिन क्योंकि वहां के स्थानीय कार्यकर्त्ता जिनका सीधा संपर्क हमारी सरकार के अधिकारियों से था वे इससे रुष्ट थे तो उस कारण से अन्याय हुआ। मैंने खुद ने माननीय मंत्री महोदय को भी सुझाव दिया। लेकिन अंत में आज भी वही नतीज़ा रहा। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह तो जनतन्त्र के विपरीत धारा है और बिल्कुल लोप करने योग्य है। अगर इसमें यह भी बात होती कि जो अधिलंघन करने जा रहे हैं और जिस व्यक्ति को निर्धारित करते हैं और जो व्यक्ति हो उसमें सारी शक्ति जो भी बोर्ड की हैं उस व्यक्ति में या सरकार में निहित होगी। मैं इससे आपत्ति करूंगा। जिस चीज़ को बोर्ड नहीं चाहता है और उसकी आमदनी आवश्यकता के अनुसार है और बोर्ड यह नहीं चाहता कि नये कर लगाये जावें। इससे रुष्ठ होकर हमारी सरकार अधिलंघन कर देती है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार इस प्रकार उस व्यक्ति के द्वारा अपनी इच्छा को पूरी कर

Page No.38

[redacted]



( श्री शिवचरणदास )

सकती है । यदि आप यह भी लिख देते कि ६ महीनों की अवधि के बाद, प्रथम तो मैं यह माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ६ महीनों की अवधि है वह बहुत ज्यादा है, यह तो एक महीने या दो महीने के लिये होना चाहिये और अधिक से अधिक तीन महीने का रखते, इसके अलावा सारी शक्ति उस व्यक्ति को नहीं देते केवल यही रख देते कि, जब तक यह बोर्ड वापिस काम नहीं करेगा उस समय तक के लिये काम चलाऊ मशीनरी उसके हाथ में रहेगी । किसी प्रकार का नया कर लगाना या कोई नया अधिकार उस व्यक्ति में नहीं होगा । लेकिन सरकार ने ऐसा भी कोई क्लॉज़ नहीं रखा ।

इसी तरह से अब आगे जाकर जो ट्रिब्यूनल बैठाने जा रहे हैं उसमें भी तीन कौन से सदस्य होंगे । इसके लिये मैं समझता हूं कि सरकार इसको भी बताती । मगर इन सब को न बता कर मैं समझता हूं कि सरकार अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने जा रही है । जैसा कि सरकार की, मैं यह कहूंगा कि एक तरह एक पार्टी की कूट नीति है जिसके द्वारा वह अपने विशेष तन्त्र को चलाना चाहती है । वरना अध्यक्ष महोदय, किसी सेशन जज़ को या किसी जुडिशियल ऑफिसर को इसमें रखती तो कोई मानने की बात थी। रही दो सदस्यों की बात, यह समझने की थी। अच्छा तो यह होता कि यह किसी दूसरे नगर-पालिका के अध्यक्ष या दो और कोई सदस्यों को रखती जो इन ६ महीनों की अवधि के लिये मुकर्रर होते । अगर सरकार ऐसा करती तो हम समझ सकते थे कि हमारी सरकार की वाज़िब दृष्टि है ।

अध्यक्ष महोदय ये बातें इसमें नहीं है । यह तीन बातें माननीय मंत्री महोदय जोड़ देते तो मैं समझता हूं कि कुछ समझ में आने की बात थी, लेकिन ऐसा नहीं है । उन्होंने सारी शक्ति सरकार की मर्ज़ी पर रखी है । अध्यक्ष महोदय, रजवाड़ों की बात आती है । इसके लिये मुझे याद है कि उसमें भी सीमाएं हुआ करती थी । जिनके अलग अलग जगह अलग अलग नाम थे जो इस कार्य को संचालन करते थे । लेकिन जो शक्ति थी वह एकतन्त्र में ही निहित थी । उसी प्रकार हमारी सरकार अभी भी चाबी को रख कर एक चाबी अपने हाथ में रखना चाहती है और इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना चाहती है । मैं समझता हूँ कि यह हमारे जनतन्त्र के लिये शोभा की बात नहीं है । इसलिये मैं अपनी राय से आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज़ को लोप कर दिया जावे, जिससे हमारा जनतन्त्र असली स्वरूप में फलीभूत हो सके और सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो सके ।

**श्री लक्ष्मीचन्द** ( सांचोर ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २६१ के बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा । एक तरफ तो हमारी सरकार इस किस्म का ढिंढोरा पीट रही है कि हम स्वायत्त शासन संस्थाओं को ज्यादा से ज्यादा पॉवर्स देना चाहते हैं । क्योंकि वे जनता की चुनी हुई संस्थायें होती हैं, आप चाहते हैं कि जनता को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने हैं । दूसरी तरफ हमारी सरकार इस प्रकार कन्ट्रोल रखती है कि वह जब चाहे तब उन म्युनिसिपल बोर्ड्स को खत्म कर सकती है, डिज़ोल्व और सुपरसीड कर सकती है । जिन व्यक्तियों में जनता का विश्वास होता है, जिनको जनता काफी योग्य

( श्री लक्ष्मीचन्द )

मानती है जिनके जरिये अपना शासन चलाना चाहती है मगर सरकार यह चाहती है, कि उनको सुपरसीड और डिज़ोल्व करने का अधिकार हमको मिले। यह प्रश्न जब खड़ा होता है जहां सरकार की मेज़ोरिटी नहीं बनती या सरकारी कार्यकर्ता अपने मनचाहे व्यक्तियों को नहीं ला सकते, अपनी मर्ज़ी के माफिक गड़बड़ियां नही करवा सकते। वैसी हालत में क्या होगा ? इस प्रकार के क्लॉज़ का उपयोग होगा और इस प्रकार के शस्त्र का प्रयोग करने की सरकार कोशिश करेगी। उनको अयोग्य करार देकर जिनके प्रति जनता की श्रद्धा है। जो जनता का विश्वास प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन सरकारी कार्यकर्त्ता जनता के चुने हुए मैम्बर नहीं चाहते और वे चाहते हैं कि अपने कार्यकर्ता नहीं आ पायें वैसी स्थिति में बस शस्त्र का प्रयोग किया जावेगा और क्लॉज़ २६१ का प्रयोग उस समय होगा। अध्यक्ष महोदय इस किस्म का शस्त्र केवल विरोधी पक्ष के लिये ही उठा सकेंगे। इसमें सरकारी पक्ष किसी प्रकार की गड़बड़ियां कर सकते हैं लेकिन उनके ऊपर इसका प्रयोग नहीं हो सकेगा।

**श्री अर्जुनदास** ( अजमेर पश्चिम ) : On a point of order Sir, Shri Bhairon Singh is doing what he wishes others not to do.

**श्री लक्ष्मीचन्द** : तो अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का शस्त्र जो प्रयोग में आने वाला है वह केवल विरोधी पक्ष की म्युनिसिपैलिटीज़ होगी वहां पर इसका प्रयोग होगा। मैं आपको बताउं, जोधपुर की नगरपालिका में काफी अर्से से गड़बड़ियां चल रही थी, लेकिन चूंकि वह सरकारी पक्ष की नगरपालिका थी वहां की जनता के काफी चिल्लाने पर भी किसी प्रकार की कार्यवाही नही की गई। वहां पर भी इस प्रकार के शस्त्र का प्रयोग करने में देरी की। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि जिस म्युनिसिपैलिटी में विरोधी पक्ष का प्रबल बहुमत होगा, जहां विरोधी पक्ष चुनकर आयेगा वहां इस शस्त्र का प्रयोग होगा इसका परिणाम यह होगा कि जिन व्यक्तियों को जनता ने चुना है लेकिन सरकार के जो मर्जी पसन्द है उनके अनुसार कार्य नहीं करते हैं उनके कार्यों में अड़चनें पैदा करने की कोशिश की जायगी और सरकारी आदमी यह प्रयत्न करेंगे कि जितना जल्दी हो उसको डिज़ोल्व कर दिया जाय। जहां सरकार अपनी मेजोरिटी बना नहीं सकती वैसी हालत में क्या होगा कि जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, जो सही मायने में जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिये आयें है, जिनको जनता ने चुनकर भेजा है, जिन प्रतिनिधियों के ज़रिये अपना प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं वे इस क्लॉज़ के कारण सही तरीके से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेंगे। यह अमुमन उसी हालत में प्रयोग होगा जहां विरोधी दल की म्युनिसिपैलिटियां होगी। परिणाम इसका यह होगा कि प्रजातंत्र की जो दुहाई दी जा रही है जिसकी बातें इस हाउस में की जा रही हैं, वे सब बातें खत्म हो जायगी, वे स्वप्न मात्र रह जायेंगे। मैं तो यह भी कहूंगा कि प्रजातन्त्र को सही रूप से पनपाना है तो आपको इस प्रकार का क्लॉज़ नहीं रखना चाहिये। एक तरफ तो आप चाहते हैं कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो और दूसरी तरफ इस प्रकार का क्लॉज़ रखते हैं इस प्रकार के दो दृष्टिकोण नहीं होने चाहिये। जब आपने प्रजातंत्र में जनता को चुनने का अधिकार दिया है और

( श्री लक्ष्मीचन्द )

आप चाहते हैं कि उन्हीं के चुने हुए व्यक्तियों द्वारा शासन तंत्र चलाया जाय तो दूसरी तरफ आपको इस किस्म के शस्त्रों को अख्त-यार नहीं करना चाहिये। मेरा यह निश्चित विश्वास है कि विरोधी लोगों के साथ इसका प्रयोग होगा। इसलिये माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि क्लॉज़ २९१ का कड़ा विरोध किया जाय।

**डॉ० चन्द्रकला** ( किशनपोल बाज़ार, जयपुर ) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज-स्थान नगरपालिका विधेयक की क्लॉज़ २९१ के सम्बन्ध में जो विलोपित करने की बात कही जाती है, उसका मैं विरोध करती हूं। मैं इस क्लॉज़ का समर्थन करती हुई कहना चाहती हूं कि यह क्लॉज़ यहां पर बहुत उप-युक्त और आवश्यक है। हम भूल जाते हैं कि स्वायत्त शासन स्वतंत्र और एक इकाई होते हुए भी हमारा बहुत बड़ा संगठन है और राज्य का एक अंग मात्र है। इसके अनुसार अपने क्षेत्र में सारी स्वतंत्रता प्राप्त होते हुए भी उन्हें एक प्रकार से राज्य का एक अंग रूप होने के कारण, इससे संबन्धित और इस पर निर्भर रहना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं कि राज्य सरकार इस पर हावी होना चाहती है और इस पर अधिकार करना चाहती है। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि यह क्लॉज़ विरोधी दल के खत्म करने का शस्त्र है। मैं समझती हूं यह उनका भ्रम है। इस क्लॉज़ के अन्तर्गत नगरपा-लिका उस हालत में खत्म की जा सकती है जब एक ओर तो यह मालूम पड़े कि नगर-पालिका अपना काम करने में सक्षम नहीं है। उसकी अक्षमता जब सामने आयगी जब वह काम ठीक प्रकार से नहीं करती हुई पायी जायगी वैसी हालत में यह उचित है कि राज्य को उन नगरपालिकाओं का काम अपने हाथ में लेना पड़ेगा। हम यह सदन में चर्चा कर चुके हैं कि जिन नगरपालिकाओं में काम ठीक प्रकार से नहीं होता है जो अपनी जिम्मे-वारी को नहीं समझती हो, वैसी हालत में क्या हो और उसकी क्षमता के कारण जनता को असुविधा का सामना करना हो ऐसी हालत में राज्य सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि उसका संचालन अपने हाथ में ले। जो नगरपालिकायें अपनी शक्ति का दुरूप-योग करती हैं, जैसा सदन में कई बार कहा जा चुका है, नागौर की नगरपालिका के सम्बन्ध में और सोजत की नगरपालिका के सम्बन्ध में यहां पर उदाहरण के रूप में कहा जा चुका है कि इन नगरपालिकाओं ने अपने अधि-कारों का दुरूपयोग किया। यहां तक हुआ कि नगरपालिकाओं में जो लोग आ गये उन्होंने ज़मीन बेचना शुरू कर दिया और व्यक्तिगत तौर पर उनका दुरूपयोग करना को शुरू किया वैसी हालत में राजस्थान सरकार यदि यह अधिकार नहीं देते हैं तो उन पर किस प्रकार से नियन्त्रण हो सकेगा। अगर नगरपालिकायें ठीक प्रकार से काम करती हैं तो राजस्थान सरकार का हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। जहां तक इस क्लॉज़ का सवाल है मैं इससे सहमत हूं इसके साथ साथ छः महिने का जो सस्पेन्शन का समय रखा है, उसमें वे आगे भी जा सकते हैं लेकिन इस बारे में मुझे कहना है कि जब हम नगरपालिकाओं के अधिकार राज्य सर-कार के हाथ में दे देते हैं उस समय राज्य सरकार यह भूल जाती है कि न केवल अधि-कारों को ले चुके हैं बल्कि नगरपालिकाओं का जो बहुत बड़ा कर्तव्य है और जनता की सेवा करनी होती है उ स सब की जिम्मेदारी

( डॉ० चन्द्रकला )

सरकार अपने ऊपर ले चुकी है ऐसा समझना चाहिये यहां पर तीन बातें बतायी गई हैं उन तीनों शर्तों पर नगरपालिका को डिज़ोल्व कर सकते हैं। आजकल आप जानते हैं कि जयपुर की नगरपालिका राज्य सरकार के हाथ में है यहां पर आज चुनी हुई नगरपालिका नहीं है बल्कि एक प्रशासक द्वारा उसका काम चलाया जा रहा है। जब इस बारे में यहां बात कही जाती है तो जवाब यह मिलता है कि यह तो नगरपालिका का काम है।

इसका उत्तर हम दे देते हैं यह भी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। लेकिन जिस समय सरकार ने नगरपालिका के अधिकार अपने हाथ में ले लिये हैं वैसी हालत में उसके जो कर्त्तव्य हैं उससे सरकार अपने आपको मुक्त नहीं समझ सकती। वैसी हालत में नगरपालिका का जो बहुत बड़ा कर्त्तव्य होता है उसको भी अपने हाथ में ले लेती है। यहां पर हम देखते हैं कि सरकार उसके कर्त्तव्य को अपने हाथ में लेने से उदासीन सी रही है और यदि इस तरह की उदासीनता बरतेंगे, तो शायद यही कारण हैं कि हमारे यहां पर कई एक माननीय सदस्यों के मन में शंका हुई कि इस तरह से राज ने अधिकार अपने हाथ में रक्खे, या हमने इस विधेयक द्वारा ये अधिकार दे दिये कि किसी तरह नगरपालिका को सरकार भंग कर सकतो है तो उनके मन में शंका होने लगती है कि नगरपालिका क्षेत्र का काम चलेगा कैसे? जब नगरपालिका के काम में बड़ी गड़बड़ी होती हैं तो नगरपालिका भंग को जा सकेगी। अगर वह भंग की जावेगी तो खामियों के कारण की जावेगी, तो इसके बाद ऐसी सुन्दर व्यवस्था होनी चाहिये और वहां की जनता को इस तरह का आराम और सारी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिये जिससे जनता यह महसूस न करे कि चुने हुए जनतन्त्रीय संगठन से तो यह व्यवस्था कहीं अधिक अच्छी है। अच्छा है सत्ता राज्य सरकार के नियन्त्रण में आ गई है तो, व्यवस्था तो इसकी उससे कहीं अधिक सुन्दर होनी चाहिए। पर जब यहां भी व्यवस्था की वही हालत देखते हैं, बल्कि और भी बदतर देखते हैं तो समझ में नहीं आता कि कौनसा रास्ता अपनावें। हमने दोनों तरह के अनुभव कर लिये।

आजकल हम जयपुर में सीधे राजस्थान सरकार के नियुक्त व्यक्ति नगरपालिका के एडमिनिस्ट्रेटर के शासन में रह रहे हैं। हमें तो दोनों की हालत एक सी ही दिखाई पड़ती है। उल्टे आजकल तो और भी खराब हालत है। इतिहास में आज पहली बार हम यह देख रहे हैं कि जब राज्य के प्रशासन में दो तीन दिन से शहर की सफाई नहीं हो रही हो सरकार यहां रहती है, मन्त्री महोदय यहां बसते हैं और सरकार के सारे विभाग यहां पर हैं, इन सबके यहां पर होते हुए भी अगर सफ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया जा सके तो आशा नहीं बनती है कि राजस्थान सरकार अगर नगरपालिका की सत्ता अपने हाथ हाथ में ले लेगी, चुनी हुई नगरपालिका को भंग करके तो कोई सुन्दर व्यवस्था नगरपालिका की कर सकेगी।

मैं तो अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा अपनी सरकार से यह निवेदन करना चाहती हूं कि नगरपालिका जब अपने अधिकारों का दुरूपयोग करती है या कोई अनुचित काम

( डॉ० चन्द्रकला )

करती है तब तो उस पर नियन्त्रण का अधिकार सरकार के हाथ में हो, यहां तक तो ठीक है। पर राजस्थान सरकार जब उनको सीधा अपने हाथ में लेती है, तो वह किस तरह काम करती है यह उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार पर होती है। यदि इसको वह अच्छी तरह पूरा करती है तब तो जनता की विश्वासपात्र बनती है, जनता उससे आशाएं कर सकती है। लेकिन जब ऐसी बात नहीं होती है तो शंका होने लगती है। आखिर इसके पीछे सरकार की क्या नीयत हो सकती है और किस तरह से यह सरकार काम करना चाहती है।

जहां तक कर लगाने का सवाल है हम सब जानते हैं कि कोई कर ऐसा होता है जो नगरपालिका के क्षेत्र में राजस्थान सरकार आज भी लगाती है, चुनी हुई होती है तब भी और नहीं होती है तब भी, पर कुछ मामलों में नगरपालिका के अपने अधिकार होते हैं और उन में वह कर लगाती है। पर इसके लिये भी राजस्थान सरकार की सहमति से ही काम करने वाली हैं, अगर इस कानून के अनुसार राजस्थान सरकार अधिकार अपने हाथ में नहीं लेती है तब भी, तो जहां तक इस क्लॉज़ का सवाल है कोई विरोध नहीं है। पर उसे भंग करने के पीछे सरकार की जो भावना हो, जो इरादा हो, जो नीयत हो, उस बारे में जनता का विश्वास होना आवश्यक है। पर भंग करने के बाद भी जो नगरपालिका के कर्त्तव्य हैं; अधिकार तो ले लें भले ही आप, पर उसके कर्त्तव्य भी अपने ऊपर लिया हुआ, सरकार को मानना चाहिये और उनको पूरा करने की ओर पूरा पूरा ध्यान भी देना चाहिये। तभी हम इस बारे में किसी स्वस्थ परम्परा को पनपाने में मदद कर सकेंगे। अगर सरकार अधिकार ही अपने पास लेना चाहेगी और कर्त्तव्यों की अवहेलना करेगी, तो उसका उद्देश्य पूरा नहीं होगा इसलिये मैं तो अपनी सरकार को और विशेष करके अपने मन्त्री महोदय को कहना चाहती हूं कि वह भले ही यह क्लॉज़ पास करा लें, यह तो पास होगा। लेकिन इसके साथ साथ यह जरूर ध्यान रक्खें कि उसे भंग करने की स्थिति में, नगरपालिका के सभी कर्त्तव्यों का पूरी तरह से पालन हो और नगरपालिका के अधिकार लेकर सरकार बता दे कि उनका कितनी संजीदगी, सतर्कता और कठोरता से पालन करके नगरपालिका के क्षेत्र में वह जनता के हितों का ध्यान रखती है।

इतना कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

**श्री अर्जुनदास** ( अजमेर पश्चिम ) : मिस्टर स्पीकर....

**रावराजा श्रीसरदारसिंह** (उनियारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २६१ में जो बोर्ड को डिज़ोल्व करके नगरपालिका की शक्ति सरकार ने अपने हाथ में लेने की जो तज़वीज़ की है, उसका मैं विरोध करने को खड़ा हुआ हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायतों में और नगरपालिकाओं में सीक्रेट वेलट से लोग जनता द्वारा चुनकर आते हैं और इनमें मेरी तरफ के अनुभव पर मैं कह सकता हूँ कि विरोधी पक्ष के व्यक्ति अधिक आते हैं। अब जब विरोधी दल के अधिक होते हैं तो सरकार को चिन्ता

( रावराजा श्री सरदारसिंह )

होती है और इस से चिन्तित होकर वह रास्ता ढूंढ़ती रहती है, कि उनको डिज़ोल्व करके सरकार का अपना एडमिनिस्ट्रेटर आदमी मुकर्रर किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा अकसर मेरे भी देखने में आया है कि सरकार इन जनता द्वारा चुने हुए आदमियों को अपने अनुचित कार्य कराने में बाध्य करती है तो उसमें झगड़ा टन्टा ही रहता है, क्योंकि उनमें न्यारी न्यारी खोपड़ी के आदमी होते हैं। इसलिये सरकार यह ज्यादा सुभीते की बात सोचती है कि एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा तो वह तो जी हुजूर ही होता है जैसा सरकार कहेगी करता रहेगा। तो यह बात देखने में आई है। हाल ही में उनियारा में नगरपालिका सैट असाइड होकर तहसीलदार को एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया है। वह वहां से पांच मील दूर रहता है। वहां कस्बे में म्युनिसिपैलिटी ने पक्की सड़क का निर्माण किया, काम शुरू किया, वह करीब एक फर्लांग दो फर्लांग बन गई तो वहां बड़े बड़े नेता लोग आये और कहा कि पहले विरोधी दल वालों की नगरपालिका थी, उन्होंने ऊपर से सड़क जारी कर, दी इसलिये यह बन्द करके अब एडमिनिस्ट्रेटर को हुक्म दिया जावे कि नीचे से सड़क बननी शुरू हो। इसके ऊपर कस्बे में बड़ा जोर का तूल मचा तो टैक्निकल की राय ली गई और इन्जीनियर ने भी यही राय दी कि जो सड़क बन रही है वह उसी तरह बननी चाहिये। अब एडमिनिस्ट्रेटर ने उसको वैसे ही शुरू कर दिया तो यहां से एक मिनिस्टर साहब ने बुलाकर यह कहा कि भाई हमारे कार्यकर्त्ता यह कहते हैं कि ऊपर से नहीं होनी चाहिये। मैंने स्वायत्त शासन मन्त्री जी से अर्ज किया कि आपने क्या कहा था? वे तो इन्कार हो गये कहने लगे मुझे तो मालूम नहीं। अब कौन से मिनिस्टर साहब हैं? मेरे दोस्त ही होंगे। यह तो एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, तो इस तरह अगर नगरपालिका के चुने हुए आदमी होते तो कभी नहीं मानते।

अब दूसरी मेरी बात यह है कि सरकार किस तरह डिज़ोल्व करने की कोशिश करती है इसका एक नमूना बतलाता हूँ। मेरे क्षेत्र में देवली है। वहां अभी नयी तहसील दूनी से उठकर आई है। जहां देवली पंचायत भी है और म्युनिसिपैलिटी भी है। जहां केन्टोनमेन्ट एरिया था वहां नगरपालिका है, बाकी पंचायत है। उस नगरपालिका का आज से एक साल पहले चुनाव हुआ और एक दो महीने बाद ही उसको डिज़ोल्व कर दिया और अब वहां ११ महीनों से चुनाव ही नहीं हो रहा है। और वहां के तहसीलदार साहब ही एडमिनिस्ट्रेटर बने बैठे हैं। तो ऐसी शक्ति सरकार अपने हाथ में लेती है तो या तो कोई माकूल वज़ह बतावें या छ महीने में चुनाव करादे और उनके रिप्रेजेन्ट करने के बाद में डिज़ोल्व करना चाहिये तब तक वही कार्य करते रहना चाहिए।

**श्री अर्जुनदास** ( अजमेर पश्चिम ) : मिस्टर स्पीकर....

**श्री अध्यक्ष** : मिस्टर जोशी।

१ म० प०

**श्री नरोत्तमलाल जोशी** ( झुंझनूं ) : We are seeking discussion on Section 291 of this Bill. This refers to some

# Page No.44



( श्री नरोत्तमलाल जोशी )

provisions wherein the Government can supersede or dissolve the Municipality. A doubt was raised by some member yesterday that the two provisions 'dissolutions' and 'supersession' they are identical.

**श्री भैरोंसिंह** : There is no quorum.

**श्री नरोत्तमलाल जोशी** : Pardon ?

**श्री भैरोंसिंह** : There is no quorum.

( गण पूरक घंटी के पश्चात पुनः )

**श्री नरोत्तमलाल जोशी** : So a doubt was raised by an Hon'ble member yesterday about the dissolution and supersession. I was also rather confused as to the vocabulary used in this clause. I will deal with all these provisions later on but I want to say some thing about this clause. These are the emergency powers given through the Legislature to the Treasury Benches, that is the Government, where by if a Municipality is unable to perform its functions after being given enough time, and when these Municipalities are unable, the State Government by appointing a tribunal investigates into it and then accepts the decision of the Tribunal, and when it accepts the decision of the tribunal it either allows the Municipality to continue or looking to the reasons specified in the decision of the tribunal dissolves that Municipality. So when the dissolution is ordered, it ends the elected Municipality and a fresh election is ordered. While in supersession, the Government, by its super power supersedes Municipality and replaces its own authority. So these powers are given to the State Government in case there is any emergency and the Municipality is unable to perform its functions. We have to see whether these clauses, these powers are very often used by the Government and in what way they are used ? If they are used with a view to victimise the opposition then there is no use to give these powers to the State Government. If these powers are used in a judicious manner then I may say that they should be given and they should be used where the necessity arise. But we have to take into consideration the specific circumstances in which we are running our democracy. Panchayats and Municipalities-these are the basic institutions of the democracy. These are the small units of the democracy and unless they are made to run efficiently and perfectly, I think the whole structure of democracy will be incomplete, These are the small units of democracy efficiently and unless they are strengthened, and made so solid to bear the weight of the democratic structure, we shall not be able to run the democracy. So these emergency powers should not be used inorder to curtail the small institutions like the panchayats, Municipalities. Where

( श्री नरोत्तमलाल जोशी )

there is a misuse of funds or there is a misappropriation of funds, or there is a misuse of selling lands, I think the State Govt. after making enquiry into the matter will be perfectly justified to supersede these Municipalities.

But I was surprised to see a further amendment. I may say Sir, that this Bill was passed by the previous Assembly but the consent of the President was not taken and so some complications arose and thereafter the merger of Ajmer took place and so we are again considering this Bill clause by clause. After a heated discussion over these clauses by the various members a decision was arrived at and we came to the conclusion of drafting a new clause. But further amendment was moved by the Hon'ble member incharge of the Bill and this came to me as a surprise. It is that the Government wants to reappoint the same members, I fail to understand by superseding a Municipality which has been elected by the public, we want to appoint, constitute a Municipality of our own. That is against the principles of democracy. If the elected members are superseded, the only people who can come in their place, are the people elected by the public. If the Government nominates in their place, we will not be doing justice to the cause of democracy, Besides nowhere in this Bill we have a provision for a nominated or reappointed Municipal Committee. It is true that the State Government has a superior power over the Municipal Board but in the same strain we have to see that if there are circumstances where the Municipal members are not acting according to the public interest, then in the following election they will not be returned and that is the only way of democratic way of life. Because those people who do not act according to the wishes of their constituants, they are defeated at the polls and so if the municipal members don't act according to the wish of the people, they will be defeated. So this power of dissolution or supersession has to be exercised very rarely. I may say, Sir, that there are provisions in almost all the Municipality Acts that if the institutions don't act in a way which is desired of them, they can be superseded. But these are very rarely exercised. It is mostly regarded as a dead law and the provisions are never exercised. I accept that to some extent it is also the responsibility of the Government but we have to see that there are rights of people who are elected by the people and these rights cannot be supers eded. As regards the word 'supersession', the dictionary meaning says :-

Supersede:-to take the place of by reason of superior right power etc. to make useless by superior power, to come or put in the room of, to replace,

( नरोत्तमलाल जोशी )

to displace set aside, render unnecessary.

So by superseding the municipality it implies that the State Government will re appoint some body to work in its place and in the Bill if we read clause 3 (a), it says.

"(3) When a board is dissolved under sub-section (1), the following consequences shall ensue :-

(a) all members of the board including the chairman and the vice-chairman shall, on the date specified in the order of dissolution under clause (a) of sub-section (1), vacate their respective offices but without prejudice to their eligibility for re-election,

So also in clause (4).

So in addition to this 're-election' the Hon'ble Minister has brought forward an amendment to insert 're-appointment' after it. I was surprised to see that when the board is superseded, how can there be a re-appointment unless the members are re-elected ? Formerly there was a provision that when once a Board was superseded or dissolved, the only course was that the elections might be ordered and fresh board should be constituted. But if we accept the amendment tabled by the Hon'ble Minister, I think there will be a total negation of all the democratic principles and this amendment should be withdrawn.

As regards the clause as it is, I have no objection to it because these clauses exist in all the Municipal Acts and they are only considered as dead laws or sleeping provisions and they are rarely used. If, however, they are used, as doubt has been expressed by some of the Hon'ble Members, just to victimise the opposition, then I think there is no other way but to tolerate these things because instances are not lacking where so many enquiries are pending against the Municipalities and Municipalities are being superseded without any rhyme or reason and there only recourse is to go to High Court.

So my submission is that the amendment tabled by the Hon'ble Minister should be withdrawn and the clause as it is, should be accepted.

**श्री अर्जुनदास ( अजमेर पश्चिम ) :** Mr. Speaker Sir, I believe in this Bill the funniest clause possible is 29I. Apart from being funny on the whole, the Bill consists of various other funny clauses, this clause comes on the top of it. Who is being given the power to take the decision ? The powers are being given to the Government, and on the floor of this House and even outside we know that it is an open secrete that the Government has been able to earn atleast one reputation. They have been able to earn the reputation that they do not go by the correctness of a matter but they can go only by the decision of their own group within the party, or they try to please their 'marzidans' only. Some

( श्री अर्जुनदास )

of thme are able to catch the eye of the Minister-in-charge of the Bill. And then for adding injury to it we are being told that the hon'ble Minister practically shall be the autocrat ruler of the democratic institutions in the State and his word shall be the last word on the subject.

I understand Sir, so far as Ajmer Municipal Regulation Act is concerned, the Government has been given powers to remove any office-bearers. if he is found inefficient or misbehaves in his duties. The Collector of Ajmer has reported against the present senior Vice-Chairman and has requested the Government that he be removed from his office. Number of months has passed away..

( श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता के किसी सदस्य से बात करने पर )

I am afraid the hon'ble Member-in-charge of the Bill probably did not hear what I said. Therefore, I repeat it for his advantage only. The Collector of Ajmer has reported against the present senior Vice Chairman, Shri Zahoor Ahmed, saying that he shonld be removed from his office as early as possible. Number of months have passed away, but the Government is not taking any decision. Why so ? The reason is not difficult to find out. The reason is that he happens to be one of the 'marzidans' of the Hon'ble Minister concerned. If he is not guilty of misbehaviour then the Government can give a decision that he has not misbehaved: but they are not taking any decision one way or the other, because the Government knows that this Vice Chairman has been guilty of mis-conduct and misbehaviour.

श्री ज्वालाप्रसाद ( नसीराबाद ) : On a point of order Sir. As a matter of fact in the High Court contempt of court proceedings and other things are pending. Can he refer to this case ? I will give all the details and then I should also be allowed.

श्री अर्जुनदास : Sir, I have always been of the opinion that little knowlege is dnngerous thing...

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : Who is Vice-Chairman at Ajmer ? Whether the Hon'ble Member who is objecting to the speech or Shri Arjun Das ?

श्री ज्वालाप्रसाद : I am not Vice Chairman. The House should know.

श्री अध्यक्ष : No reference should be made to any particular instance about Vice Chairman or any other Chairman. You may please confine yourself to the clause in issue.

श्री अर्जुनदास : So Sir, I was only saying that little knowledge is rather a dangerous thing, but I was not so sure of this propositions till I heard the Hon'ble Member speak on the floor of the House...

श्री अध्यक्ष : You repeated it more than once and made it clear.

# Page No.48



श्री ज्वालाप्रसाद : He knows that there is a writ petition .

श्री अध्यक्ष : Order, order. I will not permit any discussion of that writ petition and what happens in Ajmer Municipality.

श्री अर्जुनदास : Sir, I will certainly be entitled to refer to these instances so that I may strengthen my plea. I have only used that example to strengthen my argument. So I was suggesting that for number of months the Collector has been writing...

श्री अध्यक्ष : This is the third time you are repeating. You could strengthen your argument with its help, but you should not make a theme of it.

श्री अर्जुनदास : Because I was broken in the speech, so just to keep the continuity, Sir, I had to repeat it.

श्री अध्यक्ष : Continuity does not mean...

श्री अर्जुनदास : Sir, I will be satisfied to say that the Government has nott taken any decision and the Government will not take a decision throughout the life of the Municipal Committee or till the Hon'ble Member from Nassirabad happens to take his decision the other way about. So on this point also I am strengthening my argument by saying that one of the members of the Municipality Shri H. R. Mehta has submitted his resignation from the Municipality since more than a year back...

श्री अध्यक्ष : Now how is that relevant ?

श्री अर्जुनदास : I am only trying to show that the Government itself is misbehaving.

श्री ज्वालाप्रसाद : This fact is wrong. I know it.

श्री अर्जुनदास : You know it probably because you may have passed over it or probably he is taking more indulgence.

श्री अध्यक्ष : I think you are also in the same boat.

श्री अर्जुनदास : मैं भी अपनी आदत से मजबूर हूँ और वे भी अपनी आदत से मजबूर हैं।

डॉ० बहादुरसिंह ( धौलपुर ) : दोनों अपनी आदत से मजबूर हैं।

श्री अध्यक्ष : That we know very well.

श्री अर्जुनदास : So I was only saying that Shri H. R. Mehta has submitted his resignation more than a year back but it has not seen the light of the day because the senior Vice Chairman has kept it under his thumb and is not forwarding it to the Collector. The Government knows it.

श्री ज्वालाप्रसाद: There is no such resignation to which he is referring. I don't want that...

**श्री अर्जुनदास** : फिर अपनी आदत से मजबूर हैं। Sir, he is showing extra 'majburi'.

**श्री ज्वालाप्रसाद** : At least you must say truth.

**श्री अध्यक्ष** : Please don't discuss amongst yourself. I have said that we are not discussing the affairs of Ajmer here.

**श्री अर्जुनदास** : He probably thinks that he is autocrat in Rajasthan.

**श्री ज्वालाप्रसाद** : I object to it Sir. The Hon'ble Member says that I am an autocrat.

**श्री अध्यक्ष** : The Hon'ble Member should not use such words.

**श्री अर्जुनदास** : 'Autocrat' नहीं कहूं तो क्या कहूं ? इससे अच्छा शब्द मेरे पास है नहीं साहब।

**श्री अध्यक्ष** : You should stick to the point.

**श्री अर्जुनदास** : I don't go wide off the mark. Anyway, I think my purpose is served. I was only saying that the present Government, after we have a careful look at it, has an attitude that we cannot trust it and if there are people who can challenge the sincerity of the Government, how can we entrust that Government with this probelm and expect that they will rise equal to the occasion and do something which we cannot expect of them. When we cannot expect any honest decision from the Government, then why give them wide powers and big opportunities so that they can practically do whatever they like and the other party having no right to challenge it ?

The funniest part of the clause is that there are two things, 'dissolutionl' and 'supersession.' The milder of the two is 'dissolution' because after dissolution another election takes place, but in supercession elections remain in abeyance. Therefore, supersession is much harder than dissolution, but what we find in this Bill is that so far as milder thing is concerned, there shall be a tribunal to enquire in the case but for Harde thing no tribunal and no enquiry. It is only the sweet will of the hon'ble. Minister concerned. If he wants to take harsher step he will not appoint any tribunal and if he wants to take a milder step, that is dissolution, he shall be bound to appoint a tribunal. So between the two if the hon'ble. Minister wants to take milder step he has got to appoint a tribunal and I believe the Hon'ble Minister-in-charge of the Bill has some sense about this. Why should he appoint any tribunal when he can straight away have something harsher and have supersession rather than dissolution. When we see that supersession can be done without the matter being referred to any enquiry committee, I think this is the height of anything that we can possibly imagine.

( श्री अर्जुनदास )

Therefore, the first thing I would suggest to the Hon'ble Minister is that if he means that for the purpose of dissolution there should be an enquiry committee to give a report, then there is a greater reason that for supersession there should be an enquiry. But in the whole clause we find that forS upersession no tribunal may be appointed. I will certainly submit that the two things cannot be differentiated on this aspect. I expect the Hon'ble Minister will be able to see the reason that I am putting forward that if dissolution must have an enquiry the supersession on the contrary demands much more enquiry. Therefore, I expect that both these things shall be put on the same level and enquiry committee made obligatory for both the items.

Then about the new amendment suggested by the Hon'ble Minister, I may say that by this amendment immediately after supersession, the Minister can appoint those very members or some of them, nominate them on a committee set up by him. That is the worst part of it. When you find the committee not fit enough to carry on its duties and supersede it, then how can you appoint those very members on the nominated committee? Do you want to expose yourself to this charge that you want to keep all the powere to yourself. You want to tell the members in the committee that they must abide by your wishes and that those who are not able to catch your eye, shall be removed and the rest shall be nominated on the committee. I think that can be the solitary reason behind this provision. There cannot be any other reason behind it.

Therfore, this amendment moved by the Hon'ble Minister in-charge of the Bill is certainly not worth the cosideration. It is motiviated by reasons which atleast I am not prone to call honest reasons and we should not accept that amendment.

Another point that remains is that what will be the position supposing misbehaviour is proved against the party in power or some members who happen to be in the good books of the Hon'ble Minister-in-charge ? What will be the position then ? Does the other party get any opportunity of forcing the Government to get an enquiry committee appointed or not ? There we get the lacuna. So I would only suggest that if a enquiry committee or tribunal has to be appointed by the sweet will of the Hon'ble Minister, then there should be some provision by which those who are not in the good books of the Hon'ble Minister should be able to get an enquiry committee appointed and look into the mis-conduct of the members who are in the good books of Hon'ble Minister-in-charge, who are 'marzidans' of the Minister-in-charge.

**श्री भैरोंसिंह** : What do you mean by 'marzidan'?

**श्री अर्जुनदास** : At present we know there is one hon'ble member

( श्री अर्जुनदास )

who is 'marzidan' of the hon'ble. Ministers....

**श्री ज्वालाप्रसाद :** I take very severe objection to this remark in the House.

**श्री अर्जुनदास :** 'Severe' objection ?

**श्री ज्वालाप्रसाद :** Very serious objection to this. I say he is using word 'marzidan' and he is referring to me. This should be expunged. I should say that I am marzidan of masses, while the Hon'ble Member is not.

**श्री अर्जुनदास :** I would only submit that Hon'ble Member did not contradict this statement, but when I said that he is one of the 'marzidans' of the Hon'ble Minister-in-charge, he did not appreciate the thing. But he did certainly appreciate the factum of it.

I was only making "स्पष्टीकरण"

**श्री अध्यक्ष :** अब और स्पष्टीकरण मत करना साहब।

Have you finished !

**श्री अर्जुनदास :** Thank you, sir.

**श्री ज्वालाप्रसाद** ( नसीराबाद ) : माननीय अध्यक्ष, इस क्लाज के ऊपर जो विचार व्यक्त किये गये हैं माननीय सदस्यों द्वारा, उसमें दो तीन बातें पहले से ही मान ली गई हैं। एक तो यह कि मिनिस्टर गवर्नमेंट नहीं है। एक यह है कि मिनिस्टरी एक पार्टी की है और इसके बाद एक अविश्वास के साथ इस क्लॉज़ पर बराबर विचार हो रहा है, तो मैं पहली मर्तबा यह साफ कर देना चाहता हूं कि जहां हुकूमत का सवाल आया है हुकूमत को ताकत देने की बात आई है, इसका मतलब यह है, कि गवर्नमेंट उसको सोच कर तय करती हैं और जरुरत के माफिक गवर्नमेंट का एक्शन होता है। उस वक्त जो गवर्नमेंट होती है, वह इस हाउस को रिप्रेजेन्ट करती है, वह गवर्नमेंट राजस्थान को कहलाती है और सारे राजस्थान पर हक रखती हैं और सारा राजस्थान उस पर विश्वास करता है, तो उस पॉवर से न मिनिस्टर करता है और न उसकी लाइकिंग करती है। तो महज इस तरह के नोटिस फिजा पैदा कर के इस क्लॉज के खिलाफ आर्ग्युमेंट पेश किये जाते हैं।

मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस पर गम्भीरता से विचार करें, जहां तक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सवाल है स्टेचुटरी पॉवर गवर्नमेंट के साथ रहती हैं, यू. पी. में भी इसी तरह का है। पर यहां यह कल्पना नहीं की जा सकती, कि किस मौके पर वह इमर्जेन्सी आयेगी।

**श्री अर्जुनदास** ( अजमेर पश्चिम ) : ......Why 'Kalpana'? Give us realities. We are not interested in 'kalpana'.

**श्री ज्वालाप्रसाद :** मुझे बोलने दीजिए। सुपरसीड करने का मौका कई दफा अजमेर में भी आया, किस सूरत का मौका आता है, जहां तक मिसबिहेवियर का प्रश्न है. वहां दो बराबर डिज़ोल्यूशन के पॉवर रखे हैं कि वहां उनसे एक्स्प्लेशन मांगते है और सेटिस्फेक्टरी एक्स्प्लेशन आता

(श्री ज्वा लाप्रसाद)

है तो डिजोल्यूशन नहीं होता है और वही बोर्ड काम करता रहता है पर कई स्थिदियां होती हैं, जहां सुपरसीड करना लाजिमी हो जाता है, जैसे कोई एपेडेमिक बीमारी आ जाती है, जिसको कि बोर्ड कन्ट्रोल नहीं कर सकता तो उस बीमारी को, एपेडेमिक को कन्ट्रोल करने के लिये सरकार को अनिवार्य हो जाता है, कि सुपरसीड करे। उस स्थिति में अगर डिज़ोल्यूशन की कार्यवाही की जाय और एक्स्प्लेनेशन काल करे, बोर्ड का एक्स्प्लेनेशन आय तब तक सरकार क्या बर्दाश्त कर सकती है कि उस एपेडेमिक से सारा शहर साफ़ हो जाय। इस तरह की स्थितियों में गवर्नमेंट के लिये इस तरह के पॉवर्स की जरूरत है, और हमें इस तरह के पॉवर्स गवर्नमेंट को देने चाहिये।

दूसरी स्थिति और दूं बताता कि बोर्ड के फाईनेन्सेज़ इस तरह कम हो गये हैं कि उस चीज़ का, उस इमर्जेन्सी का सामना वह नहीं कर सकता और अपना खर्चा चलाने के लिये वह टैक्सेज इम्पोज नहीं करता है वहां कहा जाता है कि डिजोल्यूशन की बात नहीं करें, पर इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है तो मैं सरकार का आज के जमाने में कर्त्तव्य समझता हूं कि इस तरह की कार्यवाही करें क्योंकि बिना टैक्सेज़ के म्युनिसिपैलिटिज़ का काम नहीं चल सकता। आज कहीं भी टैक्सेज़ का सवाल आता है तो डेपुटेशन्स आते हैं, जोधपुर में, बीकानेर में टैक्सेज़ का सवाल आता है तो डेपुटेशन्स आते हैं, जयपुर में टैक्सेज़ का सवाल आता है तो डेपुटेशन आता है, लोक उनको भड़का कर भेजते हैं कि जा कर कहो कि हम टैक्सेज़ नहीं देना चाहते, व्यापारी वर्ग जो कि वेस्टेड इन्ट्रेस्ट है, वह टैक्स नहीं पे करना चाहता। हालांकि जनता से उनकी मार्फत टैक्स वसूल होता है, पर पहली मांग यह करते हैं कि हमको चुनी हुई म्युनिसिपैलिटी दो हम खुद टैक्सेज लगायेंगे पर राजस्थान में देखा जाता है कि जहां चुनी हुई म्युनिसिपैलिटीज़ हैं वह टैक्स का नाम नहीं लेती। और फिर देखा जाय तो ५, ७ रुपया पर हैड से ज्यादा यह टैक्स नहीं है, जयपुर में जहां की आबादी ५ लाख है वहां यह टैक्स ५ रुपया पर हेड है, जहां टैक्सेशन एन्क्वायरी कमेटी ने सिफारिश की है कि टैक्स १५ रुपया पर हैड होना चाहिये तो जिन म्युनिसिपैलिटीज की फाईनेन्शियल कन्डिशन बिलकुल खराब है शहर की सफाई के लिये भंगी रखे नहीं जा सकते तो इस तरह की स्थितियों में शहर की जिन्दगी खतरे में पडती है, तो सरकार के लिये जरूरी हो जाता है, कि ऐसी इमर्जेंसी में बोर्ड को सुपरसीड करे। तो इस तरह की तस्वीर खींच कर सदन में इस तरह की फिजापैदा की जाती है, जो सरकार कि रिप्रेजेन्टेटिव सरकार है उस पर हमें विश्वास नहीं, हर क्लॉज पर बहाना लगा लेते हैं कि बेईमान हैं वे लोग जो हकूमत मतमें बैठे हैं, बेईमान है वह पार्टी। मैं समझता हूँ यह कि कानून और पार्टियों के लिये भी है, कल जो लोग यहां बेठे हैं वे वहां जा सकते हैं और वहां वाले यहां आ सकते हैं फिर उनको पता चलेगा कि काम किस तरह चलाया जाता है।

मैने पहले भी सदन में कहा था और आज फिर इस बात पर जोर देता हूं कि जो आदमी सदन में जवाब नहीं दे सकते, उनके बारे में कोई भी बात कहना चाहें तो उनका फ़र्ज़ है कि लिखित में चीज़ दें, मिनिमम उनको कह देना चाहिये कि

( श्री ज्वालाप्रदास )

नाम देना पड़ेगा, कौन इन्वोल्व्ड हैं यह सारे फैक्ट्स देने पड़ेंगे। और अगर गलत बात कही जायगी तो उसका कुछ न कुछ कन्डेम्नेशन होना चाहिये, झूंठ तो नहीं चलना चाहिये, इसके लिये मैंने पहली दफा भी अध्यक्ष महोदय, प्रार्थना की थी....

**श्री अर्जुनदास** : सत्य हुई तो ?

**श्री ज्वालाप्रसाद** : Let me say. You sit down.

इसका कुछ न कुछ होना चाहिये। मैं बराबर देख रहा हूं कि बार बार इस तरह की बातें कही जाती हैं, तो मिनिमम के लिये तैयार होना चाहिये। सदन के कोने से कुछ भी कहा जा सकता है उस पर एक्शन नहीं लिया जा सकता पर जो झूंठ कहा जाय उसके लिये तो कुछ न कुछ होना चाहिये। यहां के लोगों को भी कानों की आजादी दें। तो मैं अध्यक्ष महोदय निवेदन करूंगा कि हमारे कानों को सुनने की आजादी दी जाय हम सच्ची बातें सुनना चाहते हैं, झूंठ बातें नही सुनना चाहते इस सिलसिले में हमें प्रोटेक्शन मिलना चाहिये।

रेज़िग्नेशन की बात बिल्कुल गलत है, कन्डिशनल रेज़िग्नेशन था, कन्डिशनल रेज़िग्नेशन इज नो रेज़िग्नेशन, वह जो फैक्ट्स हैं, उस पर बराबर फाइट कर रहा है। एक वोट से आप हार गये। दावा करने का नोटिस दिया है, मैं सही बात नहीं कहता हूं तो डिनाई करें कि दावा नहीं किया एक लाख रुपया देने का...

**श्री अर्जुनदास** : On a point of order Sir, On a point of order Sir..

( कुछ क्षण तक श्री अर्जुनदास बहुत तेज आवाज में निरन्तर औचित्य प्रश्न उठाते रहे और श्री ज्वालाप्रसाद बोलते रहे )

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर, ऑर्डर।

**श्री अर्जुनदास** : On a point of order, Sir.

**श्री ज्वालाप्रसाद** : उन्होंने दो तीन दफा रिपीट किया है, मैं रिपीट नहीं करता, जो कहा वही काफी समझता हूं।

**श्री अर्जुनदास** : I rise on a point of order Sir, that while I was speaking I was not permitted, on a point of order raised by Hon'ble Member from Nassirabad, to give instances of Ajmer. Now the Hon'ble Member is repeating that mistake himself, if at all, I was committing a mistake. Atleast he has no right in that matter if he raised objection to my speaking on it.

**श्री अध्यक्ष** : Yes, the Hon'ble Members will not refer to matters in Ajmer.

**श्री अर्जुनदास** : Then on a point of information. The Hon'ble Member said that the resignation of Shri Mehta was conditional and it was only on a condition. May I ask who ordered to file it. Whether the Hon'ble Minister himself or...

**श्री ज्वालाप्रसाद** : I myself filed it because it was conditional.

# Page No.54



**श्री अध्यक्ष** : But I don't think we can discuss Ajmer affairs here.

**श्री अर्जुनदास** : I got the reply Sir, that he was at the back of that.

**श्री अध्यक्ष** ( स्वायत्त शासन मन्त्री श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता से ) : आप भी कुछ कहना चाहते हैं ?

**श्री भोलानाथ** (लक्ष्मणगढ) : अध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ पर मुझे कुछ बोलना है। मैं इस पर कुछ बोलना चाहता हूं। माननीय मन्त्री महोदय ने कुछ एमेन्डमेंट रखें हैं री-एपॉइन्टमेंट के बारे में रीइलेक्शन और इलेक्शन की जगह एपॉइन्टमेंट और री-इलेक्शन की जगह रीएपॉइन्टमेंट ? मैं यह समझता हूं कि रीएपॉइन्टमेंट का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। पहले एपॉइन्टमेंट का प्रश्न है। मैं एपॉइन्टमेंट की मुखालफत करता हूं। क्योंकि जो सदस्य आते हैं उनको किसी कारण से हटा दिये जाता हैं, चाहे सस्पेन्ड होने से या चाहे म्युनिसिपैलिटी के डिजोल्व होने से, उनको एपॉइन्ट करना ठीक नहीं होगा। इसके लिये तो मैं यही कहूँगा कि पहले वाली क्लॉज़ ही ठीक थी कि वे दुबारा चुनाव में खड़े हो जावें। जब तक म्युनिसिपैलिटी डिजोल्व नहीं हो तो पहले का क्लॉज़ ही ज्यादा अच्छा था। लेकिन यहां पर जो एमेन्डमेंट रखे हैं उनसे यह पता नहीं चलता कि कैसे रीइलेक्शन होगा और कैसे री-एपॉइन्टमेंट हो सकता है। लेकिन एपॉइन्टमेंट के सिलसिले में उन्हीं सदस्यों से जिनको किसी कारण से हटाया है। रहा सवाल इस बात का कि मेजोरिटी में जो अच्छे सदस्य भी होगे और कुछ खराब भी हैं, उनके लिये बोर्ड से सिफारिश करेंगे। मैं यह कहूंगा कि अच्छे सदस्य होंगे वे तो आना ही पसन्द नहीं करेंगे। मगर आम तौर से हमारे यहां नोमीनेशन होता है और गवर्नमेंट ऐसे लोगों को नोमीनेट कर देती है जो इलेक्शन में हार जाते हैं और इससे हार्ट बर्निंग पैदा होता है। रीएपॉइन्टमेंट की बात आएगी तो और में भद्दी बात है। आप उसको कन्टीन्युकरेंगे और मियाद बढ़ाएंगे और री-एपॉइन्ट करेंगे। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मन्त्री महोदय से क्लेरिफिकेशन चाहूंगा कि री-एपोइन्टमेंट का किस तरह से क्लॉज़ है उसका क्या सिगनिफिकेन्स है। आप बता दें।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (स्वायत्त शासन मंत्री) : रीइलेक्शन के लिए बोर्ड के लिए रीएपॉइन्ट करने के लिए एग्री होगा...

**श्री अध्यक्ष** : 'Reappointment' under what Section ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : इसमें एक ही कारण है If the Board fails to...

**श्री भैरोंसिंह** ( श्री माधोपुर ) : 'Reappointment' means nomination or reinstatement ?

**श्री अध्यक्ष** : देखिये।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : मैं स्पष्ट कर दूं। अगर बोर्ड को डिज़ोल्व करना होता है तो उसके डिज़ोल्व होने के बाद...

**श्री अध्यक्ष** : क्या दोनों में ही एप्लाई करते हैं।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : I am informing...

# Page No.55



**श्री अध्यक्ष** : आपने डिज़ोल्व किया, पॉवर दिया है The State Government may from time to time appoint. जो डिज़ोल्वड बोर्ड है उसी के सदस्यों को इस क्लॉज़ के नीचे एपॉइन्ट करके इसके सारे पॉवर देंगे क्या ?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बात नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : तो री एपॉइन्ट किस क्लॉज़ के नीचे होगा।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : (३) (ए) में है "but without prejudice to their eligilbility for re-election..." आगे बढ़ाये जाते हैं, री-इलेक्शन और—रीएपॉइन्टमेंट, अगर बोर्ड डिज़ोल्व हो गया है तो उसके सदस्यों को राइट दिया है एपॉइन्टमेंट की बात....

**श्री अध्यक्ष** : एपॉइन्टमेंट की बात क्या है? No, this is a serious matter. जिस बोर्ड को आप डिज़ोल्व करना चाहेंगे.... आपको हाउस को कन्वीन्स करना होगा।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : अगर कोई प्रोविज़न हो....

**श्री भोलानाथ** : इसकी सब सेन्स मारी जाती है।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : ऐसी कोई बात नहीं है।

**श्री नरोत्तमलाल जोशी** (झुंझुनू) : Then all these amendments, they get innocuous. They become useless.

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : I will look into it.

**श्री नरोत्तमलाल जोशी** : What is meant by appointment and reappointment under the Municipalities Act.

**श्री अध्यक्ष** : He says he will look into it. He is not very clear about it. I think we may defer it.

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : We defer this clause.

**श्री नरोत्तमलाल जोशी** : If there are other amendments coming, the House will certainly have a right to debate on the amendments which the Hon'ble Minister subsequently puts M. As I explained in my speech, I am unable to understand the sections of 'appointment' and 'reappointment' under this clause 291.

**श्री अध्यक्ष** : इसके लिये है।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : इसमें कोई नया अमेन्डमेंट लाने की बात नहीं है I have brought out the amendment इसको हम कन्सीडर कर लेंगे। इसको हम प्रेस नहीं करते हैं तो वैसे ही रह जाता है।

**श्री भोलानाथ** : इसको आप प्रेस नहीं करेंगे।

**श्री बद्रीप्रसादगुप्ता** : Already we have agreed to defer the clause. इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो डेफर कर देते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : Then we pass on to clause 292.

**श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : No Sir, I want to speak on it.

**श्री अध्यक्ष** : I think there were enough speeches on it and all main points have been brought out. There must be some time limit. Besides, the clause has been deferred.

**श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय के विचार तो व्यक्त हो जायं ताकि सब को मालूम हो जाय।

**श्री अध्यक्ष** : अगर यह उनको मालूम होता तो इसको डेफर क्यों करते। वे तो आपसे बातचीत करके विचार जानना चाहते हैं। He is very open minded that way

प्रश्न यह है कि क्लॉज २६२ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २६२ विधेयक का अंग बना

**क्लॉज २६३**

क्लॉज़ २६३। इसमें माननीय मंत्री महोदय का एमेन्डमेंट है।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : यह बिल्कुल सिम्पल ऐमेन्डमेंट है। कोई मेटीरियल बात इसमें नहीं है। [संशोधन इस प्रकार है:— In part (q) of subjclanse (2), insert "first" before "conviction."]

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न यह है कि संशोधन जो क्लॉज़ २६३ में श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता ने रखा है उसे स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ २६३ स्वीकार की जाए।

(स्वीकृत)

संशोधित क्लॉज़ २६३ विधेयक का अंग बना।

**क्लाज २६४**

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्लॉज़ २६४ में गवर्नमेन्ट ने इस प्रकार के पॉवर्स अपने पास लिये हैं "(1) The State Government may at any time by notification in the official Gazette repeal wholly or in part or modify any rule or bye-laws made by any board."

१.५५ म० प०

(श्री आबिद अली, सभापति, प्रदासीन)

धारा ८३ जो पहले पास की है "Every board may from time to time with the sanction of the State Government, make bye laws not inconsistent with This Act. धारा ८३ में पॉवर्स दिये हैं, कि गवर्नमेन्ट उस सेक्शन के अन्तर्गत बाई लॉज़ बना सकती है। बाई लॉज़ और रूल्स बनाने के लिये गवर्नमेन्ट की सेंक्शन लेनी पड़ेगी। जब एक बार बोर्ड ने सेंक्शन लेकर के बाई लॉज़ बना दिये फिर उसके बाद भी गवर्नमेन्ट का इस विषय में अधिकार दिये जा रहे हैं जबकि इस विषय में पहली धारा में अधिकार दे दिये हैं कि बोर्ड सरकार की मन्जूरी लेकर बाई लॉज़ बना सकेगी। उसके बाद भी इस धारा द्वारा और अंकुश लगाना, जैसा कि धारा २६४ है "The State Government may at any time by notification in the official Gazette repeal wholly or in part or modify any rule or bye-laws

( श्री जगदीशप्रसाद माथुर )

made by any board" इसका मतलब यह हुआ कि बोर्ड द्वारा बनाये गये रूल्स, बाई लॉज़ को स्टेट गवर्नमेंट समाप्त कर सकती है। मैं समझता हूं इस प्रकार के अधिकार स्टेट गवर्नमेन्ट को देना प्रजातन्त्र के अनुकूल नहीं है। एक बार जब बोर्ड को पॉवर दे दी है और बाई लॉज़ की सेंक्शन दे दी गई फिर नियन्त्रण रखना किसी प्रकार भी आवश्यक नहीं है। इतना सारा प्रोविज़न है उसको देखते हुए आवश्यक नहीं इसलिए इस क्लॉज़ को हटा देना चाहिये।

**श्री बद्री प्रसाद गुप्ता** (स्वायत्त शासन मन्त्री) : ऐसी सर्कमस्टान्सेज़ के अन्दर जब कि बोर्ड रूल्स बना लिए गये, गवर्नमेन्ट द्वारा कोई रूल्स बना लिये गये, वैसी हालत में जो ऑर्डिनरी पॉवर्स हैं उसको मिसयूज़ करने की बात नहीं, इसलिए जैसा है वैसा ही पास कर दिया जाय।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २६४ को पास किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २६४ विधेयक का अंग बना

**क्लाज २६५**

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : माननीय सभापति महोदय, इस क्लॉज़ में मेरा जो अमेंडमेन्ट है वह इस प्रकार है Substitute '90' for '91' इसको स्वीकार किया जाय।

**श्री सभापति** : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ २६५ में माननीय मंत्री महोदय ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २६५ संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २६५ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना।

**क्लॉज़ २६६**

प्रश्न यह कि क्लॉज़ २६६ को स्वीकार किया जाय।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : माननीय सभापति महोदय, क्लॉज़ २६६ को हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें जो प्रोविज़न रखा है उसके अनुसार बोर्ड को पूछा जायगा, तुम्हारे बोर्ड को किस प्रकार से डिज़ोल्व किया जायगा। इसमें एक से अधिक पॉवर्स किये गये हैं :

"(1) In the case of a city the officer or authority authorised in that behalf by the State Government and in the case of any other municipality the Commissioner may, for the purpose of being satisfied as to the correctness, legality or propriety of any order passed under this Act respectively by a Commissioner or a Collector or other officer appointed by the State Government in that behalf, call for the relevant records and may, in doing so, direct that pending the examination of the records such order shall be held in abeyance. (2) On examining the records the

( श्री जगदीशप्रसाद माथुर )

officer or authority authorised or the Commissioner may reverse or modify such order." तो इसमें पूछने तक का नहीं है। केवल अधिकारियों को रिकॉल कर के यह देखा जायगा कि वे सारे आर्डर्स सही हैं या गलत। इसमें दूसरी पार्टी को बिना पूछे ही बोर्ड की गलती है या कलेक्टर की गलती है, एक अधिकारी को और सारी फाइल्स को रिकॉल करके जिस प्रकार भी वे समझेंगे उसी प्रकार से आर्डर्स को ठीक कर देंगे। मेरा इसमें यह निवेदन है कि इसके बारे में कन्सर्निंग पार्टी को भी पूछा जाना चाहिये कि इसमें तुम्हारी क्या ओपीनियन है। मैं समझता हूँ इस प्रकार के पॉवर्स एक ऑफिसर को देना न्याय संगत नहीं होगा। इसमें कोई अमेन्डमेन्ट आना चाहिये कि संबन्धित पार्टीज़ को पूछा जायगा इसमें तुम्हारी क्या ओपीनियन है विदाउट कन्सल्टिंग दी पार्टी स्टेट गवर्नमेन्ट के ऑफिसर ऑर्डर्स पास कर देंगे यह कोई तर्क संगत बात नहीं है। इसमें मेरा निवेदन है कि पार्टी को हीअर करने के बाद ही जो निर्णय हो वह ठीक हो सकता है, यह बिल्कुल ठीक नहीं है।

**श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : माननीय सभापति महोदय, क्लॉज २९६ के संबन्ध में जो बात सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही, मैं समझता हूं अगर उसे गंभीरता से देखा जाय तो वास्तव में जो कुछ उन्होंने कहा उस प्रकार की कमी हमें मालूम होती है जिस कमी को लेकर के इस प्रकार के अधिकारों का दुरुपयोग हो सकता है। इस क्लॉज के द्वारा हमने कुछ अधिकार दिये हैं म्युनिसिपैलिटीज़ के संबन्धमें गवर्नमेन्ट को और गवर्नमेनन्ट द्वारा अधिकृत ऐसे ऑथोरिटीज़ को इस बात का अधिकार दिया है कि कोई भी आज्ञा कमिश्नर द्वारा कलक्टर द्वारा या उनके द्वारा नियुक्त किसी भी अधिकारी द्वारा कोई आज्ञा म्युनिसिपैलिटीज़ के संबन्ध में दी गई है। तो उस आज्ञा के करेक्टनेस के विषय को लेकर सरकार या कमिश्नर वे दोनों उस रेकॉर्ड को मंगा सकते हैं और रेकॉर्ड के देखने के बाद वह उस प्रकार की आज्ञा दे सकता है। जब तक फाइनल ऑर्डर्स न हो इन ऑर्डर्स के अन्तर्गत किये जाने वाले काम का एग्ज़ीक्यूशन बन्द कर दिया जाय। मैं समझता हूं इस धारा का मतलब कलेक्टर, कमिश्नर को इस क्लॉज के अन्तर्गत अधिकार दिया है। इन अधिकारों के संबन्ध में जितने भी ऑर्डर्स आते होंगे उसके अनुसार सरकार इन अधिकारों को अपने हाथ में ले रही है। लेकिन यह निश्चित रुप से सही है कि कलेक्टर से कम कोई भी ऑथोरिटी है जो म्युनिसिपल बोर्ड के संबन्ध में ऐसी आज्ञायें जारी करे उन आज्ञाओं के संबन्ध में यह क्लॉज है। यहां पर यह कहा जा सकता है इस धारा का प्रयोग केवल नगरपालिकाओं पर होगा, केवल इस प्रकार के सार्वजनिक मामलों में होगा किसी एक व्यक्ति के इन्टरेस्ट में नहीं हो सकता। लेकिन हमने जिस प्रकार की धारायें पास की हैं उन क्लॉजों में कहीं कलेक्टर, कहीं कमिश्नर को कई प्रकार के अधिकार दिये हैं इन अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस प्रकार की आज्ञा जारी की उस आज्ञा का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति से सम्बन्ध हो तो उस आज्ञा के करेक्टनेस के संबन्ध में या किसी बिल्डिंग से मामले को लेकर उसके कम्पनसेशन को लेकर उसके असेसमेन्ट के प्रश्न को लेकर हो सकता है। लगान के जमा करने के प्रश्न को लेकर हो सकता है। क्योंकि कई स्थानों पर कलेक्टर

Page No.59



( श्री भैरोंसिंह )

कमिश्नर को अपील सुनने के अधिकार दिये हैं। मैं समझता हूं इस क्लॉज़ के अन्दर जो अधिकार दिये हैं वे उसी प्रकार के हैं। वहां निर्विवाद रूपसे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इसका सम्बन्ध कई बार इस प्रकार से व्यक्तियों से होगा जिनका उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ निहित है। इस प्रकार की आज्ञा का सम्बन्ध किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकता है। कानून के दायरे में मैं समझता हूं कानून की व्याख्या के दायरे में इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि उस व्यक्ति को सूचना मिले। उससे वह व्यक्ति भी किस प्रकार से स्टे ऑर्डर इश्यू करवा सकता है फाइनल ऑर्डर्स हो उससे पहले उसको मौका मिलना चाहिये। हुक्म देने वाली ऑथोरिटी सामने एपीअर हो सके. उसके सामने अपनी स्थिति को रखा जा सके। जो सुझाव स्वीकार नहीं किया गया तो निश्चित रूप से इस प्रकार के हुक्म में किसी प्रकार का इन्टरेस्ट रहने वाला नहीं उस इन्टरेस्ट के सम्बन्ध में कई प्रकार की गड़बड़ी हो सकती है।

२. म०प०

आज हमने हाउस टैक्स के लगाने का निश्चय किया है। यह टैक्स किस प्रकार असेस होगा, इसके सम्बन्ध में अपील का अधिकार दिया है। अपील में ऑर्डर हुआ और इस तरह मकान खाली करने के सम्बन्ध में फिल्दी मकान को तोड़ने के सम्बन्ध में अधिकार दिये हैं। इनकी अपील किन के पास होगी।

**डॉ० चन्द्रकला** ( किशनपोल बाजार, जयपुर ) : माननीय सभापति महोदय कोरम नहीं है।

( गणपूरक घंटी के पश्चात् )

**श्री सभापति** : अब हो गया है Yes go on.

**श्री भैरोंसिंह** : यह तो एक ही आये हैं, शरीर से दो के बराबर हैं, पर आये एक ही हैं।

(हंसी)

**श्री सभापति** : कोरम के लिये तो एक ही चाहिये।

**श्री भैरोंसिंह** : तो इस प्रकार मैं मानता हूं कि जिन व्यक्तियों के मामले होते हैं, उन को जानकारी दी जाकर, नोटिस दिया जाकर साथ साथ उनको भी अपनी बात को रखने का मौका दिया जाकर इस प्रकार की आज्ञायें जारी की जावें तो ज्यादा उचित होगा। और इस प्रकार की आज्ञा नहीं है, और ऐसी व्यवस्था नहीं है तो इस प्रकार की आज्ञा से हानी भी हो सकती है। इस दृष्टिकोण से सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही हैं वह काफी उचित है। माननीय मन्त्रीजी इस पर गौर से ध्यान देंगे?

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : यह रिविजन का प्रोविज़न है और इस प्रकार का सभी कानूनों में हैं जो हमारे मौजूदा कानून हैं। इसमें भी २१० क्लॉज़ में इसी प्रकार का प्रोविजन है। सारे गवर्नमेंट को पॉवर हैं। अब इसके बजाय यहां पर म्युनिसिपैलिटी में तो अफसर गवर्नमेंट अपॉइन्ट करें इसका अधिकार दिया जावे टाउन में बोर्ड हैं उनमें कमिश्नर को दिया जावे अभी भी ऐसा ही है। रिकॉर्ड मंगाया जाता है, बुलाकर सुनते हैं पार्टी को। अब ये सारी बातें प्रोसीज़र की हैं ये इस में लिखी जावें या नहीं इससे फ़र्क

( श्री बद्रीप्रसादगुप्ता )

नहीं पड़ता। यह तो प्रोसीज़र माना हुआ है, रिविज़न का और इसके बारे में किसी तरह की कोई बात नही है। वह रिविज़न पॉवर इसमें रक्खा गया है और साफ है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर, ( सीकर ) : रिविज़न में तो बाकायदा फायल मंगाएंगे, देखेंगे, पार्टी को नोटिस मिलेगा।

श्री सभापति : दूसरे प्रोसीज़र में भी ऐसे ही शब्द हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रिकॉर्ड को देखकर के करते हैं और सिविल प्रोसीजर में भी ऐसा ही है! इसमें कोई फर्क की बात नहीं है। जो है वह स्पष्ट है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २९६, २९७ को स्वीकार किया जावे।

( स्वीकृत )

क्लॉजेज़ २९६ व २९७ विधेयक का अंग बना

क्लॉज़ २९८

श्री भैरोंसिंह ( श्री माधोपुर ) : यह पूरा का पूरा चैप्टर इससे सम्बन्धित है, इसको पूरा का पूरा ले लिया जावे।

इसमें ३०३ में अमेन्डमेन्ट हैं। पहले अमेन्डमेन्ट मूव कर दिये जावें इसमें सर्विस को रेगुलेट किस प्रकार करना है, यह है।

श्री सभापति : ठीक है। So the amendments are taken as moved.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे तो दो ही अमेन्डमेन्ट हैं। ३०३ में श्री श्रीभानसिंहजी का है।

मेरे अमेन्डमेंट तो भाषा के करेक्शन के हैं। और कोई मेटीरियल अमेन्डमेंट नहीं है। ३०३ में यह है : In the penultimate line of sub-clause (4) insert "not" before "less than". करक्शन की बात है खाली।

इसी तरह से एक मेरा अमेन्डमेन्ट है ३०६ में। जो इस प्रकार है। यह भी मामूली सा ही है। The Second Schedule : Omit "Octroi".

श्री सभापति : श्री श्रीमानसिंह।

( अनुपस्थित )

So you want to speak on 298.

श्री भैरोंसिंह, ( श्री माधोपुर ) : एक ही अमेन्डमेंट है श्री श्रीमानसिंह का।

श्री सभापति : दो हैं। ये तो मूव नहीं हुए हैं। पर Anyhow they are two amendments-one in clause 301 and the other is in 306.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ३०३ में मेरा और श्री श्रीमानसिंह का एक ही है। नोट इन्सर्ट करने के बारे में है।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सभापति महोदय, इस नगरपालिका विधेयक में प्रारम्भ में नोमीनेशन करने का चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण था और अब इस बिल के अन्त में नगरपालिका की सर्विसेज़ का चैप्टर यह भी बहुत महत्वपूर्ण है।

नगरपालिका की सर्विसेज़ को लेकर एक बार नहीं, अनेक बार इस सदन में कई प्रकार

( श्री भैरोंसिंह )

की चर्चाएं हमको सुनने को मिली हैं। कई माननीय सदस्यों का ऐसा मत रहता है कि जहां नगरपालिका चुनी हुई है उनको इस प्रकार का निश्चित रूप से अधिकार होना चाहिये, कि उनके अधिकार में काम करने वाले चाहे कमिश्नर हों, चाहे एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर हों, चाहे सेक्रेटरी हों, चाहे हैल्थ ऑफिसर हों, चाहे कोई टैकनीकल अफसर हो, कोई चाहे सेनेटरी इन्सपेक्टर हो, या काम करने वाला कोई हरिज़न हो, इन सबके सम्बन्ध में नगरपालिका को यह अधिकार होना चाहिये कि वह इनको नियुक्त कर सके, या उनकी सर्विसेज़ को टरमीनेट कर सके, या उनको सस्पेन्ड कर सके या किसी काम को करने के लिये मुकर्रर कर सके।

दूसरी तरफ एक मत यह आता है कि नगरपालिका पार्टी पोलिटिक्स के बेसिस पर चुनी जाती है और यदि वहां की सर्विसेज़ को किसी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं मिला, तो यह भी सम्भव है कि नगरपालिका अपने राजनैतिक कारणों से इन सर्विसेज़ के ऊपर प्रभाव डालने की चेष्टा करें, और इस प्रभाव डालने की क्रिया के अन्दर यदि नगरपालिका का वे हुक्म न मानें तो उनके साथ किसी प्रकार का ऐसा व्यवहार भी किया जा सकता है जिसको दाद किसी भी कानून या नियम से नहीं दी जा सकती है।

सो जहां तक इन क्लॉज़ों का प्रश्न है मैंने ऐसा देखा है कि हमारी राज्य सरकार राजस्थान के अन्दर नगरपालिका की सेवाओं में इस प्रकार की कोई कठोर हरकत करने वाली है। इसका अपोइन्टमेन्ट, इसकी नियुक्तियों को, सजा देने का प्रावधान उनकी तरक्की देने के नियम आदि सभी सरकार बनावेगी और उनका पालन करने में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का भी हस्तक्षेप होगा। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी अधिकार दिया है कि उनका रिक्रूटमेंन्ट के सम्बन्ध में नियम बनावे, पे स्केल और ग्रेड देने, प्रोमोशन करने आदि की व्यवस्था भी की जावे। तो इसके सम्बन्ध में भी इससे हमारी राज्य सरकार किसी प्रकार से राय ले। लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूँ यह प्रोसीज़र केवल म्युनिसिपल सर्विसेज़ में जो हाई रैंकिंग अफसर हैं उनके सम्बन्ध में ही होगा। अब प्रश्न यह आता है कि एक तरफ कमिश्नर का प्रश्न आता है, एक सेक्रेटरी का प्रश्न है, एक एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर का प्रश्न है यदि इनको दण्ड दिया जाय तो दण्ड देने के पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को पूछना पड़ेगा, सरकार को भी पूछना पड़ेगा। यदि किसी क्लर्क के सम्बन्ध में दण्ड देने का प्रश्न आता है, तो उस समय में नगरपालिकाओं को आपने अधिकार दिये हैं, यह अधिकार कमिश्नर को दिये हैं। छोटी छोटी म्युनिसिपैलिटीज़ में छोटे छोटे अधिकारियों को यह अधिकार दिये हैं। हमने अपील का प्रोवीज़न रखा है। यह बात भी सही है कि अपील के द्वारा किसी प्रकार से राहत मिल सकती है, तो इसका प्रावधान रखा है। लेकिन एक बात निश्चित रूप से माननी पड़ेगी कि कानून बनाने में एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेटरी ला बनाया है। जहां हमने बड़े कर्मचारियों के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान रखा है और छोटे छोटे कर्मचारियों के लिए कमिश्नर के पास यह अधिकार रखे हैं। अब प्रश्न एक आता है, कि बोर्ड किसी आदमी को नियुक्त कर सकता है और किसी को निकालता है

# Page No.62



( श्री भैरोंसिंह )

उसकी अपील होगी सरकार के पास। तो उस सारी स्थिति में, मैं ऐसा समझ पाया हूं कि हमने कुछ व्यवस्थायें की हैं, लेकिन वह सब असंगत हैं। हमें एक सिद्धांत स्वीकार करना पड़ेगा कि हम म्युनिसिपल कैडर बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार का कैडर छोटी सर्विसेज़ के ऊपर भी लागू होगा या नहीं। अब सभापति महोदय, प्रश्न यह आता है कि छोटी सर्विसेज़ को इस प्रकार का प्रोटेक्शन दिया तो यह दिक्कत बनती है और यह भी कहा जा सकता है कि नगरपालिका का चेयरमैन हरिज़न को कोई आदेश दे और वह उसकी तामील नहीं करे और उस आदेश के तामील नहीं करने के बाद में चेयरमैन फिर आदेश दे और फिर उसकी तामील न हो तो फिर नगरपालिका की प्रतिष्ठा में कमी आती है और उसको पूरा करने के लिए चेयरमैन को यह अधिकार दिये जायें कि सर्विसेज़ के बारे में इस प्रकार का कोई निर्णय ले ले। मैं समझता हूँ कि इस प्रसंग को लेकर प्रजातंत्र के कई सिद्धांतों का बखान होगा। यह भी कहा जायेगा कि राजस्थान की सरकार इलेक्टेड है। लेकिन यह भी कहा जायेगा कि भारतवर्ष की जो केन्द्रीय सरकार है वह भी इलेक्टेड है। उस इलेक्टेड सरकार को हमने एपॉइन्टमेन्ट्स के कुछ अधिकार दिये हैं उसको डिसमिसल के पॉवर्स भी दिये हैं लेकिन वह दिये हैं तो किसी कानून के अंतर्गत दिये हैं। वह कानून विधान सभा बनाती है, भारतवर्ष की लोकसभा बनाती है। उस कानून के अन्तर्गत सर्विसेज़ को प्रोटेक्शन मिलता है और लोगों को दण्ड भी दिया जाता है। सभापति महोदय, आज मैं यह चाहूंगा कि हमारी राज्य सरकार सबसे पहले इस बात का निर्णय ले कि छोटा कर्मचारी चाहे पांच रुपये पाने वाला चपरासी हो, चाहे २० रुपये पाने वाला हरिज़न हो और चाहे ४० रुपये का काम करने वाला लोअर डिविज़न क्लर्क हो या फिर २५० रुपये पाने वाला कोई अधिकारी हो वह सारे के सारे म्युनिसिपल सर्विस के कैडर में आते हैं। तो इस प्रकार का कैडर बनाये तो सब की सर्विसेज़ एक कानून से रेग्युलेट होंगी। इसका हमने सिद्धांत भी स्वीकार किया है। लेकिन जब हम उसमें डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते हैं कि कुछ व्यक्तियों के मामले सरकार के पास रहें और कुछ के मामले बोर्ड के पास रहें तो एक बात मैं माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगा, कि जो आदमी पढ़े लिखे होते हैं, जिनको अच्छी तनख्वाह मिलती है उनकी जान पहचान आज उच्चाधिकारियों से होती है वह ऐसा समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अन्दर जो फण्डामेंटल राइट्स हैं उनको किस तरह से एक्सरसाइज़ किया जाये। इसका भी उन्हें आभास होता है। लेकिन जितने छोटे कर्मचारी हैं, छोटी छोटी नगरपालिकाओं में काम करने वाले हरिज़न हैं। उनको इस बात का पता नहीं, होता कि किस प्रकार के उन्हें अधिकार मिले हुए हैं और उनका किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। यदि आज ऐसी स्थिति में छोटे कर्मचारियों को जिनको कि प्राटेक्शन देने की आवश्यकता है। हम बोर्ड के ऊपर एपॉइन्ट करने का नियम बनाने का और डिसमिस करने की व्यवस्था करेंगे तो निश्चित रूप से कभी भी इन क्लॉज़ों का दुरुपयोग हो सकता है। अब ऐसी परिस्थितियों में प्रश्न आयेगा प्रजातंत्र का। हम यह कहेंगे कि नगरपालिकायें कुछ टैक्सेज़ लगाकर पैसा वसूल करती हैं और

( श्री भैरोंसिंह )

पैसा वसूल करने के बाद में हम अपाइन्टिंग ऑथारिटी हैं, हम एपॉइन्ट करते हैं, ऐसा वह नगरपालिकायें कहेंगी। उसके बाद में एक प्रश्न आता है कि जो एपॉइन्टिंग ऑथोरिटी है वह सर्विसेज़ को टरमीनेट भी कर सकती हैं। मैं समझता हूं कि इस एपॉइन्टिंग ऑथोरिटी के प्रश्न को लेकर और इसके अधिकारों को लेकर कई तरह की राय आ सकती है। यह राय जो मैं अभी दे रहा था, कि नगरपालिकाओं के पैसे हैं, नगरपालिकायें बजट में पैसा महसूस करती हैं, उनके फाइनेन्शियल रिसोरसेज़ के बारे में सोचती हैं उस सारी स्थिति में यह प्रश्न पैदा हो सकता है कि वह नगरपालिका जो अपने क्षेत्र में साधिकार है वह यह तय कर सकती है कि किस को नियुक्त किया जाये और किस को टरमीनेट किया जाये। आज सरकार महसूस करती होगी कि नगरपालिका के कर्मचारियों को लेकर राजस्थान में ही नहीं बल्कि अन्य प्रान्तों में ट्रेड यूनियन्स बनने जा रहे हैं, ट्रेड यूनियन्स के द्वारा हम नियम भी बनाते हैं, ट्रेड यूनियन्स के द्वारा हम प्रोटेकशन्स भी कर्मचारियों को देते हैं, ट्रेड यूनियन्स के द्वारा यदि किसी व्यक्ति को बर्खास्त भी कर दिया। तो उस प्रकार के प्रश्न को लेकर विवाद भी खड़ा कर देते हैं, वहां पर हड़ताल भी होती है। तो जो चीज़ ट्रेड यूनियन के द्वारा निर्धारित करा के आज सरकार को मज़बूर किया जाये मैं समझता हूं कि यदि उसी भावना को लेकर उसको किसी न किसी प्रकार से कार्य रूप में परिणित कराना चाहें तो वह स्थिति जो ट्रेड यूनियन्स द्वारा मज़बूरी की स्थिति आती है वह इस प्रकार के कानून बनने के बाद नहीं आयेगी। आज यह सही है कि नगरपालिका के अन्दर हरिज़नों के सामने कई समस्यायें हैं. कहीं तनख्वाह का प्रश्न आता है, कहीं छुट्टी का प्रश्न आता है, कहीं अलाउन्सेज़ का प्रश्न आता है, कहीं उच्च अधिकारियों का उनके साथ दुर्व्यवहार हो ऐसी शिकायतें होती हैं, हड़ताल भी होती हैं और इसके कारण सारी जनता को भी परेशान होना पड़ता है। इन सारी स्थिति में ट्रेड यूनियन्स वर्क करती रहें तो यूनियन के नाम से उनको प्राटेक्शन देते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जब ट्रेड यूनियन मज़बूर करा के प्रोटेक्शन दिलाना चाहें तो सरकार को यह कदम उठाना चाहिए कि राजस्थान के अन्दर चाहे ५) रुपये पाने वाला कोई कर्मचारी हो, ५०) रुपये पाने वाला हो, १००) रुपये पाने वाला हो या कोई ४००) रुपये पाने वाला कर्मचारी हो पूरे राजस्थान का एक म्युनिसिपल कैडर होना चाहिए। मैं ऐसा कह सकता हूं कि केवल राजस्थान की ही म्युनिसिपल की सर्विसेज़ का नहीं बल्कि पंचायतों की सर्विसेज़ का और जो ज़िला परिषदें अब बनने जा रही हैं उनकी सर्विसेज़ का भी एक इस प्रकार का विभाग खोलना चाहिए जो कि इस प्रकार की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की सर्विसेज़ का हो और उनका एक अलग से कैडर बनाया जाये। पंचायतों के सम्बन्ध में पंचायतों को ट्रेनिंग दी जाये, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के सम्बन्ध में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की ट्रेनिंग दी जाये, ज़िला परिषदों के सम्बन्ध में ज़िला परिषद् में किस प्रकार से काम होगा उसकी ट्रेनिंग दी जाये। तो हमारे यहां अलग अलग स्कूलें होंगी और अच्छे क्वालिफाइड आदमी एपॉइन्ट किये जायेंगे। आज सभी इस सिद्धांत को मानते हैं कि नगरपालिकायें, पंचायतें और ज़िला परिषदें हमारी प्रजातंत्र की आधारशिला हैं।

# Page No.64



( श्री भैरोंसिंह )

मैं भी इसको स्वीकार करता हूं लेकिन कोई आधारशिला हो तो, उसमें किसी प्रकार की कमी हो, तो उसको दूर करने की चेष्टा सारी सरकार को करनी चाहिए। अगर सरकार नहीं कर सकती तो, मैं यह भी कह सकता हूं कि जिस आधारशिला के ऊपर हम प्रजातंत्र का महल बनाना चाहते हैं वह एक पवित्र महल नहीं होकर इस प्रकार का महल बनेगा कि जिसका आधार जल्दी से जल्दी गिर जायेगा। यदि आधारशिला को मज़बूत बनाते हैं तो उसके निर्माण में किसी प्रकार की कमी है तो उसको दूर करना चाहिए। और वह कमी तभी दूर हो सकती है जब कि आधारशिला के निर्माण करने वाले एक तरफ इलेक्टेड पर्सन्स जिनको हमने चुनावों में जिताकर किसी बात के उनको अधिकार दिये हैं और एक तरफ उनके द्वारा की जाने वाली सर्विसेज़, वह सर्विसेज़ और इसमें दोनों में कोऑपरेशन रहे तो निश्चित रूप से आधारशिला मज़बूत होगी। तो सभापति महोदय, सबसे पहले हमें इस सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए, कि जितनी भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की सर्विसेज़ हैं उनका एक कैडर बनाया जाये, उसका एक ग्रेडेशन हो। आज बड़ी भारी समस्या है। सरकार के बीच और नगरपालिका के बीच कई प्रकार का संघर्ष चलता है। किसी एक झाड़ू वाले को निकाल दिया, किसी एक झाड़ू वाले पर जुर्माना कर दिया या झाड़ू वाले की स्त्री के साथ छेड़ छाड़ करदी। इस तरह के झगड़े जगह जगह चल रहे हैं। सरकार को चाहिये कि झाड़ू वाले के साथ वही दृष्टिकोण रखे जो कमिश्नर के साथ रखती है। झाड़ू वाले के भी पेट है और कमिश्नर के भी पेट है। इसकी भी समस्या है तो उसकी भी समस्या है। पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिये यदि सेक्रेटरी या कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है, तो हरिज़न की नियुक्ति पी. एस. सी. के ज़रिये नहीं की जा सकती तो कम से कम उसकी नियुक्ति के लिये रूल्स तो बनादे ताकि इन लोगों के साथ अनजस्टिस नहीं हो। नहीं तो ये जो छोटे मोटे झगड़े, झाड़ू लगाने वालों के कारण नगरपालिकाओं में आते हैं और उसका प्रभाव सीधा जनता पर पड़ता है। वे निश्चय रूप से कम हो जायेंगे और छोटे कर्मचारी हैं वे भी समझेंगे कि हमको अधिकार मिला है। नगरपालिका हमको काम करते रहने पर नहीं निकाल सकती। हमारी यह ड्यूटी नहीं है कि चेयरमैन के यहां सात दफा झाड़ू लगाने के लिये जावें और वहां कोई शादी का प्रश्न हो तो सारे कर्मचारी जाकर उनके यहां काम करें और मौत का प्रश्न आवे, तो घर बैठे बैठे काम करें। इस तरह के बेकार के झगड़े स्वत: खत्म हो जायेंगे। वे कर्मचारी महसूस करेंगे कि हमको भी अधिकार मिला है। वे यह भी महसूस करेंगे कि इन अधिकारों का यदि कोई दुरुपयोग करता है चाहे वह हरिज़न हो या सेक्रेटरी हो या चेयरमैन हो कोई भी दुरुपयोग करे तो उसको दंड मिल सकता है। इससे समानता का भाव आयेगा, सेवा करने का भाव आयेगा, सेवा करने वाले कार्यकर्त्ताओं में इस प्रकार की भावना पनपेगी और आये दिन जो समस्याएं पैदा होती हैं, वे पैदा नहीं होंगी। मैं एक घटना का ज़िक्र करना चाहता हूं। आपने सुना होगा, सदन ने सुना होगा कि कुछ दिन पहले बीकानेर में हरिज़नों ने हड़ताल की थी उसका कोई मोटा कारण नहीं था, कोई तनख्वाह बढ़ाने का प्रश्न नहीं था। वहां पर एक हरिज़न के साथ दुर्व्यवहार किया गया था और उसकी

# Page No.65



( श्री भैरोंसिंह )

ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिये उन लोगों ने हड़ताल की, भूख हड़तालियों को दबाने के लिये अजमेर से हरिज़न भेजे गये। हरिज़नों का खर्चा लगा, उन पर बुरा असर पड़ा, शहर में बीमारी फैली। गिरफ्तारियां भी कई आदमियों की हुई थी। वहां पर कोई टैक्सेशन का प्रश्न नहीं था। लेकिन इसलिये कि नगरपालिका अपने आप को मालिक समझती थी, वह समझते थे, कि जिसके साथ ज्यादती कर रहे हैं उनके साथ ज्यादती करने का हमको अधिकार है। मैं समझता हूं वह अधिकार उनके पास अब भी रहता है, तो उसका दुरूपयोग होगा। आज यह कहेंगे कि चुनी हुई म्युनिसिपैलिटी के पास अधिकार होने चाहिये, उसके जिम्मे फाइनेन्सेज़ हैं तो उसको खर्च करने का अधिकार भी उसको होना चाहिये। आज कोई कहे कि राजस्थान विधान सभा के सदस्य चुने हुए हैं। मुख्य मन्त्रीजी मेजोरिटी पार्टी के नेता हैं इस कारण से वे मुख्य मंत्री हैं, आज कोई उनसे कह दे कि मुख्य सचिव को बर्खास्त करदो तो वे खुद तो तीन साल भले ही जा सकते हैं लेकिन नियम के विरुद्ध मुख्य सचिव को निकाल नहीं सकते। आई. ए. एस. और आर. ए. एस. ओफिसर्स को निकाल नहीं सकते उनको ही क्या किसी भी कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता है ? इसलिये कि सर्विसेज के लिये नियम है। सुखाड़ियाजी का कहना मानते हैं, स्वायत्त शासन मंत्रीजी के हुक्म की भी तामील होती है। लेकिन यदि यह माना जाय कि वे नाजायज हुक्म देंगे उसे भी मानेंगे और यदि नहीं मानेंगे तो दंड देंगे, नहीं तो प्रतिष्ठा का प्रश्न आयेगा। स्वायत्त शासन मंत्रीजी अगर गलत ऑर्डर दें और उसकी तामील नहीं करे तो इसमें प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनता। गलत हुक्म देने वाले को सोचना चाहिये कि गलत हुक्म की तामील कोई अधिकारी नहीं करता है तो इसमें प्रतिष्टा का प्रश्न नहीं बनता। सारी सर्विसेज़ को हमें कानून के अंतर्गत प्रोटेक्शन देना है। अब प्रोटेक्शन किस प्रकार दें, एक चपरासी से लेकर कमिश्नर तक को किस प्रकार से प्रोटेक्शन दें। इसमें सबसे पहले सवाल आता है नियुक्तियों का। जितनी नियुक्तियां होती हैं वे पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा होती हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन कई जगह खुद नियुक्ति करती है, कई जगह कंपीटेटिव एग्ज़ामिनेशन्स होते हैं। कई जगह ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग में पास होते हैं उनका सिलेक्शन होता है। इसी आधार पर यदि म्युनिसिपल सर्विसेज़ का प्रश्न आता है सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हैल्थ ऑफिसर, सेनेटरी इन्स्पेक्टर, कमिश्नर आदि का प्रश्न आता है या जितने नीचे के ओहदों की सर्विसेज़ हैं उन पर यदि नियुक्ति की जाय तो मैं निश्चित तौर से कहता हूं कि उनका रिक्रूटमेंट भी पी० एस० सी० की मार्फत किया जाय।

सभापति महोदय, अब प्रश्न आता है, कि पी० एस० सी० की मार्फत क्यों की जाय और क्यों नहीं की जाय। अब हम राजस्थान का नक्शा देखें और अनुभव प्राप्त करें। यदि नियुक्तियों के नियम नहीं होंगे तो क्या हाल होगा। राजस्थान में जब नगरपालिका के सेक्रेटरीज़ की नियुक्ति होती है तो उसके लिये कोई इन्तजाम नहीं है। जिस किसी को नहीं करना होता है तो कहते हैं, कि इसने

( श्री भैरोंसिंह )

एल० एस० जी० डी० की ट्रेनिंग नहीं ली इसलिये उसकी दरख्वास्त खारिज करदी जाती है। किसी को कहते हैं कि ग्रेजुएट नहीं है और किसी की दरख्वास्त इसलिये खारिज करदी जाती है कि उसको म्युनिसिपल सर्विसेज़ का एक्सपीरियेन्स नहीं है इसलिये जब जो ऑफिसर जैसा चाहे वैसा ही कर सकता है। मैंने एक आज्ञा देखी है, भरतपुर में सेक्रेटरी का अपॉइन्टमेंट हुआ। मैं समझता हूं कि यह अपॉइन्टमेंट किस लिये हुआ, इसलिये कि वह मेहता है....

**श्री सभापति** : इसमें अपॉइन्टमेंट का कहां प्रश्न है ?

**श्री भैरोंसिंह** : इसमें अपॉइन्टमेंट का ही प्रश्न है। और कोई प्रश्न है नहीं।

**श्री सभापति** : Where is that ?

**श्री भैरोंसिंह** : The whole chapter is being discussed.

**श्री सभापति** : आप २९० पर बोल रहे हैं।

**श्री भैरोंसिंह** : पूरे चेप्टर को साथ लिया जा रहा है। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि ऑर्डर निकला, उस ऑर्डर के द्वारा एक सेक्रेटरी की नियुक्ति हुई, वे मेहता थे और ऑर्डर के नीचे दस्तखत जिनके थे वे भी मेहता थे। मेहता होने के कारण उनकी नियुक्ति हो गई।

**श्री श्रीभानसिंह ( बयाना )** : पिछले चुनाव में वे जनसंघ के केन्डिडेट थे यह एक और क्वालिटी थी।

**श्री भैरोंसिंह** : ऐसी सर्विसेज़ के लिये हमें नियम बनाने पड़ेंगे और नियम इसलिये बनाने पड़ेंगे कि डिस्क्रिमिनेट बेसिस पर किसी का अपॉइन्टमेंट नहीं हो नियम के अनुसार बाकायदा कॉम्पिटिशन होगा और ट्रेनिंग दी जायगी। सभापति महोदय, जनता की धारणा बनती है, उसका कारण यह है कि जिस किसी के रिश्तेदार ऊपर हैं, जिसके पास सिफारिश है उस आदमी को नियुक्ति मिल सकती है। इस प्रकार की भावना को समाप्त करने के लिये निश्चय रूप से हमको नियम बनाने पड़ेंगे। हमें इस प्रकार के सिलेक्शन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, सिलेक्शन को केटेगराइज़ करना पड़ेगा, पी० एस० सी० द्वारा किस तरह से नियुक्ति की जाय, नीचे की सर्विसेज़ के लिये सिलेक्शन कमेटी बनाई जाकर म्युनिसिपैलिटी में नियुक्ति किस प्रकार होगी। हरिजनों की नियुक्ति किस प्रकार होगी ये सारी चीजें चल सकती हैं यदि नियुक्ति के नियम बनावें। बनाकर नियम नियुक्तियें की गई तो भविष्य में पक्षपात नहीं होगा।

अब दूसरा प्रश्न आता है, नियुक्ति हो गई तो सर्विसेज़ का प्रोटेक्शन किस प्रकार से होगा। यह विचार करना पड़ेगा कि ऊपर के अधिकारी अधिकारों का अतिक्रमण तो नहीं कर रहे हैं।

सभापति महोदय, सबसे पहले नगरपालिका के जितने अल्पवैतनिक कर्मचारी होते हैं, उनका प्रश्न सामने आता है, उनके झगड़े सामने आते हैं। जब चाहे नगरपालिका उनकी सर्विसेज़ टरमीनेट कर देती है। आज आप राजस्थान में देखें, राजस्थान के पूरे नक्शे को उठा कर देखें जितने छोटे कर्मचारी हैं, उनके प्रोवीडेन्ट फंड का

( श्री भैरोंसिंह )

प्रॉविज़न नहीं है, उनके इन्शोरेन्स का प्रोविज़न नहीं है, उनको जो गारन्टी मिलनी चाहिए, जो कि बाकी की सर्विसेज को मिलती है, वह गारन्टी नहीं मिलती है। तो मैं यह चाहता हूं कि समस्त नगरपालिकाओं के कर्मचारियों की इन्श्योरेन्स, प्रोवीडेन्ट फंड और बाकी की जो राज्य सरकारी सुविधायें मिलती हैं, वे सुविधायें मिलनी चाहिए। उनकी सर्विसेज़ के टरमीनेशन के प्रश्न को लेकर, कितने समय वे काम करेंगे, किस प्रकार इस समय को मान लिया जायगा। पूरे राजस्थान के अन्दर अगर इस प्रकार की व्यवस्था की तो एक तरफ म्युनिसिपैलिटीज़ की गाइडेन्स होगी और उनके कर्मचारी निश्चित रहेंगे कि अगर हमने अच्छा काम किया, ठीक प्रकार काम किया तो हमारे साथ किसी प्रकार की ज्यादती होने वाली नहीं है। इसलिए जहां सर्विसेज़ का प्रश्न आता है, वहां अलग अलग नगरपालिकाओं के बोर्ड न होकर राजस्थान के अन्दर एक बोर्ड होगा और राजस्थान सरकार उस पर विचार कर सकेगी। ऐसी स्थिति में मैं यह चाहूंगा कि नगरपालिकाओं की सर्विसेज़ के लिए बोर्ड का निर्माण किया जाय, उसके द्वारा छोटे मोटे कर्मचारियों का सलेक्शन होगा। उसके लिए नियम बनाया जाय और जो सुविधायें राज्य के अन्य विभागों में कर्मचारियों को दी जाती हैं वे सुविधायें दी जायं। इसके साथ ही साथ जो उनके लिए प्रोटेक्शन रखा है, वह भी दिया जाय, तरक्की के नियम बनाये जायं, स्थानान्तरण के बारे में, मैं समझता हूँ, सरकार नियम बनाये। अब नियम का जहां प्रश्न आता है, कई स्थानों में नगरपालिका के सेक्रेटरी और नगरपालिका के बीच में संघर्ष होता है, वहां प्रतिष्ठा का प्रश्न हो जाता है। नगरपालिका किसी काम को कराना चाहती और नगरपालिका का सेक्रेटरी उस काम को न करना चाहे, तो उन दोनों में संघर्ष बनता है और संघर्ष बना रहता है और नगरपालिका का काम चलता है तो यह समझना चाहिए, कि वह काम ठीक प्रकार से चलेगा नहीं। ऐसी स्थिति में नगरपालिका को अधिकार देना पड़ेगा और वह अधिकार इस बारे में कि अगर नगरपालिका इमीजियेटली किसी काम को कराना चाहे, उस समय नगरपालिका को अधिकार हो, नगरपालिका के चेयरमैन को अधिकार हो कि नगरपालिका के बीच और सेक्रेटरी के बीच संघर्ष आता है तो उस समय इलेक्टेड पर्सन्स की प्रेस्टीज़ जो बचाने के लिए हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिस व्यवस्था से अधिकारों का दुरुपयोग न हो और कम से कम इस प्रकार की व्यवस्था हो जाय कि वे अधिकारी डर कर इस प्रकार का कभी प्रसंग या स्थिति पैदा न कर सकें जिस स्थिति को लेकर इस प्रकार की बात पैदा हो जाय। मैं यह चाहूंगा कि ऐसी स्थिति के अन्दर बड़े कर्मचारियों को सस्पेन्ड करने का अधिकार हमें नगरपालिका को देना चाहिये, कि अमुक अमुक काम को लेकर अमुक श्रेणी के लोग और नगरपालिका के बीच में संघर्ष आ जाता है तो सस्पेन्ड किया जा सकता है। सस्पेन्ड करने के बाद रीइन्सटेटमेंट का प्रश्न आता है तो कोई आदमी सस्पेन्ड होता है उसके रीइन्सटेटमेंट के लिए बोर्ड बहुमत से निर्णय ले। तब जो मामला होता है, वह मामला, जो नगरपालिका का बोर्ड बने, उसके अन्दर चला जाय, वह जो निर्णय दे, उसी प्रकार

( श्री भैरोंसिंह )

की बात रखी जाय। सभापति महोदय, किसी मिल में ट्रेड यूनियन है, मिल से कोई व्यक्ति निकाल दिया जाता है, तो उसकी अपील होती है, लेबर ट्रिब्यूनल को वह केस जाता है, उसके बाद जजमेंट होता है। जजमेंट में अगर री इन्सटेटमेंट करने की आज्ञा होती है, तो रीइन्सटेटमेंट मिलता है। लेकिन म्युनिसिपल कर्मचारी को चाहे किसी प्रकार के हो, निकाल दिया जाय तो उसका रीइन्सटेटमेंट होता नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सर्विसेज़ के बारे में स्थाई रूप से बोर्ड की नियुक्ति कर दी जाय, जिसके अन्दर अपील की जा सके, जिसके अन्दर ग्रीविएन्सेज सुने जा सके, जिसके अन्दर उनके साथ होने वाली ज्यादती के बारे में निर्णय लिया जा सके। इस प्रकार के इन्डीपिडेंट जुडिसियल आफिसर्स को ट्रिब्यूनल के रूप में एपॉइन्ट किया जाय, जहां ग्रीविएन्सेज पुट अप किये जा सकें, जिनमें उनकी सुनवाई हो सके। यदि इस प्रकार का प्रोटेक्शन दिया जाय, इसके बाद जहां तक इमीजियेट प्रेस्टीज़ का सवाल खड़ा हो जाय, उस समय बोर्ड की प्रतिष्ठा कैसे बचे, उसे बचाने के लिए नगरपालिका को सस्पेन्ड करने का अधिकार दिया जाय, सस्पेन्ड करने के अधिकार से प्रतिष्टा बचेगी, अधिकारियों को यह महसूस करने की स्थिति आयेगी कि अगर किसी प्रकार का कोई बुरा काम किया है तो उसका दंड मिल सकता है, उसका निर्णय जुडिसियल ऑफिसर कर सकेगा। मैं चाहूँगा कि इस चेप्टर को रीड्राफ्ट किया जाय तो ज्यादा उचित होगा। मैं समझता हूं कि जो चेप्टर ऑलरेडी ड्राफ्टेड है, उसमें बहुत कमियां हैं और इन चीज़ों की कमी को दूर करने के लिए मैंने सुझाव प्रस्तुत किये हैं, मैं समझता हूं कि सदन उनको स्वीकार करेगा।

**श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सीटी) : सभापति महोदय, क्योंकि सारे चेप्टर के ऊपर बहस प्रारम्भ हो गई है, इस वजह से प्रत्येक क्लॉज़ के ऊपर अलग विचार करना और अलग बात कहना कुछ कठिन सा हो गया है, परन्तु फिर भी क्योंकि इस चेप्टर के अन्दर कुछ ऐसी बातें दी हैं कि जिसमें सर्विसेज़ की रक्षा करने की कोशिश भी की गई है और कुछ ऐसे तबके भी रहे हैं कि जिनके बारे में सरकारी स्तर के ऊपर उनकी रक्षा का कोई प्रावधान नहीं है और जैसा कि खास तौर पर हुआ करता है कि जहां तक बड़ी सर्विसेज़ होती हैं. वे सर्विसेज़ तो इस प्रकार की होती हैं, जिसमें जो लोग काम करने वाले होते हैं, वे स्वयं सारे नियमों को और कानूनों को जानते हैं और बहुत कुछ अपनी रक्षा इस प्रकार से कर सकते हैं परन्तु जो छोटे कमचारी होते हैं, उन छोटे कर्मचारियों की रक्षा के लिए जब तक सरकारी स्तर के ऊपर कोई ऐसे नियम नहीं बनाये जाते तब तक किसी प्रकार की रक्षा नहीं हो सकती। खास तौर पर नगरपालिका के अन्दर, जहां तक मैं समझता हूं कि ६० पर्सेन्ट म्युनिसिपल कर्मचारी होते हैं, वे हरिजन होते हैं और हरिजन कर्मचारियों की नियुक्तियों का, इनको बर्खास्त करने का, इनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का जब तक हम कोई नियम नहीं बनाते, तब क्या होता है, ठीक बात है कि चुने हुए नुमाइन्दे हैं, उनके ऊपर छोड़ देते हैं और उनकी रक्षा किसी प्रकार सरकारी स्तर पर नियमों के ज़रिये होनी चाहिये, वैसी नहीं होनी चाहिये। आज कल सबसे बड़ी बात देखते हैं कि जो इन्डस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट

( श्री मुरलीधर व्यास )

है, उनके मातहत कर्मचारियों का संगठन हो, चाहे हरिजन कर्मचारियों का हो, चाहे म्युनिसिपल कर्मचारियों का हो, वे ट्रिब्यूनल के सामने अपनी मांग को रेफर करके उस मांग को हल करवा सकते हैं। यह सबसे बड़ा प्रावधान चाहे इसमें है या नहीं परन्तु जो लड़ने की चीज़ है, वह इसमें है....

**श्री गोरधनसिंह केन,** ( बयाना सु. ) सभापति महोदय, कोरम नहीं है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : इसमें जो सबसे बड़ी....

**श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : कोरम नहीं है साहब।

(गण पूरक घंटी के पश्चात् पुनः)

**श्री सभापति** : Yes, Yes.

**श्री मुरलीधर व्यास** : इसमें सबसे बड़ी बात मैं महसूस करता हूं जैसे बीकानेर की मिसाल यहां पर रखी गई है खास तौर से हरिजन कर्मचारियों के लिए। मैं जहां तक समझता हूँ वह छोटी बात के रूप में हो, परन्तु म्युनिसिपल कर्मचारियों ने इसलिए मांग की कि म्युनिसिपल अधिकारियों या म्युनिसिपल कर्मचारियों में से खास तौर से हरिजनों का मामला है, हरिजन महिलाओं का मामला है, जो सेनीटरी इन्स्पेक्टर वहां है, वह उन लोगों से घूस लेता, उनसे पैसा लेता है, अगर पैसा नहीं देती हैं तो उनको इधर उधर ट्रान्सफर कर देता है। उसके लिए हमने कई प्रमाण दिये थे और यहां तक हवाला दिया था कि म्युनिसिपल बोर्ड में कई मामले उस व्यक्ति के खिलाफ़ आये कि कई दफ़ा उसने घूस ली है। हैल्थ ऑफिसर ने स्वयं ने म्युनिसिपल बोर्ड में बयान दिया, कि यह व्यक्ति कई दफ़ा इस प्रकार से कर चुका है. बार बार इसे हिदायत दे चुके हैं, फिर भी यह आदत से बाज नहीं आता। इस प्रकार की रिपोर्ट मौजूद थी, यह बात सुनने के बाद भी भ्रष्टाचारी आदमी के खिलाफ़ बोर्ड ने कार्यवाही नहीं की और चांदाराम को जो हरिजन कर्मचारी संघ का प्रेसीडन्ट है। उसने इस बुनियादी बात को लेकर कि हरिजन महिलाओं के साथ अन्याय होता है, घूस खोरी की जाती है, इस बात को लेकर भूख हड़ताल पर वह बैठ गया। बोर्ड ने उस भ्रष्टाचारी के खिलाफ़ कार्यवाही नहीं की और उस चांदाराम को सस्पेन्ड कर दिया। उस चांदाराम हरिजन को सस्पेन्ड करने से मामला ज्यादा बढ़ा और हड़ताल प्रारम्भ हो गई। होना तो यह चाहिये था कि जिसके ऊपर इतने गम्भीर आरोप थे, म्युनिसिपैलिटी के सदस्य उस पर विचार करने बैठे, हैल्थ ऑफिसर ने कहा कि इसके ऊपर इतने आरोप हैं, इसको लगातार समझाया जा चुका है पर यह अपनी आदतों से बाज नहीं आता है और इसे कई दफ़ा सस्पेन्ड कर दिया गया है। पर सेनिटेरी इन्स्पेक्टर के खिलाफ़ कुछ भी कार्यवाही नहीं की जाती है और चांदाराम हरिजन के खिलाफ़ कार्यवाही की जाती है, उसको निकालने की कार्यवाही की, जिसके परिणाम स्वरूप महीने भर हड़ताल चली, सैकड़ों हरिजनों को जेल में डाला और कईयों को पीटा गया। अजमेर से भी बहुत से कर्मचारी वहां लाये गये, उन्होंने सफाई का काम तो नहीं किया, काम तो वहां के कर्मचारियों ने किया पर म्युनिसिपैलिटी ने ३८००० रुपया एक महीने में खर्च कर दिया। इसके बारे में सवाल

( श्री मुरलीधर व्यास )

सदन में पूछा गया तो उत्तर कहा गया कि ३८००० रु० का हिसाब तो मालूम नहीं। तो इस प्रकार हरिजनों को मारा गया और जनता का पैसा भी एक महीने में ३८००० रुपये खर्च कर दिया गये जिसका कोई हिसाब नहीं, वाउचर नहीं, मुखिया लोग हरिजनों की हड़ताल करा कर खा गये। अगर जांच कराई जांय तो पता चलेगा कि ये ३८००० रुपये यों ही बर्बाद कर दिये गये।

इसी प्रकार से नाथद्वारा के हरिजनों की बात लीजिये, मामूली वर्दी वगैरह की कुछ मांगें थी, इन मांगों को लेकर हड़ताल करते हैं। तो कभी कभी तो म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों के दिमाग भी राजनैतिक बन जाते हैं हरिजन हड़ताल करते हैं। तो दूसरे पक्ष के लोग उस हड़ताल का समर्थन करते हैं, तो उसमें बैठने वाले कर्मचारी, अधिकारी के दिल में भावना पैदा हो जाती है कि हमारे विरोधी हैं और उनको कुचलने की कोशिश करते हैं। नाथद्वारा में तो इतना तक हुआ कि सारे हरिजन परिवारों को वहां से निकालदिया गया, आज वहां पर नाथद्वारा का कोई भी हरिजन सर्विस में नहीं है, बाहर के लोगों को रखा गया है, हरिजनों की जिंदगी के साथ इस तरह का खिलवाड़ करना कहां तक उचित है? हरिजनों को जो वहां के रहने वाले हैं, उनको निकाल देना और बाहर के लोगों को रखना ताकि उन हरिजनों को बाहर कहीं भी नौकरी नहीं मिल सके, अगर उनके साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करने के अधिकार म्युनिसिपैलिटी के पास रहते हैं तो इसके माने यह हुए कि म्युनिसिपैलिटी को उन हरिजनों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ करने के अधिकार दे देते हैं। जहां तक हरिजनों का प्रश्न है, हो सकता है कि वे गलती करते हों, पर उनको नौकरी से किसी भी सूरत में नहीं निकाला जाय, और दूसरी तरह की सज़ा उनको दी जा सकती है।

**श्री सभापति** : आपकी बहस इस चेप्टर में आती है क्या ?

**श्री मुरलीधर व्यास** : आती है साहब।

**श्री सभापति** : यह तो स्टाफ ऑफ दी बोर्ड के सम्बन्ध का चेप्टर है।

**श्री मुरलीधर व्यास** : यह नियुक्तियों से सम्बन्ध रखता है।

**श्री सभापति** : नियुक्तियों के सम्बन्ध में चेप्टर १२ है जो चला गया, यह बहस चेप्टर १२ से ज्यादा सम्बन्धित थी।

**श्री मुरलीधर व्यास** : क्लॉज़ ३०३ में आता है।

**श्री हरिप्रसाद यादव** (वल्लभ नगरसु): हरिजन, हरिजन बार बार कहा जाता है, यह ठीक नहीं है, हरिजन और सवर्ण का कोई प्रश्न आज नहीं हैं।

**श्री मुरलीधर व्यास** : यह तो महात्मा गांधी ने हरिजन एक बहुत बड़ा नाम रख दिया, मैं भी अपने आपको हरिजन समझता हूं।

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** ( सीकर ) : ३०६ में आता है Subordinate officers, ministerial establishment and other servants...

**श्री सभापति** : यह तो एपॉइन्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टाफ है। चेप्टर

( श्री सभापति )

१२ में वह बहस आ सकती थी, चेप्टर १२ गुजर चुका है। Power of inspection and supervision, power to inspect the office of the board etc. etc. So chapter 12 is relevant.

**श्री जगदीशप्रसाद माथुर** : How can it be ?

**श्री सभापति** : ऐसा है कि आप एपॉइन्टमेंट के बारे में बोलिये।

**श्री मुरलीधर व्यास** : मैं यह कहना चाहता हूँ कि ६० प्रतिशत हरिजनों का एपॉइन्टमेंट होता है, उसमें इस प्रकार की शर्त होनी चाहिये कि किसी भी हालत में म्युनिसिपैलिटी उनको निकाल नहीं सकती। दूसरी सज़ा दे सकती है, सस्पेन्ड कर सकती है, एक महीने के लिये यों कर सकती है, पर जिद्द में आकर सारे के सारे परिवारों को हटा देते हैं, तो उनके लिये दूसरा कोई चारा जिन्दगी बसर करने का नहीं रह जाता। मेरा कहना यह है कि इनके एपॉइन्टमेंट के बारे में यह शर्त रहनी चाहिये, कि उनको किसी भी सूरत में नौकरी से हटा नहीं सकते, यह हो कि आप उनको सजा दे सकते हैं, आर्थिक पनिशमेंट दे सकते हैं, छोटी छोटी म्युनिसिपैलिटियों में हरिजनों के प्रति दूषित मनोवृत्ति रहती है, नाना प्रकार की भावनाएं रहती हैं वैसी सूरत में इस प्रकार के अधिकार इन म्युनिसिपैलिटीज को दे दिया जाय, तो इन अधिकारों को वे मनमाने ढंग से दुरुपयोग कर सकती हैं। इसलिये सरकार इनकी नियुक्तियों में इस तरह की व्यवस्था रख दे, शर्त रख दे कि ऐसे कर्मचारियों को हटा नहीं सके तो यह एक बहुत अच्छी चीज़ होगी और इससे उनकी रक्षा हो सकेगी। नहीं तो मनमाने ढंग से इनके साथ दुर्व्यवहार होता है। तो जहां तक सर्विसेज़ का सवाल है सरकार उनकी रक्षा करे, नगरपालिकाओं के हाथों में छोड़ दिया तो नगरपालिका उनकी रक्षा किसी तरह नहीं कर सकती क्योंकि नये इलेक्शन के साथ ही साथ उनमें तो बराबर चेन्ज़ेज होती ही रहती हैं। कभी एक दल आता है तो कभी दूसरा दल आता है। तो वहां स्पष्ट नियम होना चाहिये। जिसके जरिये इनकी सर्विसेज़ की रक्षा हो सके। तो मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिये नहीं तो म्युनिसिपल अधिकारी चुनावों के बाद में चेन्ज़ होते रहते हैं, वे अपने अपने दृष्टिकोण से आदमियों को रखते हैं और हटाते हैं।

एक बात की सरकार को छूट रखनी चाहिये, खास कर के वेतन के सम्बन्ध में, सुविधाएं तो सब उनको मिलें पर नगरपालिका की माली हालत को देखते हुए कुछ बातें आपको रखनी पड़ेंगी। बीकानेर में एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर १००० रुपया माहवार तक रखा, लोगों ने शिकायतें की उसे हटा नहीं सके, और इसकी वजह से म्युनिसिपल बोर्ड की माली हालत खराब रही। ऐसी खराब हालत होती है तो म्युनिसिपैलिटी की वस्तु स्थिति को देखते हुए उनकी वेतन और दूसरी बातों में सलाह लेकर विकास करना चाहिये और सरकार को जरूर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये, जैसी सुविधाएं ऊपर के अधिकारियों को दी जाती हैं उसी तरह की सुविधा छोटे से छोटे कर्मचारी को भी मिलनी चाहिये।

# Page No.72



( श्री मुरलीधर व्यास )

नहीं तो यह होता है कि बहुत सी जगह प्राईमरी स्कूल्स भी म्युनिसिपैलिटीज़ के अन्तर्गत चलती हैं, उनकी रक्षा म्युनिसिपैलिटीज़ नहीं कर सकती । एजूकेशन बोर्ड के नियमों के अनुसार जो सुविधाएं उन प्राईमरी स्कूल्स को मिलनी चाहिये वह नहीं मिलती हैं, और इस सम्बन्ध में बहुत संघर्ष चलते हैं और इसी कारण से हैरान होकर म्युनिसिपैलिटियां चाहती हैं, कि प्राईमरी एजूकेशन का सवाल गवर्नमेंट को सौंप दिया जाय । तो ऐसी स्थिति में सर्विसेज़ की रक्षा करने का जहां तक प्रश्न है बोर्ड इनकी रक्षा नहीं कर सकता, तो उनसे अपने कब्जे में ले कर सरकार को इनकी रक्षा करनी चाहिये । ऐसा विभाग उनके हाथ में है तो सरकार को अपने हाथ में ले कर उनकी रक्षा करनी चाहिये । सर्विसेज़ के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि इन बातों का ख़्याल रखा जावेगा तो अच्छा है ।

**श्री सभापति** : अगर इसको क्लॉज़ बाई क्लॉज़ ले लिया जावे तो ठीक है ।

**श्री जगदीश प्रसाद माथुर** : एज ए होल ले लिया जावे ।

**श्री सभापति** : upto clauses 306.

( श्री पी० के० चौधरी बोलने के लिये खड़े हुए ) ।

**श्री सभापति** ( श्री श्रीभानसिंह से ) : Do you want to move your amendment ?

**श्री श्रीभानसिंह** ( बयाना ) : No Sir.

**श्री पी० के० चौधरी** ( फुलेरा ) : I want to speak.

२.५१ म० प०

( श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पुनः पदासीन )

**श्री पी० के० चौधरी,** ( फुलेरा ) : अध्यक्ष महोदय, इस चैप्टर को लेकर जो क्रिटीसिज्म किया गया है उसको देखने से ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है । सबसे पहले एक माननीय सदस्य ने कहा कि म्युनिसिपैलिटी में जो सर्विसेज़ हैं उनको प्रोटेक्शन होना चाहिये । जब आप इस चैप्टर को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसमें उनके लिये प्रावधान रखा गया है । मैं आपका ध्यान इस सम्बन्ध में क्लॉज़ ३०१ की तरफ दिलाना चाहता हूं । जहां म्युनिसिपैलिटी की सर्विसेज़ में जो लोग रहेंगे सारे के सारे हैं उनके लिये प्रोटेक्शन है और जैसे गवर्नमेंट के रूल्स में पी० एस० सी० को कनसल्ट करने की बात रखी है उसी प्रकार इसमें भी रखा है । जिस चीज़ की मान्यनीय सदस्य ने मांग की है वह सारी की सारी बातें इसमें मौजूद हैं । जब सारी की सारी बातें इसमें मौजूद है तो मेरी समझ में नहीं आता कि किस आधार पर उन्होंने यह आर्गुमेन्ट दिया कि सरकार ने उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में नहीं रखा है । यहां तक कि ३०१ में, मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि "Consultation with Commission—(1) As respects the service, the State Public Service Commission, hereinafter referred to as the Commission, shall, in addition to its functions under the Constitution, be consulted—

( श्री पी. के. चौधरी )

(a) on all matters relating to appointments to the service by direct recruitment and

(b) on all disciplinary matters affecting the members of the Service."

तो किसी के सामने डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है तो उनको कमिशन से कन्सल्ट करना होगा। दूसरी बात हरिजनों के बारे में, मैं समझता हूँ कि हरिजनों की समस्या तो आउट ऑफ प्लेस हो गई है क्योंकि ७६ क्लॉज़ में जैसे मैंने एमेंडमेंट किया है और जो डेफर्ड है अगर वह एमेंन्डमेंट हो जाता है तो सारी की सारी हरिजनों की सर्विसेज़ कन्डिशन्स Service conditions relating to their appointment or dismissal. उससे सारी की सारी बातें गवर्न्ड होती है। जो इस चैप्टर में नहीं होती है। इस चैप्टर में ३०६ के सब क्लॉज़ ५ में सर्विसेज़ के रूल्स हैं और अगर आपको किसी तरह से ऑपोज़ करना है तो सब क्लॉज़ ५ को कर सकते हैं। सर्विसेज़ की कन्डिशन्स क्या रहेंगी। इसका प्रोविजन ३०६ के सब क्लॉज़ ५ में है गवर्नमेंट रूल्स बनावेगी What may be their service conditions ? दरअसल कोई कम्पलेन्ट है तो it must be relating to only sub sec. 5 of 306. अभी दूसरी म्युनिसिपैलिटीज़ है जहां सर्विसे कन्डिशन्स स्टेचुअरी एक्ट और बिल में इन्कोरपोरेट करना है। मैंने ७६ धारा में अमेंडमेंट मूव किया है इससे सारी की सारी बातें इन्कोरपोरेट हो सकती है। अगर ज्यादा से ज्यादा डेमेजेबल कोई बात है तो क्लॉज़ ३०६ के सब सेक्शन ५ में है। इसमें सर्विस कन्डिशन ले डाउन की गई है और इसके लिये पॉवर गवर्नमेंट को न दे कर यह कर सकते हैं। ये सारी बातें ७६ में जो डेफर है कर सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही है कि प्रोविडेन्ट फन्ड और पेन्शन रूल्स। ये २६३ क्लॉज़ में डील विद् हो गये हैं। अगर हम चाहते है कि यहां पर ये पॉवर्स रहें तो हमको उनको २६३ से निकाल कर इसमें करना होगा। लेकिन क्लॉज़ २६३ के पास करने के बाद यह नहीं कह सकते कि इसका प्रॉविज़न यहां पर होना चाहिये और इसका नहीं हुआ है तो करना चाहिये। क्लॉज़ २६३ सब क्लॉज़ २ पार्ट (१)

"The State Government may make rules or orders generally for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act and prescribe forms for any proceeding for which it considers that a form should be provided.

2 (i) for regulating the period of service of all officer and servants and determining the conditions under which such officers and servants, or any of them shall receive pensions, gratuities or compassionate allowances on retirement or on their be coming disabled through the execution of their duty, and the amount of such pensions, gratuities or compassionate allowances, prescribing the conditions under which any gratuities or compassionate allowances may be paid to the surviving relations on the death of such officers or servants..."

ये सारे के सारे पॉवर्स हमने गवर्नमेंट को रूल्स मेकिंग पॉवर्स में हमने एक्सेप्ट कर दिये हैं। जब हम इस में प्रॉविजन का प्रश्न पैदा करते

# Page No.74



( श्री पी. के. चौधरी )

हैं तो सेक्शन २६३ ही रूल मेकिंग या गवर्नमेंट को पॉवर डेलीगेट किये हैं उसको एमेन्ड करना चाहिये तभी तो हम उसे उडा सकते है। इसलिये मैं देख रहा था कि कुछ सदस्य म्युनिसिपैलिटी के सर्विसेज़ की बातें कर रहे है। जब It is already provided in this chapter... को हमने प्रॉवाइड किया दूसरा प्रोविज़न रूल का किया है। अगर हम करना चाहते हैं कि इसमें किया जाए तो २६३ में से हटाकर यहां पर रखा जाना चाहिये जहां तक सर्विसेज़ रूल्स और कन्डिशन का प्रश्न है उसके लिये मेरा माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन है कि इसमें सब सेक्शन ५ है। बाकी सारे के सारे एक्ट में इन्कॉरपोरेट हैं। ७६ क्लॉज़ डेफर किया है, उसमें सारे के सारे अमेन्डमेंट आ जाते है। केवेन्डर्स के लिये नही है। इसको मंजूर करेंगे It is the same which is provided for the Tehsil, Municipality or corporation employees as a whole. जब हम उन एमेंडमेन्टों को जो ७६ में मैंने दिये हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं तो फिर उसके बाद इसकी कोई जरूरत नहीं रहती है। तो मैं चाहता हूं कि क्लॉज़ ३०६ का सब क्लॉज़ ५ है उसको डेफर कर दिया जाय। जिस पर जब २६७ पर डिसीजन लेने के बाद इसको पास किया जाय तो ज्यादा उपयुक्त होगा इतना ही मेरा निवेदन है।

३ म० प०

**श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : Mr Speaker, Sir, I move that clause 303, sub-clause (4) should read like this:-" Subject to any rules...by a resolution passed by a majority of not less than two thirds......Government" अब शायद इसका कोई सेन्स नहीं, । ' by a resolution passed by a majority of less than..." इसमें मैंने कहा है वर्ड 'नॉट' एड करने के लिये।

**श्री अध्यक्ष** : आपका और माननीय मंत्री महोदय का संशोधन एक है। It is there at serial No. 178. "In the penultimate line of 'sub-clause (4) insert 'not' before 'less than'." It has been moved.

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस चेपटर पर वादविवाद हो रहा है। उस चेपटर में जो प्रॉविजन रक्खा गया है वो मैं समझता हूं म्युनिसपल बोर्ड की सर्विस के बारे में है उसकी सर्विसेज़ को बनाने के संबन्ध में है। जिसमें हमने पब्लिक सर्विस कमीशन को अधिकार दिया है। हिन्दुस्तान की बहुत कम म्युनिसिपैलिटीज़ में इस प्रकार का प्रॉविजन है। यह बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप है। हमने म्युनिसिपल सर्विसेज़ को गवर्नमेन्ट सर्विसेज़ के बराबर मान्यता देने को कोशिश की है। मैं समझता हूं इस बारे में माननीय किसी भी सदस्य को आपत्ति नहीं है। मुख्य आपत्ति जो की गई है, उसमें म्युनिसिपल सर्विसेज़ में जो सबोर्डिनेट सर्विसेज़ हैं, उसके संबन्ध में आपत्ति की गई है। विशेष आपत्ति यह है कि म्युनिसिपल बोर्ड के जो सबोर्डिनेट सर्विसेज़ होगी जिसमें खास तौर से हरिज़नों को सर्विस में रखने का म्युनिसिपल बोर्ड को अधिकार होगा। इलेक्टेड मेम्बर्स उनके प्रति मन चाहा बर्ताव करते हैं, बिना कानून कायदे के उनको सर्विसज़ से निकाल दिया जाता है। मैं समझता हूं इस धारा ३०६ में जो प्रॉवधान किया

( श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता )

गया है, उसके मुताबिक म्युनिसिपल बोर्ड के प्रेसीडेन्ट को और कमिश्नर को हमने उन सर्विसेज़ के एपॉइन्टमेन्ट के अधिकार दिये हैं उसमें साफ़ तौर से लिखा हुआ क्लॉज ३०६ के सब-क्लॉज़ २ में "Subject to any rules under section 293 or any other provision of this Act..." क्लॉज २६३ में हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है रूल्स बनाने का प्रॉविजन रखा है स्टेट गवर्नमेन्ट रूल्स बनायगी और उस म्युनिसिपल बोर्ड के प्रेसीडेन्ट को उन सर्विसेज़ के एपॉइन्टमेन्ट का अधिकार होगा। अगर उसमें कोई रिमूवल की बात होगी तो वह सब क्लॉज़ ५ में उनके रूल्स में बात रखी हुई है "(5) A person appointed under sub-section (1) or sub-section (2) may be dismissed, removed or otherwise punished in accordance with rules then obtaining by the appointing authority, subject to a right of appeal......" इसमें रूल्स प्रोवाइड किये गये हैं, साथ साथ अपील करने का भी अधिकार दिया है। मैं समझता हूं कि उनके रूल्स के मुताबिक अपॉइन्टमेंट होगा और रूल्स के मुताबिक उनको अपील करने का अधिकार होगा इसलिये उनके जो भी अधिकार हैं वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। यह सुझाव था कि सबोर्डिनेट सर्विसेज़ के लिये दफा ३०३ में सुझाव दिया है, कि एक म्युनिसिपल सर्विस का केडर बना देना चाहिये। जिस प्रकार पी०एस०सी० द्वारा एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर आदि का अपॉइन्टमेंट होता है उसी तरह से सबोर्डिनेट सर्विसेज़ के लिये उनका अपॉइन्टमेंट भी राजस्थान केडर में हुआ करें। इस सम्बन्ध में जो दलील दी गई उसके बारे में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि म्युनिसिपल बोर्ड इलेक्टेड बॉडी है एक तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरी बात म्युनिसिपल बोर्ड के अधिकारियों को इन्डीपेन्डेन्स रहे इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए यह प्रोवीज़न रखा है म्युनिसिपल बोर्ड के कमिश्नर और एग्जीक्युटिव ऑफिसर के अपॉइन्टमेंट का अधिकार कमिश्नर को दिया है। और सबोर्डिनेट सर्विसेज़ को उनके अन्डर में रखा है। म्युनिसिपल कमिश्नर या एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर के सबोर्डिनेशन में जो सर्विसेज़ रहेंगी उस तरह का प्रावधान क्लॉज़ ३०३ के सब क्लॉज़ दो में है. "...appointments to other posts, whether permanent or temporary shall be made by the Commissioner in the case of a city and the chairman of the board in any other case".

So they shall be subordinate to the Commisioner or the Chairman of the board as the case may be.

यह प्रावधान इसलिये रखा है, कि म्युनिसिपल बोर्ड का जो कमिश्नर होगा या एग्जीक्युटिव ऑफिसर होगा उसका डायरेक्ट अपॉइन्टमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा होगा जो सबोर्डिनेट सर्विसेज उनके अन्डर में होगी। इससे किसी को मर्जी से हटा दिया यह नहीं हो सकेगा। मैं समझता हूँ कि इस तरह से म्युनिसिपल बोर्ड के सर्विसेज की इन्डीपेडेन्डेन्स को ध्यान में रखकर इस प्रकार की धारायें रखी हैं। पिछले सदन में भी हमने इसी तरह पास करके इसको रखा गया था। इस बारे में मैंने यह भी विचार किया कि इस सम्बन्ध में और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन मुझे जहां तक मालूम है, हमें इसमें और ज्यादा

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश प्रतीत नहीं होती। इसके अलावा इस पर किसी प्रकार का अमेन्डमेन्ट आता तो विचार करके महज यह कह करके कि महतरों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है इसके लिये तो ७६ का प्रॉविजन अलग है। वहक्लॉज़ इससे भिन्न है। जहां तक पर्मानेन्ट एम्प्लाइज़ का ताल्लुक है उनके प्रोटेक्शन का ताल्लुक उनको हमने इन्डीपेन्डेन्ट कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के सुपरविजन में दिया है। रूल्स रेग्युलेशन जो भी बनायेंगे वे इस तरह के होंगे जैसे कि गवर्नमेंट सर्विसेज़ के सम्बन्ध में है। उनके साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार व अन्याय नहीं होगा उनको अपील का हक भी प्रोवाइड़ किया है। इसलिये मैं यह उम्मीद करता हूं, कि इसमें सदन के माननीय किसी भी सदस्य को आपत्ति नहीं होगी इसलिये मेरा निवेदन है कि जैसा यह क्लॉज़ है उसी तरह से पास कर दिया जाय।

**श्री जगदीशप्रशाद माथुर,** (सीकर): क्लॉज़ ३०१ में लिखा है उनके सम्बन्ध में डिसीप्लीनरी एक्शन लेना होगा? "(b) on all disciplinary mattere affecting the members of the Service". पी० एस० सी० को कन्सल्ट करना होगा। क्लाज़ ३०३ के सब सेक्शन ४ में बोर्ड को पॉवर दिया है. "(4) Subject to any rules obtaining in this behalf, a Council or Board, as the case may be, may punish any officer appointed under this section......" इसमें ऐसा है कि किसी भी ऑफिसर का अपाइन्टमेंट होता है उसको बोर्ड और कोन्सिल पनिश कर सकती है, इसमें डिसमिसल और रिमूवल के पॉवर्स नहीं दिये है। पनिशमेंट के लिये या डिसीप्लनरी एक्शन के लिये बोर्ड रेजोल्युशन पास करेगा ऐसी हालत में कहीं दोनों आपस में कन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन्स तो नहीं हो जायेंगे।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (स्वायत्त शासन मन्त्री): आप यह प्रोविजन देखें "two thirds of the majority of members" सब क्लॉज ५ में गवर्नमेंट ने पॉवर रखी है। इसमें टू थर्ड मेजोरिटी को इस लिये पॉवर दिया गया है बोर्ड को यह महसुस न हो कि उनके अधिकारी उनकी बात को नहीं माने या उनके ट्रान्सफर करने में बोर्ड को किसी प्रकार की दिक्कद होती है तो उसके सबोर्डिनिशन के लिये प्रोविजन रखा है।

**श्री जगदीश प्रसाद माथुर**: पनिशमेन्ट का प्रोवीजन डिसीप्लीनरी एक्शन के अन्तर्गत नहीं होगा।

**श्री अध्यक्ष**: पनिशमेन्ट कई तरह के हो सकते हैं, ग्रेड इनक्रीमेन्ट को रोकना भी पनिशमेन्ट है। स्टेट सर्विसेज़ में ऐसा है इस बारे में कोई भी ऑर्डर फाइनल होता है वह पबलिक सर्विस कमीशन की कॉन्करेन्स से करना पड़ता है।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता**: इसमें तो स्टेट गवर्नमेंट को अपील जरूरी है, सबक्लॉज़ में भी। गवर्नमेंट एप्रूव करेगी इसको भी।

That is subject to the approval of the State Government. इसका मतलब भी यही हुआ, पब्लिक सर्विस कमीशन। जिसका जुरिस्डिक्शन पब्लिक सर्विस कमीशन का होगा, वह भी उनको रेफर किया जावेगा।

( श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता )

The State Government shall also not give its approval.

श्री अध्यक्ष : यह शक इसलिये हुआ है कि ऑल डिसीप्लिनेरी मैटर may include anything इसमें ग्रेड इन्क्रीमेंट रोकना भी आ सकता है।

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : 'Otherwise than dismissal 'or removal' इसमें है, गवर्नमेंट के एप्रूवल से ऐसा हो सकता है।

**श्री भैरोंसिंह,** ( श्री माधोपुर ) : डिसिमिसल और रिमूवल में भी गवर्नमेंट का एप्रूवल होगा।

( स्वीकृत )

**श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** : बोर्ड को प्रस्ताव पास करके कहने का मौका मिलेगा।

There will be no removal or dirmissal without the consultation of the Public Service Commission. अब भी पॉवर है पर्मानेन्ट सर्वेन्ट के बारे में।

**श्री अध्यक्ष** : एक अमेन्डमेंट क्लॉज़ ३०३ पर है। श्री श्रीमानसिंह ने भी मूव किया है।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज २९८, २९९, ३००, ३०१ और ३०२ को स्वीकार किया जावे।

( स्वीकृत )

क्लॉज़ेज २९८, २९९, ३००, ३०१ और ३०२ विधेयक का अंग बने।

प्रश्न यह है कि ३०३ क्लॉज़ेज में जो संशोधन मन्त्री महोदय ने और श्री श्रीमानसिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

( स्वीकृत )

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि संशोधित क्लॉज़ ३०३ को स्वीकार किया जावे।

( स्वीकृत )

संशोधित क्लॉज़ ३०३ विधेयक का अंग बना।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज ३०४, ३०५, ३०६, ३०७ और ३०८ स्वीकार की जावे।

( स्वीकृत )

क्लॉज़ेज ३०४, ३०५, ३०६, ३०७ और ३०८ विधेयक का अंग बने।

अब डेफर्ड क्लॉज़ेज।

**श्री भैरोंसिंह** : अब तो एडजोर्न कर दिया जावे।

डेफर्ड क्लॉज़ेज बाद में ले लेंगे।

**श्री अध्यक्ष** : शिड्यूल बाद में ले लेंगे।

**श्री भैरोंसिंह** : डेफर्ड क्लॉज़ेज आज न ली जाकर बाद में ले लें, तो यह उचित रहेगा।

# Page No.78



**श्री अध्यक्ष** : तो ठीक है, यही उचित रहेगा। सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक १३, अप्रेल, ५६ सोमवार को ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है

( तदनन्तर सदन की कार्यवाही ३ बजकर १४ मिन्ट पर दिनांक १३–४–५६ के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई। )

# संक्षिप्त-विवरण

( बुधवार ८ अप्रैल, १९५९ )

स्कम्भ स्कम्भ

**तारांकित प्रश्नोत्तर** ६६४२

ज़िला सवाई माधोपुर में लगाये गये पम्पिंग सैट व पर्शीयन व्हील।

गन्दी बस्तियों की सफ़ाई के लिए योजना।

सवाई माधोपुर जिले में मछली विकास योजना।

रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन।

चौमू में बिजली की व्यवस्था।

करौली से वजीरपुर तक सड़क।

पंचायत किशोरपुरा का पंचायत घर।

काश्तकारों को खेती के औजारों के लिये लकड़ी की सुविधा।

तहसील सिकराय में ७ नई पंचायतें।

ज़िला सिरोही में हरिजनों को खेती के लिए तकावी।

ज़िला जयपुर में पंचायत वार्ड्स में संशोधन।

ग्राम मांवसा के एक व्यक्ति को पुलिस हिरासत में मृत्यु।

भेडपालकों एवं फार्म ओनर्स की सहायता।

किशनगढ़ पॉवर हाउस से किशनगढ़ वाटर वर्क्स को पॉवर।

राणावास से राणावास स्टेशन तक की सड़क को पूरा किया जाना।

तहसील कोलायत में कृषि सम्बन्धी खर्च।

जोधपुर डिविजन में पुलिस कर्मचारियों को ट्रैफिक अलाउन्स।

भरतपुर नगर की सड़क निर्माण।

देसूरी व बाली तहसीलों के छोटे बांध व रप्टों की मरम्मत।

श्री गंगानगर-करनपुर सड़क।

मुहल्ला जालूपुरा, जयपुर में सफ़ाई की व्यवस्था।

ग्राम सालगांव तहसील खेदर के पास बांध की संभावना।

की विलेज स्कीम के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दी गई जीप गाड़ी।

ज़िला बोर्ड जयपुर द्वारा पंचायतों को भवन निर्माण हेतु सहायता।

| | स्कम्भ |
|---|---|
| तहसील सराड़ा व खेरवाड़ा में सिंचाई योजना का निर्माण। | |
| भूस्वामियों को बस पर्मिट देने में प्राथमिकता। | |
| **अतारांकित प्रश्नोत्तर** | ६९९८ |
| राजस्थान नहर की खुदाई का फ्रेज्ड प्रोग्राम गंग केनाल सिंचाई क्षेत्र में काश्त योग्य भूमि। | |
| **स्थगन प्रस्ताव** | ६९९९ |
| धौलपुर में विधि और व्यवस्था की स्थिति से सम्बन्धित श्री श्रीभानसिंह के स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई। | |
| **विधाई कार्य** | |
| **राजस्थान नगरपालिका विधेयक, १९५७** | ७००५ |
| उपरोक्त विधेयक पर आज भी खण्डशः विचार जारी रहा। | |

स्कम्भ

खण्ड २९३, २९५ एवं ३०३ संशोधित रूप में स्वीकार किये गये।

खण्ड २९२, २९४, २९६, २९७, २९८, २९९; ३००, ३०१, ३०२ एवं ३०४ से ३०८ बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुए।

खण्ड २९१ स्थगित किया गया। सदन की बैठक ३ बजकर १४ मिनिट पर सोमवार, दिनांक १३ अप्रेल, १९५९ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

**सोमवार, दिनांक १३ अप्रेल, ५९ की कार्य सूची—**

१. पुरः स्थापित विधेयक अजमेर शामलात देह ( रेगुलेशन ) निरसन विधेयक, ५९।

२. राजस्थान नगरपालिका विधेयक, ५७।

( अग्रेतर विचार—विमर्श )

## परिशिष्ट १

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६७४ का उत्तर देखिये )

| कार्य का विवरण | मात्रा | नाम कृषक |
|---|---|---|
| ट्रेक्टर खरीद | १ | श्री कृष्णा राम पुत्र श्री उमाराम ग्राम गजेनेर । |
| उन्नत औजार | २ | एजिन |

[ ७१०३

## परिशिष्ट २

( कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ६७६ का उत्तर देखिये )

**पाली जिले की देसूरी व बाली तहसील में निम्नलिखित तालाब व रपट आदि टूटे पड़े हैं।**

### देसूरी तहसील

१ खीमालाव

२ पृथ्वीराज का गुडा तालाब

३ पदम सागर बांध

४ महाराम जी का गुड़ा बांध

५ टीली बांध

६ कादिया तालाब

### बाली तहसील

१ खीमेलाय बांध

२ बामनिया बांध

३ बीजापुर बांध

४ फूटेलाब बांध

५ नाना बांध

६ बैश बांध

७ मालनु तालाब

# परिशिष्ट ३

( कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ९८७ का उत्तर देखिये )

| क्र०सं० | कार्य का नाम | तहसील | रिर्मार्क्स |
|---|---|---|---|
| १ | इटाली खेड़ा केनाल | सराडा | कार्य करीब करीब सम्पूर्ण हो गया है |
| २ | हरिचन्द केनाल | ,, | स्कीम विचाराधीन है |
| ३ | जय समन्द की नहरें | ,, | कार्य करीब सम्पूर्ण हो गया है |
| ४ | नडारा | ,, | कार्य करीब सम्पूर्ण हो गया है |
| ५ | करमा | ,, | कार्य चल रहा है |
| ६ | केजड़ तालाब | ,, | कार्य सम्पूर्ण हो गया है |
| ७ | सेमाली | ,, | स्कीम विचाराधीन है |
| ८ | नीम्बोदा . | ,, | कार्य सम्पूर्ण हो गया है |
| ९ | सो पिक अप वियर | ,, | कार्य सम्पूर्ण हो गया है |
| १० | भूधर की नहर | खेरवाड़ा | कार्य सम्पूर्ण हो गया है |
| ११ | हाथियों का नाका | ,, | ,, |

## शुद्धि-पत्र

(८ अप्रेल, १९५९)

| स्कम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्ध | शुद्ध |
|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ |
| ६९५२ | १६ | eleetricity | electricity |
| ६९६२ | ६ | जसका | जिसका |
| ७००४ | शीर्षक | स्थगन प्र० स० वाद विवाद | स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धी वाद विवाद |
| ७००५ | ,, | राजस्थान नगर पालिका विधेयक | राजस्थान नगर पालिका विधेयक, १९५७ |
| ७०३६ | अन्तिमसे ११ | Nott | Not |
| ७०४४ | ३ | स्थिदियां | स्थितियां |
| ७०४५ | ११ | एम्क्वायरी | एन्क्वायरी |
| ७०९९ | शीर्षक | ८ अपेल ५३ | ८ अप्रेल, ५९ |
| ७२२९ | अन्तिम से ८ | efficiently | efficiency |
| ७२३४ | १ | thine | them |